



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30072021-228616
CG-DL-E-30072021-228616

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 211]
No. 211]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 30, 2021/श्रावण 8, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 30, 2021/SHRAVANA 8, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

अंतिम जांच परिणाम

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2021

मामला सं. (एस एस आर) 22/2020

विषय: यूरोपियन संघ और सिंगापुर के मूल के अथवा वहां से निर्यातित फिनोल के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा (एस एस आर)।

फा. सं. 7/41/2020 – डी जी टी आर.—समय समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे यहां “अधिनियम” के रूप में भी कहा गया है) और उसकी समय समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण हेतु) नियमावली, 1995 (जिसे यहां “नियमावली” भी कहा गया है) के संबंध में।

क. मामले की पृष्ठभूमि

1. निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें यहां “प्राधिकारी भी कहा गया है”) को मै. दीपक फिनोलिक्स लिमि. (डी पी एल) और मै. हिन्दुस्तान आर्गेनिक्स केमिकल लिमि. (एच ओ सी एल) (जिन्हें यहां “ओवदक” कहा गया है) से एक आवेदन प्राप्त हुआ है जिस में यूरोपियन संघ और सिंगापुर (“संबद्ध देश”) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “फिनोल” (जिसे यहां “संबद्ध वस्तु” या “विचाराधीन उत्पाद” या “पी यू सी” कहा गया है) के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा आरंभ करने का अनुरोध किया गया है। आवेदकों ने आवेदन में निर्धारित जानकारी प्रदान की है।

2. प्राधिकारी ने अधिसूचना सं. 14/ 13/2014 – डी जी ए डी दिनांक 15 अक्टूबर, 2014 के अनुसार यूरोपियन संघ, कोरिया जन. गण. राज्य और सिंगापुर के मूल के अथवा वहां से निर्यातित फिनोल के आयातों के संबंध में मूल जांच की शुरुआत की थी। यूरोपियन संघ, कोरिया जन. गण. और सिंगापुर के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क (ए डी डी) को लागू करने की सिफारिश करते हुए अधिसूचना 14/13/2014 – डी जी ए डी दिनांक 12 जनवरी, 2016 के अनुसार प्राधिकारी द्वारा अंतिम जांच परिणाम संबंधी अधिसूचना जारी की गई थी। अधिसूचना सं. 6/2016 – सीमा शुल्क (ए डी डी) दिनांक 8 मार्च, 2016 के अनुसार राजस्व विभाग द्वारा निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लागू किए गए थे।
3. अधिनियम की धारा 9क (5) की शर्तों में, लागू ए डी डी, जब तक पहले कि पहले निरस्त न किया जाए, का ऐसे लागू किए जाने की तारीख से पांच वर्षों की समाप्ति पर प्रभाव समाप्त हो जाएगा और प्राधिकारी द्वारा यह पुनरीक्षा किए जाने की जरूरत है कि क्या ए डी डी की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति की संभावना है। इसके अतिरिक्त, नियमावली के नियम 23 (1ख) में निम्नानुसार व्यवस्था की गई है।
“अधिनियम के अंतर्गत लागू किया गया कोई निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क अपने लागू किए जाने की तारीख से अधिकतम पांच वर्षों की अवधि के लिए लागू होगा जब तक कि निर्दिष्ट प्राधिकारी अपनी स्वयं की पहल पर उस अवधि की समाप्ति से पहले एक उचित समयावधि के भीतर उस अवधि से पहले, आरंभ की गई कोई पुनरीक्षा या घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किए गए विधिवत रूप से प्रमाणित अनुरोध के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उक्त पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति की संभावना है।”
4. उपर्युक्त के अनुसरण में घरेलू उद्योग के द्वारा अथवा उसकी ओर से किए गए विधिवत प्रमाणित अनुरोध के आधार पर प्राधिकारी द्वारा यह जांच किए जाने की जरूरत है कि क्या ए डी डी को समाप्त किए जाने से पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति की संभावना है।
5. आवेदकों ने संयुक्त रूप से पहले लगाए गए ए डी डी की एस एस आर की शुरुआत करने और यूरोपियन संघ और सिंगापुर से फिनोल के आयातों के विरुद्ध ए डी डी को जारी रखने की मांग करते हुए दिनांक 8 सितंबर, 2020 को आवेदन दायर किया। अनुरोध इन तथ्यों पर आधारित था कि उपाय की समाप्ति के परिणाम संबद्ध वस्तुओं के पाटन के जारी रहने और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति में हो सकते हैं।
6. घरेलू उद्योग की ओर से दायर पाटन और क्षति की संभावना के प्रथम दृष्टया साक्ष्य के साथ विधिवत प्रमाणित आवेदन को ध्यान में रखते हुए, और नियमावली के नियम 23 के साथ पठित, अधिनियम की धारा 9क (5) के अनुसरण में, प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के मूल के और वहां से निर्यातित, संबद्ध वस्तुओं के संबंध में ए डी डी के लागू किए जाने को जारी रखने की आवश्यकता की पुनरीक्षा करने और इस बात की जांच करने के लिए क्या उक्त ए डी डी को समाप्त किए जाने से घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति की संभावना है, अधिसूचना सं. 7/41/2020 – ए जी टी आर दिनांक 31 दिसंबर, 2020 के अनुसार एस एस आर जांच आरंभ की थी।
7. जांच के निष्कर्ष को लंबित रखते हुए, पाटनरोधी शुल्कों को अधिसूचना सं. 11/2021 – सीमा शुल्क (ए डी डी) दिनांक 3 मार्च, 2021 के अनुसार 7 जून, 2021 तक और उसके सहित, बढ़ाया गया था।
8. वर्तमान पुनरीक्षा के क्षेत्र में अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना सं. 14/13/2014 – ए जी ए डी के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है जिसमें संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर ए डी डी को लागू करने की सिफारिश की गई थी।

ख. कार्य प्रक्रिया

9. संबद्ध जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है :

क. नियमावली के नियम 5(5) के अनुसरण में, वर्तमान जांच की शुरुआत करने के लिए आगे बढ़ने से पहले प्राधिकारी ने पाटनरोधी आवेदन की प्राप्ति के बारे में संबद्ध देशों की सरकारों को भारत में उनके दूतावासों के जरिए अधिसूचित किया।

- ख. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क के संबंध में निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना सं. 7/41/2020 – डी जी टी आर दिनांक 31 दिसंबर, 2020 के अनुसार एक पब्लिक नोटिस जारी किया।
- ग. ए डी नियमावली के नियम 6(2) के अनुसरण में, प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों, संबद्ध देशों से ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, ज्ञात आयातकों, आयातक/ प्रयोक्ता संघों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार दिनांक 31 दिसंबर, 2020 की जांच शुरुआत अधिसूचना की एक प्रति भेजी। हितबद्ध पक्षकारों से निर्धारित प्रपत्र और तरीके में संगत सूचना उपलब्ध कराने और अपने अनुरोधों से निर्धारित समय-सीमा के भीतर लिखित में ज्ञात कराने की सलाह की गई।
- घ. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(3) के अनुसरण में भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को और ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों को आवेदन के गोपनीयता पाठ की प्रति उपलब्ध करायी।
- ङ. भारत में संबद्ध देशों के देतावासों से भी निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने के लिए उनको देश से निर्यातकों/ उत्पादकों को सलाह देने का अनुरोध किया गया। उन्हें उत्पादकों/ निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति भी संबद्ध देश से ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों के नामों और पतों सहित उन्हें भेजी गई।
- च. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध किए जाने पर, उन्हें प्रश्नावली के उत्तर दायर करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों को समय विस्तार प्रदान किया। दिनांक 9 फरवरी, 2021 के पत्र व्यवहार के अनुसार समय को 27 फरवरी, 2021 तक बढ़ा दिया गया।
- छ. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसरण में, संबद्ध देशों में, निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों को प्रश्नावली भेजी :
- i. मै. डोमो केप्रोल्यूना जीएमबीएच
 - ii. मै. आईनियोज फिनोल
 - iii. मै. कैप्साक्यूमिका एस. ए.
 - iv. मै. वरसालिस एस. पी. ए.
 - v. मै. सिक्वेन
 - vi. मै. बोरेलिस पोलिमर्स ओवाई
 - vii. मै. डी ओ डब्ल्यू यूरोप जीएमबीएच
 - viii. मै. रुतगर्स जमर्नी जीएमबीएच
 - ix. मै. केमिकल प्वाइंट यू जी
 - x. मै. पी के एन ओरलिन
 - xi. मै. डेजा ए. एस.
 - xii. मै. टोटल पेट्रोकेमिकल्स
 - xiii. मै. मित्सुई फिनोल सिंगापुर प्रा. लिमि.
 - xiv. मै. स्काई पेट्रो-केम प्रा. लिमि.
 - xv. मै. पेट्रोकेम एशिया प्रा. लिमि.
 - xvi. मै. हरेश पेट्रोकेम सिंगापुर प्रा. लिमि.
 - xvii. मै. डीनोविक प्रा. लिमि.

xviii. मै. कैम्पर एनर्जी प्रा. लिमि.

xix. मै. इंटेग्रा पेट्रोकेमिकल्स प्रा. लिमि.

ज. उपर्युक्त अधिसूचना के प्रत्युत्तर में, निम्नलिखित उत्पादकों/ निर्यातकों और उनके संबंधित निर्यातकों/ व्यापारियों ने उत्तर दिया है और निर्यातकों की प्रश्नावली के उत्तर और/ या कानूनी अनुरोध प्रस्तुत किए/ दायर किए हैं :

i. मै. मित्सुई फिनोल्स सिंगापुर प्रा. लिमि. (एम पी एस)

ii. मै. मित्सुई एंड कंपनी (एशिया पैसिफिक) प्रा. लिमि. (एम ए पी)

झ. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसरण में जरूरी सूचना की मांग करते हुए भारत में संबद्ध वस्तुओं के ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं को प्रश्नावली भेजी हैं।

i. मै. सी. जे. शाह एंड कंपनी

ii. मै. हरेश कुमार एंड कं.

iii. मै. पी सी एल ऑयल एंड इंडस्ट्रीज

iv. मै. कांतिलाल मणिलाल एंड कं. प्रा. लिमि.

v. मै. सोनकमल इंटरप्राइजेज

vi. मै. खेतान बदर्स

vii. मै. शुभम डायस एंड केमिकल्स लिमि.

viii. मै. एक्रॉन इंटरप्राइजेज

ix. मै. नाइकनवारे केमिकल्स लिमि.

x. मै. पारस डाइस एंड केमिकल्स

xi. मै. टोरेट फार्मास्युटिकल्स लिमि.

xii. मै. यूनाइटेड फास्फोरस लिमि.

xiii. मै. रेसिन एंड प्लास्टिक लिमि.

xiv. मै. कैलाश पालीमर्स

xv. मै. सेन्ट्रल मेटालिक्स प्रा. लिमि.

xvi. मै. वंडर लेमिनेट्स प्रा. लिमि.

xvii. मै. मेघदेव इंटरप्रोइजेज

xviii. मै. सतगुरु इंटरनेशनल

xix. मै. हाई पालीमर्स लैब्स लिमि.

xx. मै. रेनबो कलर्स एंड केमिकल्स

xxi. मै. ब्लीच मार्केटिंग प्रा. लिमि.

xxii. मै. कारमेन इंटरनेशनल प्रा. लिमि.

xxiii. मै. कृष्णा ऑक्सीडेंटस प्रा. लिमि.

xxiv. मै. एन जी पी इंडस्ट्रीज लिमि.

xxv. मै. फार्मसन फार्मास्युटिकल्स गुजरात लिमि.

- xxvi. मै. इंडिया ग्लोइकोल्स लिमि.
- xxvii. मै. सिंह प्लास्टिसाइजर्स एंड रेसिन (आई) प्रा. लिमि.
- xxviii. मै. नेशनल प्लाइवुड इंडस्ट्रीज लिमि.
- xxix. मै. कुंदन रइस मिल्स लिमि.
- ज. उपर्युक्त अधिसूचना की प्रतिक्रिया में, निम्नलिखित आयातकों या प्रयोक्ताओं ने प्रत्युत्तर दिया है और आयातक/ प्रयोक्ता प्रश्नावली उत्तर/ कानूनी अनुरोध/ प्रस्तुत किए हैं और/ या हितबद्ध पक्षकारों के रूप में पंजीकरण किया है :
- मै. आई ए सी ए लेमिनेट्स इंडिया प्रा. लिमि.
 - मै. एक्जिमकार्प इंडिया प्रा. लिमि.
 - मै. सेंचुरी प्लाई
- ट. जांच शुरुआत अधिसूचना के प्रत्युत्तर में, गैर फेडरेशन ऑफ इंडिया प्लाइवुड एंड पैनल इंडस्ट्री ने कानूनी अनुरोध किए हैं।
- ठ. नियमावली के नियम 6(6) के अनुसरण में, प्राधिकारी ने 7 अप्रैल, 2021 को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए आयोजित एक सार्वजनिक सुनवाई में हितबद्ध पक्षकारों को उनके विचार मौखिक रूप से प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। पक्षकारों ने जिन्होंने मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत किए थे, उसके बाद प्रस्तुत प्रत्युत्तर के अनुसरण में यदि कोई भी हो, मौखिक रूप से प्रस्तुत विचारों को लिखित अनुरोध में प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया। पक्षकारों ने अपने अगोपनीय अनुरोधों को अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ साझा किया और उन्हें अपने खंडन को प्रस्तुत करने की सलाह दी गई।
- ड. सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डी जी टी आर की वेबसाइट पर अपलोड की गई जिसमें उन सब से सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अवलोकन के लिए उनके अनुरोधों के अगोपनीय पाठ को ई-मेल करने का अनुरोध किया गया था क्योंकि जारी वैश्विक महामारी के कारण सार्वजनिक फाइल प्रत्यक्ष रूप से प्राप्य नहीं थी।
- ढ. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि (पी ओ आई) 1 जुलाई, 2019 से 30 जून, 2020 (12 महीने) है। क्षति जांच अवधि को 2016-17, 2017-18 और अप्रैल 2018 – जून, 2019 और पी ओ आई की अवधि के रूप में विचारित किया गया है।
- ण. प्राधिकारी ने पी ओ आई सहित क्षति अवधि के लिए संबद्ध वस्तुओं के लिए वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस) और प्रणाली एंड आंकड़ा प्रबंधन महानिदेशालय (डी जी एस) से सौदावार आयात आंकड़े प्राप्त किए हैं और सौदों की उचित जांच के पश्चात् आंकड़ों का विश्लेषण किया है।
- त. अनिवार्य समझी गई आगे की सूचना की आवेदक से मांग की गई। वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ अनिवार्य समझे गए घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों का सत्यापन किया गया।
- थ. सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों (जी ए ए पी) और नियमावली के अनुबंध III के अनुसरण में, घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के संबंध में, भारत में संबद्ध वस्तु के उत्पादन की लागत और उचित लाभ के आधार पर, क्षति रहित कीमत (जिसे यहां “एन आई पी” कहा गया है) को तैयार किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से निम्न ए डी डी घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होंगे।
- द. इस अंतिम जांच परिणाम में, जांच की अवधि के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों, दिए गए तर्कों और उपलब्ध कराई गई सूचना पर, जहां तक उनका साक्ष्यों द्वारा समर्थन किया गया है और वर्तमान जांच के संगत समझा गया है, इस प्रकटीकरण विवरण में विचार किया गया है।

- ध. प्राधिकारी ने जांच की अवधि के द्वारा हितबद्ध पक्षकारों द्वारा सूचना की परिशुद्धता के बारे में, जो संभव सीमा तक इस अंतिम जांच परिणाम प्रकटीकरण विवरण के आधार का निर्माण करती है, खुद को संतुष्ट किया और संगत एवं संभव समझी गई सीमा तक घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों/ दस्तावेजों का सत्यापन किया।
- न. गोपनीयता दावों की पर्याप्तता के संबंध में, गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना की जांच की गई। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां भी जरूरत थी, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय समझा गया है व अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया है। जहां भी संभव था, गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दायर की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।
- प. नियमों के नियम 16 के अनुसार, जांच के आवश्यक तथ्यों को ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 20 जुलाई, 2021 के प्रकटीकरण वक्तव्य के द्वारा प्रकट किया गया था, और उस पर प्राप्त टिप्पणियों, जिन्हें प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक माना जाता है, को इन अंतिम जांच परिणामों में संबोधित किया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटीकरण के बाद किए गए अधिकांश अनुरोध उनके पूर्व के अनुरोधों की पुनरावृत्ति मात्र हैं। तथापि, प्रकटीकरण के बाद की प्रस्तुतियों की उस सीमा तक जांच की जा रही है, जिसे प्रासंगिक माना जाता है, इन अंतिम निष्कर्षों में जांच की जा रही है।
- फ. जांच की अवधि के दौरान जहां भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने पहुंच प्रदान करने से इंकार किया है अथवा अनिवार्य सूचना उपलब्ध कराने से इंकार किया है या जांच में महत्वपूर्ण रूप से हस्तक्षेप किया है, प्राधिकारी ने ऐसे हितबद्ध पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर इन अंतिम जांच परिणामों को दर्ज किया है।
- ब. “***” इन अंतिम जांच परिणामों में गोपनीय आधार पर किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा उपलब्ध कराई गई तथा नियमावली के तहत प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार समझी गई सूचना का प्रतिनिधित्व करता है।
- भ. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 अमरीकी डालर = 73.26 रुपए है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

ग. 1. घरेलू उद्योग का निवेदन

10. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं :

- क. घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित उत्पाद संबद्ध देश से आयातित उत्पाद के समान वस्तु है।
- ख. उपभोक्ता घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित और संबद्ध देशों में उत्पादकों द्वारा विनिर्मित उत्पाद का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग करते हैं।

ग. 2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

11. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

ग. 3. प्राधिकारी द्वारा जांच

12. विचाराधीन उत्पाद “फिनोल” है जिसे मूल जांच में निम्नानुसार परिभाषित किया गया है :

“फिनोल एक मूलभूत आर्गेनिक रसायन है जो सामान्यतः सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 29 के अंतर्गत वर्गीकृत है। उत्पाद का दो रूपों – बल्क और पैकड में विपणन किया जाता है। बल्क बिक्री आमतौर पर खुले रूप में होती है जबकि पैकड की गई खेप बहुत छोटे कंटेनर लोड की हो सकती है और आमतौर पर ड्रम में पैक की जाती है। फिनोल का प्रयोग फिनोल फार्माल्डेहाइड रेसिन, लेमिनेट्स, प्लाईवुड, पार्टिकल बोर्ड, विस फिनोल-क, अल्काइल फिनोल, फार्मास्युटिकल डिफिनायल आक्साइड आदि में प्रयोग किया जाता है। उत्पाद को सीमा शुल्क

टैरिफ शीर्ष सं. 29071110 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तथापि, उक्त सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और किसी भी तरह से वर्तमान जांच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।”

13. चूंकि, वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है, विचाराधीन उत्पाद वही बना हुआ है जैसा कि पिछली आयोजित जांच में परिभाषित किया गा था फिनोल को उपशीर्ष 2907.11 के अंतर्गत सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 29 के तहत वर्गीकृत किया गया है। तथापि, यह सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के जांच क्षेत्र पर किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है।
14. रिकार्ड पर उपलब्ध सूचना से प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान उत्पाद है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद भौतिक और रसायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विशेषताओं, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन और वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण की शर्तों में संबद्ध देशों से आयातित वस्तु के तुलनीय वस्तु है। तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से ये दोनों प्रतिस्थापनीय है। उपभोक्ताओं ने इन दोनों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया है और प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए प्राधिकारी धारित करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुएं ए डी नियमावली की शर्तों में संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद के समान वस्तु है।

घ. घरेलू उद्योग का क्षेत्र और स्थिति

घ. 1. घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

15. घरेलू उद्योग के क्षेत्र और स्थिति के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :
 - क. आवेदक अर्थात् मै. दीपक फिनोलिक्स लिमि. और मै. हिन्दुस्तान आर्गेनिक्स केमिकल्स लिमि. भारत में संबद्ध वस्तुओं के लिए कुल भारतीय उत्पादन के प्रमुख समानुपात को स्थापित करते हैं।
 - ख. आवेदक न तो संबद्ध देशों में किसी निर्यातक न ही भारत में संबद्ध वस्तु के किसी आयातक से संबंधित हैं।

घ. 2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गए अनुरोध

16. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग और स्थिति के क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित अनुरोध किए हैं।
 - क. डी आई को ठोस प्रमाण उपलब्ध कराने चाहिए और स्थिति की नियमों के अनुसार जांच की जानी चाहिए।
 - ख. प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एस आई ग्रुप की गैर-भागीदारी क्षति पैरामीटरों और एन आई पी के लिए अनुकूल कंपनियों को चुनने का प्रयास नहीं है।

घ. 3. प्राधिकारी द्वारा जांच

17. पाटन रोधी नियमावली का नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:-

“(ख) घरेलू उद्योग” का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में “घरेलू उद्योग” पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।”

18. आवेदन को मै. दीपक फिनोलिक्स लिमि. और मै. हिन्दुस्तान आर्गेनिक्स केमिकल लिमि. द्वारा संयुक्त रूप से दायर किया गया है। आवेदक कुल भारतीय उत्पादन के 88.95 प्रतिशत के लिए जिम्मेदार है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद का एक अन्य विनिर्माता भी है अर्थात् मै. एस आई जी ग्रुप इंडिया लिमि., वह भी भारत में समान वस्तु के विनिर्माता है। आवेदक संबद्ध वस्तुओं के भारतीय उत्पाद में प्रमुख समानुपात के लिए जिम्मेदार है। आवेदकों ने प्रमाणित किया है कि वे न तो संबद्ध देशों में विचाराधीन उत्पाद के किसी निर्यातक या उत्पादकों से या भारत में विचाराधीन उत्पाद के किसी उत्पादक से संबंधित है।

19. प्राधिकारी धारित करते हैं कि आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के तहत घरेलू उद्योग है और उनका विचार है कि आवेदन नियमावली के नियम 5(3) की शर्तों में स्थिति के मापदंड को संतुष्ट करता है।

ड. गोपनीयता

ड. 1. घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

20. घरेलू उद्योग ने गोपनीयता के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :

- क. निर्यातक और उत्पादक ने दायर प्रश्नावली के उत्तर के अगोपनीय पाठ में सूचना की अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है।
- ख. सूचना में इसका उचित सारांश उपलब्ध कराए बिना गोपनीयता का दावा किया गया है।
- ग. निर्यातक और उत्पादक ने प्रश्नावली उत्तर के भाग II में यथा अपेक्षित कई महत्वपूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई है, जिसके द्वारा घरेलू उद्योग को उस के रक्षा अधिकार से वंचित किया गया है और इसलिए यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है।
- घ. निर्यातक और उत्पादक द्वारा दायर प्रश्नावली उत्तर को, अपूर्ण या भ्रामक सूचना और अत्यधिक गोपनीयता के दावों को ध्यान में रखते हुए अस्वीकृत किया जाना चाहिए।
- ड. घरेलू उद्योग द्वारा दायर याचिका का अगोपनीय पाठ ट्रेड नोटिस 10/2018 के अनुसार है।

ड. 2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

21. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने गोपनीयता के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :

- क. याचिकाकर्ताओं ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है और ट्रेड नोटिस 10/2018 का पालन नहीं किया है जिस पर 5 अप्रैल, 2021 के पत्र व्यवहार के अनुसार एम पी एस और एम ए पी द्वारा जोर दिया गया था और यदि याचिकाकर्ता याचिका में सुधार करने में असफल रहता है तो जांच को समाप्त किया जाना चाहिए।
- ख. संपूर्ण जांच शुरुआत को गोपनीयता के आवेदन द्वारा निष्प्रभावी कर दिया गया है जो कारण बताओ नोटिस पर सीमा शुल्क कोड के असंगत है और खंड 9क के उपखंड 8 के कारण सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की तहत किसी भी कार्यवाही के लिए लागू होती है।
- ग. क्षमता, उत्पादन और क्षमता उपयोग के लिए अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया गया है जबकि पिछली पाटनरोधी जांचों में, इसे उपलब्ध कराया गया था। यहां तक कि क्रय नीति, बिक्री नीति, लेखाकरण नीति, लागत लेखाकरण नीति, गुणवत्ता नियंत्रण कार्य प्रणाली और परीक्षणों को भी गोपनीय माना गया है जबकि कंपनियों द्वारा अपनाई गई सामान्य नीतियों को देखते हुए कुछ भी अगोपनीय नहीं है। याचिका के खंड VI के लिए कोई सूचीबद्ध सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।
- घ. एम ए पी के आंकड़े एम पी एस के आंकड़ों के साथ मिलान नहीं करते।
- ड. भारत को निर्यातों, घरेलू बिक्रियों और तीसरे देश से संबंधी सूचना स्वरूप से गोपनीय है और यदि घरेलू उद्योग की ऐसी सूचना तक पहुंच होती है तो इसका डी जी टी आर के समक्ष प्रकटन होना चाहिए।
- च. ट्रेड नोटिस 10/2018 निर्यातकों के लिए विपणन और वितरण के माध्यमों, बिक्री वार्ता प्रक्रिया और शेयर धारकों के विवरणों पर सूचना प्रदान करने का अनिवार्य नहीं बनाता। घरेलू उद्योग ने स्वयं ही उत्पादन प्रक्रिया उपलब्ध नहीं कराई है।
- छ. भविष्य की योजनाओं, बाजार कार्यनीति, कच्ची सामग्री की लागतों और उनके प्रभाव, साथ ही अन्य मापदंडों से संबंधित सूचना स्वरूप में अत्यधिक संवेदनशील है।
- ज. गोपनीयता केवल बाह्य सामग्री पर लागू होती है, जिसे डब्ल्यू टी ओ द्वारा स्पष्ट किया गया है। गोपनीयता के अंतर्गत प्राप्त आंकड़े मेघमनी में सर्वोच्च न्यायालय के कानून के नियम की प्रवचना के लिए बचने का एक रास्ता है।

ड. 3. प्राधिकारी द्वारा जांच

22. सूचना की गोपनीयता के संबंध में, नियमावली के नियम-7 में निम्नानुसार व्यवस्था की गई है :-

“गोपनीयता सूचना : (1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।”

23. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के गोपनीयता दावे की जांच की है और संतुष्ट होने पर गोपनीयता पर दावे को स्वीकृति दी है। प्राधिकारी का विचार है कोई सूचना जो स्वरूप से गोपनीय है (उदाहरण के लिए, क्योंकि इसका प्रकटीकरण किसी प्रतियोगी के लिए महत्वपूर्ण रूप से लाभदायक होगा या इसके प्रकटीकरण से सूचना की आपूर्ति करने वाले व्यक्ति या किसी व्यक्ति पर जिससे उस व्यक्ति ने सूचना का अधिग्रहण किया है पर महत्वपूर्ण रूप से विपरीत प्रभाव पड़ेगा) या जो किसी जांच के लिए पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई है, बेहतर कारण दर्शाए जाने पर, प्राधिकारी द्वारा गोपनीय माना जाना चाहिए। ऐसी सूचना का, इसे प्रस्तुत करने वाले पक्षकार की विशिष्ट अनुमति के बिना प्रकटीकरण नहीं किया जाना चाहिए।

24. प्राधिकारी ने आवेदकों और विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए गोपनीयता के दावों पर विचार किया है और इस बारे में संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने गोपनीयता पर स्वीकृति दी है। प्राधिकारी ने नियम 6(7) के अनुसार, अनुरोध किए जाने पर, निरीक्षण के लिए विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय पाठ को सम्मिलित करने वाली सार्वजनिक फाइल को सभी हितबद्ध पक्षकारों के लिए उपलब्ध कराया है।

च. विविध अनुरोध

च. 1. घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

25. घरेलू उद्योगों द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए :

क. ए आई सी ए लेमिनेट्स प्राइवेट लिमिटेड को हितबद्ध पक्षकार के रूप में नहीं माना जा सकता, चूंकि उन्होंने उत्तर प्रश्नावली का अगोपनीय विवरण, यदि कोई हो, को दर्ज नहीं किया न ही कोई सूचना या प्रस्तुति उपलब्ध कराई है तथा मौखिक सुनवाई में भी भाग नहीं लिया।

ख. भारतीय प्लाईवुड और पेनल उद्योग परिसंघ (एफ आई पी पी आई) द्वारा कोई सूचना या अनुरोध दर्ज न कराए जाने की वजह से अहसयोगी माना जाना चाहिए तथा किसी भी सदस्य ने उत्तर प्रश्नावली नहीं भेजी है।

ग. उत्पादक और संबंधित व्यापारियों द्वारा भेजा गया उत्तर पूरी तरह अपर्याप्त है तथा इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। दिए गए उत्तर एक दूसरे से असंगत हैं चूंकि जिस अवधि की सूचना दी गई है वह जांच शुरूआत अधिसूचना में परिभाषित अवधि से अलग है। उत्पादक ने आधार वर्ष के आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए हैं तथा 2017-18 से सूचना उपलब्ध कराई है। इससे संबंधित व्यापारियों द्वारा 2016-17, 2017-18, 2018-19 और जांच अवधि के आंकड़े उपलब्ध कराए हैं।

- घ. डी जी सी आई एंड एस के अनुसार निर्यातकों, उत्पादकों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े और आयात के आंकड़ों में अनेक असंगतताएं हैं जिससे उत्पादकों और निर्यातकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना की विश्वसनीयता पर सवाल उठता है।
- ङ. घरेलू उद्योगों को सिंगापुर से होने वाले आयात की सही मात्रा की पर्याप्त जानकारी नहीं दी गई है। इसलिए महानिदेशक, आंकड़ा प्रणाली को उपलब्ध आंकड़ों की प्रामाणिकता सत्यापित करने के लिए बुलाया जाना चाहिए।
- च. उत्पादक ने केवल स्थापित क्षमता, उत्पादन, भेजी गई सामग्री तथा पी यू सी मालसूची के गत 3 वर्ष के आंकड़े उपलब्ध कराए हैं जबकि प्रश्नावली में गत 5 वर्ष के आंकड़े मांगे गए थे।
- छ. भारत में संबंधित आयातक मित्सुई एंड कंपनी लिमिटेड ने प्रश्नावली के उत्तर के भाग IV में अगोपनीय पाठ यदि कोई हो, को दर्ज नहीं किया है। निर्यातक का यह दावा है कि इतनी अधिक स्तर की गोपनीयता में यहपता लगा पाना असंभव है कि क्या ये निर्यात सीधे भारत को किये गये हैं या आयातक के माध्यम से किए गए हैं।
- ज. पाटन का अंतर बिक्री के संबंध में सामान्य मूल्य की निर्यात कीमत से तुलना करके निर्धारित किया जाना चाहिए जो उस समय में मूल्यों ने आए महत्वपूर्ण बदलावों के यथासंभव आस-पास हो तथा जांच अवधि के दौरान अलग अलग महीनों में आयातों न होने के आधार पर किया जाए।
- झ. प्राधिकारी ने भारत औसत आधार को केवल 2003 और 2008 में अपनाया है जबकि 2010 से 2016 तक ज्यादातर जांचों में पाटन अंतर और क्षति के अंतर का प्राधिकारी द्वारा मासिक आधार पर विश्लेषण किया गया है पाटन अंतर माहवार आधार पर विश्लेषण किया गया है तथा क्षति अंतर वर्तमान मामले में ही उपयुक्त है।
- ञ. व्यापारिक कंपनी अर्थात्, मित्सुई एंड कंपनी (एशिया पैसिफिक) प्राइवेट लिमिटेड के पास यह विकल्प है कि वह थाई उत्पादों को बेचे या सिंगापुर से आने वाले उत्पादों को बेचें। यह कंपनी वर्तमान में शुल्क तालिका में बताये गये समुच्चय में शुल्क की क्षति उठा रही है। इसके अलावा, एम ए पी ने अपना उत्पादन और समग्र बिक्री घटा दी है, थाई उत्पादकों को भारत को होने वाला निर्यात काफी बढ़ा दिया है, जो कि भारत में थाई उत्पादों के निर्यात समूह का एक रणनीतिक फैसला है। इसलिए उनके व्यापार व्यवहार की पड़ताल की जानी चाहिए।
- ट. कोरिया का क्षति का अंतर ऋणात्मक है और इसलिए याचिका दाखिल करते समय इसको निकाल दिया गया है।
- ठ. जहां तक डी जी सी आई एंड एस के आंकड़ों का संबंध है, यह तीसरे पक्ष की सूचना है जिसको इस बाध्यता के साथ प्राप्त किया गया है कि इसे प्रकट नहीं किया जायेगा। फिर भी व्यापार नोटिस के अनुसार कोई भी हितबद्ध पक्षकार ऐसे आंकड़े प्राप्त कर सकता है। पी ई टी रेजिन के आयात के संबंध में प्राधिकारी के द्वारा हाल में की गयी पड़ताल का संदर्भ दिया गया है जिसमें यह बताया गया था कि इसप्रकार के आंकड़ों को किसी भी हितबद्ध पक्ष द्वारा डी जी सी आई एंड एस से सीधे स्वतंत्र रूप से प्राप्त किया जा सकता है।
- ड. उत्पादकों/ भारत को निर्यात करने वाले निर्यातकों और उनसे संबंधित भारत के आयातकों के लिये पाटनरोधी प्रश्नावली के पैराग्राफ 9(iii) के संदर्भ में भारत में संबंधित आयातकों को जांच में भाग लेना होगा चाहे जांच की अवधि के दौरान उनके द्वारा कोई आयात न किया गया हो।
- ढ. अंतिम समीक्षा जांच में जांच अवधि के बाद की सूचना की कोई आवश्यकता नहीं होती। विगत में ऐसे अनेक मामले हैं जिनमें प्राधिकारी ने जांच अवधि के बाद की सूचना को विचाराधीन रखे बिना पाटन की संभावना और उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योगों को क्षति बताई है।
- ण. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योगों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रथम दृष्ट्या साक्ष्यों की सटीकता और पर्याप्तता की पहले ही जांच कर ली है तथा उनसे संतुष्ट होने के बाद ही वर्तमान जांच को शुरू किया है।

- त. जहां तक की बी आई एस प्रमाणन का संबंध है, उस मुद्दे का वर्तमान जांच से कोई संबंध नहीं है।
- थ. घरेलू उद्योगों द्वारा मासिक आधार पर पहले ही आंकड़े उपलब्ध करा दिए गए हैं।
- द. जहां तक व्यापार उपचारी उपायों को गलत प्रयोग का संबंध है, घरेलू उद्योगों को बिलकुल अधिक संरक्षण नहीं दिया गया है तथा पाटनरोधी शुल्क केवल अनुचित कीमत के लिए रखा गया है। प्राधिकारी सभी कानूनी आवश्यकताओं को पूरी करने पर ही शुल्क जारी रखने की सिफारिश करते हैं। निर्यातक आदतन अनुचित मूल्य पर निर्यात करते हैं।
- ध. जहां तक सेंचुरी प्लाई का संबंध है, प्राधिकारी ने प्रारंभन का सार्वजनिक नोटिस एवं हितबद्ध पक्षकारों की सूची जारी की तथा मौखिक सुनवाई का भी आयोजन किया जिसमें कंपनी ने भाग लिया था। कंपनी ने ऐसी कोई संगत सूचना नहीं दी, जिससे प्राधिकारी किसी उचित निर्णय पर पहुंच पाते।
- न. वर्तमान जांच निर्धारित कानून के अनुसार प्रारंभ की गई है। प्रारंभन अधिसूचना की हितबद्ध पक्षकारों को पर्याप्त सूचना उपलब्ध कराती है।
- प. पाटन अंतर और क्षति अंतर की जांच अवधि के लिए गणना की गई है और इसलिए अलग अवधि के लिए विनिमय दर को विचाराधीन नहीं रखा जा सकता।
- फ. भारतीय प्लाईवुड और पैनल उद्योग परिसंघ के सदस्य एम एस एम ई कंपनी नहीं है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा पाटनरोधी शुल्क प्रतिकूल प्रभाव का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है।
- ब. निवल आयात कीमत की गणना भारतीय रुपए में की जाती है। तथापि जब इसकी विचाराधीन उत्पाद की पहुंच कीमत से तुलना की जाती है तो इसे अमेरिकी डालर में परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है। घरेलू उद्योग की निवल आयात कीमत कच्चे माल के ज्यादा भाग के मद्देनजर बदलती विनिमय दर से सीधे प्रभावित होती है और यह वास्तविकता है कि आवक मूल्यों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव होता है।
- भ. एम पी एस पर 219.58 अमेरिकी डालर/ प्रति मीट्रिक टन का पाटनरोधी शुल्क यदि वे भारत को अपना माल अलग निर्यातक के माध्यम से बेचते हैं, जिसका नाम शुल्क तालिका की क्रम संख्या में नहीं दिया गया है।
- म. निर्णायक समीक्षा जांच के लिए विधिक अधिदेश पाटनरोधी शुल्क समाप्त करने की स्थिति में पाटन की संभावना और क्षति का निर्धारण करने के लिए किया गया है। प्राधिकारी ने भारत सहित विभिन्न अधिकार क्षेत्रों में वर्तमान पाटनरोधी शुल्क के बिना पाटनरोधी शुल्क लगाया है।
- य. इस तर्क पर कि आवेदक बाजार में इसकी कीमतें निर्धारित कर रहे हैं, यह अनुरोध किया गया था कि यदि घरेलू उद्योग ने अपनी कीमतें निर्धारित की होती तो उसे लाभ में गिरावट का सामना नहीं करना पड़ता।
- कक. डी पी एल एक स्थापित कंपनी है और इसलिए यह एक सामग्री गतिरोध का मामला नहीं है।

च. 2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों का अनुरोध

26. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किये गये हैं :

- क. शुल्क तालिका की क्रम संख्या 9 के अनुसार एम पी एस अपनी निशुल्क प्रशुल्क दर को तभी प्रयोग कर सकता है जब यह ऐसे किसी निर्यातक के माध्यम से बेचा गया तो जिसका नाम शुल्क तालिका अर्थात् एम ए पी में दिया गया हो। यदि एम पी एस भारत को पी यू सी बेचने के लिए किसी अलग निर्यातक का चुनाव करता है जिसका नाम क्रम संख्या 9 में नहीं दिया गया है तो 219.58 अमेरिकी डॉलर/ प्रति मीट्रिक टन प्रशुल्क लगाया जायेगा।
- ख. डी जी टी आर ने शुल्क तालिका में निर्यातकों की सूची उपलब्ध कराना समाप्त कर दिया है लेकिन सहयोगी आवश्यकताओं के लिए उसी परिपाटी और प्रक्रिया को बनाये रखा है। जांच अवधि के दौरान कोई ए डी डी न होने के बावजूद एम पी एस और एम ए पी से होने वाले निर्यात में लगातार गिरावट आई है।

- ग. डी जी टी आर ने आयातों के स्रोतों के बीच भेदभाव किया है तथा ईयू और सिंगापुर के विरुद्ध बिना कोई कारण दर्ज किये जांच शुरू करके पूरी तरह से एम एफ एन सिद्धांतों के विरुद्ध कार्य किया है। जबकि कोरिया से आयातों को इससे बाहर रखा गया है। हालांकि सिंगापुर और ईयू दोनों से मिलाकर होने वाले आयात से कोरिया का आयात ज्यादा है और यह सिंगापुर से तुलना करने पर 11 प्रतिशत कम कीमत पर है।
- घ. निर्यातक द्वारा ई-मेल संचार माध्यम से 6 अप्रैल, 2021 को अनुरोध दर्ज करने पर भी डी जी टी आर द्वारा सभी हितबद्ध पक्षों को उसी प्रारूप और ढंग से आयात आंकड़े उपलब्ध कराने में डी जी टी आर असफल रहा है। जिस रूप और ढंग से इसे रिकार्ड में लिया गया है जो कि एगजोटिक डेकोर प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य बनाम डी जी टी आर, डी जी ए डी में माननीय सी ई एस टी ए टी द्वारा दिए गए निर्णय के विपरीत है।
- ङ. जहां तक भारत को होने वाले निर्यातों के लिए रिपोर्ट की जाने वाली प्रवृत्तियों में अंतर का संबंध है, एम ए पी और एम पी एस संबंधित है, फिर भी एन ए पी एक स्वतंत्र व्यापार बना हुआ है तथा इसके लिए किसी अन्य देश में बनने वाले पी यू सी सहित रासायनिक उत्पादों के निर्यात की वाणिज्यिक स्वतंत्रता यथावत नहीं हुई है। एम पी एस और एम ए पी ने अपनी संबंधित पुस्तकों में रखे हुए रिकार्डों के आधार पर अपने निर्यात आंकड़े दिए हैं।
- च. जहां तक भारत में संबंधित निर्यातकों के हिस्सा न लेने का संबंध है, मित्सुई एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नामक इस कथित आयातक द्वारा जांच अवधि के दौरान एम पी एस से पी यू सी का कोई आयात नहीं किया गया। याचिकाकर्ता द्वारा जांच की अवधि के बाद के पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध नहीं कराये गये हैं, जो कि हितबद्ध पक्षों तथा डी जी टी आर के लिए आवश्यक हैं ताकि डी आई को बार-बार और लगातार होने वाली क्षति की संभावना का निर्धारण कर किया जा सके।
- छ. याचिकाकर्ता का यह दावा कि निर्णायक समीक्षा जांच का प्रारंभ अनिवार्य है, गलत है। इस बारे में केसोराम रेयान बनाम डी जी टी आर एवं अन्य का संदर्भ दिया गया है, जिसमें यह तय किया गया था कि एस एस आर प्रारंभ के अनुरोध को विधिवत मानने या न मानने का निर्णय समीक्षा जांच शुरू होने से पहले किया जाए।
- ज. अनिवार्य बी आई एस प्रमाणन आवश्यकताओं के कारण कठोर प्रमाणन आवश्यकताओं तथा उससे जुड़ी लागतों से आयातों में और अधिक गिरावट आएगी।
- झ. मासिक विश्लेषण करने के लिये याचिकाकर्ता द्वारा कोई भी बाध्यकारी कारण उपलब्ध नहीं कराया गया। डी जी टी आर के मानक संचालन प्रक्रिया मैनुअल के पैरा 11.07.21 में विनिर्दिष्ट किया गया है कि मासिक या त्रैमासिक विश्लेषण केवल तभी किये जायें जब कच्चे माल की कीमतों में बदलाव के कारण उत्पादन की आवधिक लागत में व्यापक बदलाव होता है। मासिक आंकड़ों का प्रारूप ख और ङ में उपलब्ध कराया गया है।
- ञ. पाटनरोधी जांच में किसी भी मासिक तुलना का निर्धारण कटौती, क्षति के अंतर और पाटन मूल्य का मूल्यांकन के बिना नहीं किया जा सकता। मासिक पाटन निर्धारण के लिए डी जी टी आर को व्यापार के सामान्य क्रम में हुई घरेलू बिक्री का मासिक परीक्षण करना होगा जिसके लिए उसे मासिक लागत आंकड़े मंगाने होंगे।
- ट. याचिकाकर्ताओं को एक दशक से अधिक के लिए व्यापारिक उपचारों द्वारा संरक्षित किया गया है। किसी अक्षम घरेलू उद्योग के लिए ए डी डी को बनाए रखना प्रयोक्ता और घरेलू उद्योग दोनों के लिए निवारक सिद्ध हुआ है।
- ठ. सेंचुरी प्लाई को न तो सीधे एस एस आर के संबंध में या मेल के माध्यम से कोई प्रति प्रदान की गई और न ही उन्हें मौखिक सुनवाई के बारे में जानकारी दी गई है।

- ड. वर्तमान जांच में आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों और प्रकाशित आंकड़ों का आपस में कोई संबंध या सत्यापन नहीं दिखाया गया है तथा यह भी बताया गया है वास्तविक तथ्यों की जांच से बचने के लिए तीसरे पक्ष के प्रमाणीकरण का उपयोग एक दण्डनीय अपराध है।
- ढ. आवेदकों के पास उपभोक्ता उद्योगों के खिलाफ कोई स्वतः स्फूर्त कानूनी अधिकार नहीं है तथा उपभोक्ता उद्योगों की ओर से आवेदकों के सामान्य बिक्री कीमत के अतिरिक्त लागत वहन करने के लिए कोई बाध्यकारी कानूनी दायित्व नहीं है।
- ण. मानक प्रक्रिया और पिछली परिपाटियां कानून नहीं हैं बल्कि आगे के तरीके पर केवल एक प्रकाश हैं। इसका सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 9क (8) या पाटनरोधी समझौते से निर्दिष्ट निषेध के विपरीत ये उपाय संधि और नगरपालिका कानूनों को प्रतिस्थापित नहीं कर सकते हैं। ए डी डी के आर को कम करने के लिए पिछली परिपाटियों और दक्षताओं सहित डी जी टी आर का निर्धारण केवल धारण और अंदाज पर आधारित है, इसलिए यह संगत नहीं है।
- त. जांच की अवधि की विनियम दर पर मुद्रा को परिवर्तित करना छलावा और एक चाल है क्योंकि सीमा शुल्क मूल्यमान पर हुए समझौते में यह बताया गया है कि परिवर्तन लेन देन की तारीख को हुआ है। आवेदकों को एम टी आर प्राप्त करने से कोई नहीं रोकता है।
- थ. गैट की प्रस्तावना एम एस एम ई को भी समान अधिकार देती है जोकि आवेदक से बेहतर अधिकार है तथा व्यापार के सामान्य क्रम में अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर कच्चा माल प्राप्त करना एक वैध अधिकार है।
- द. उपभोक्ता के लिए आयात महत्वपूर्ण है क्योंकि देश में मांग घरेलू उद्योग की उत्पादन क्षमता से अधिक है। यदि ए डी उपाय प्रयुक्त किए जाते हैं तो बिक्री मूल्य आवेदकों द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए। घरेलू उद्योग अपने उत्पादों को उससे अधिक पर बेचेगा।
- ध. ए डी डी को जारी रखने का एम एस एम ई पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा जो फिनोल के लिए प्रमुख उपयोगकर्ता उद्योग का गठन करता है तथा जो एम एस एम ई को पोषित करने के लिए सरकार के लक्ष्य के अनुरूप एक ऐसा परिस्थितिकी तंत्र उपलब्ध कराएगा जो बड़े उद्योगों के शिकारी और एकाधिकारवादी व्यवहार से मुक्त होगा।
- न. कोविड-19 का प्रभाव अगले 3 से 5 वर्षों तक भारत में एम एस एम ई को प्रभावित करना जारी रख सकता है इसलिए ए डी डी के रूप में एम एस एम ई पर अतिरिक्त लागत का बोझ डालना उचित नहीं है।
- प. घरेलू उद्योग के एन आई पी की गणना भारतीय रुपए में की जानी चाहिए न कि अमेरिकी डालर में।
- फ. याचिका के पैरा 85-88 में दिए गए तर्क तथ्यात्मक रूप से गलत हैं क्योंकि मूल जांच में एम एस पी तथा एम ए पी पर न्यूनतम पाटन अंतर के कारण कोई शुल्क लागू नहीं था।
- ब. ए डी डी के अनुच्छेद 11 में पाटन घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने वाला बताया गया है जो यह इंगित करने के लिए पर्याप्त है कि ऐसे पाटन की निंदा की जा सकती है जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाता है।
- भ. शुरूआती नोटिस करण बताओ नोटिस नहीं है। शुरूआती नोटिस में पूरा विवरण और सूचना नहीं दी गई है, इसलिए कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता।
- म. उपभोक्ता उद्योग घरेलू उत्पादक को तरजीह देता है इसलिए आवेदक बाजार में कीमतें तय करने का प्रयास करता है।
- य. पाटन के अंतर का अंतिम विश्लेषण संबंधित देश के सहयोगी निर्यातकों के सत्यापित आंकड़ों पर आधारित होगा।
- कक. याचिकाकर्ताओं द्वारा संदर्भित एफ आई पी पी आई सदस्यों की सूची पुरानी है और पूरी नहीं है। चूंकि 80 प्रतिशत उत्पादन एम एस एम ई क्षेत्र में है, एक जिम्मेदार संघ के रूप में एफ आई पी पी आई का उद्योग के समग्र हितों के लिए दायित्व है, भले ही वे ऐसे सदस्य हों जो एम एस एम ई नहीं हैं।

- खख. प्रश्नावली केवल कुछ सूचनाओं तक सीमित है और हितबद्ध धारक को अपने अनुरोध देने की अनुमति नहीं देती है और इसे असहयोग माना जा सकता है।
- गग. आवेदकों द्वारा दायर फर्जी आंकड़ों के आधार पर शुरू की गई सुरक्षा जांच में एफ आई पी पी आई द्वारा 2019 में उद्योग के विवरण के साथ एक अनुरोध किया गया था।
- घघ. प्रश्नावली का उत्तर दाखिल नहीं करने से संबंधित पक्ष केवल विशिष्ट निर्धारण के स्तर पर अयोग्य हो जाएगा लेकिन जांच में भाग लेने के इच्छुक पक्ष के रूप में इससे उसका अधिकार समाप्त नहीं होता।
- ङङ. चूंकि कोविड-19 के कारण सूचना प्रदान करने की क्षमता पर असर पड़ा है। अतः यूरोपीय संघ के निर्यातक जो सूचना प्रदान करने के इच्छुक हैं, उन्हें इस स्तर पर भी अनुमति दी जानी चाहिए। गैर-भागीदारी के मामले में, सर्वोत्तम तथ्यों को लागू किया जाना चाहिए न कि प्रतिकूल तथ्यों को।
- चच. घरेलू उद्योग से खरीदारी करने वाले प्रयोक्ताओं और आयातकों ने घरेलू उद्योग से बदले की आशंका के कारण अपना उत्तर दर्ज नहीं किया और इस प्रकार प्रयोक्ता संघ चलन में आ गए।
- छछ. अनुरोध भेजने की कोई समय सीमा नहीं है तथा जांच शुरू करने की अधिसूचना में उल्लिखित की गई समय सीमा केवल प्राधिकारी द्वारा मांगी गई सूचना से संबंधित है।
- जज. महीने वार विश्लेषण के बजाए जांच की पूरी अवधि को ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के बदलाव को समाप्त करने पर एक उचित औसत प्राप्त होता है।
- झझ. वर्तमान जांच में मासिक विश्लेषण का अर्थ यह है कि थाईलैण्ड की जांच में किया गया भारित औसत विश्लेषण गलत है। प्राधिकारी को एक सुसंगत दृष्टिकोण अपनाना चाहिए जैसा कि अधिकांश हालिया जांचों में अपनाया गया है।
- ञञ. एम पी एस और एम ए पी के लिए मूल जांच में न्यूनतम पाटन अंतर के दावों का खंडन करने के लिए घरेलू उद्योग की ओर से अनुरोध करने या साक्ष्य प्रदान करने में विफलता यह स्वीकारोक्ति है कि यहां कोई शुल्क नहीं है।
- टट. प्रश्नावली प्रारूप में सहकारी निर्यातक को घरेलू बिक्री या तीसरे देशों को निर्यात की पी बी आई टी पर जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है।
- ठठ. थाईलैण्ड में पी यू सी का कोई उत्पादक नहीं है जो कि एम ए पी से संबंधित है। मित्सुई थाईलैण्ड केवल व्यापार और बिक्री गतिविधियां करता है और थाईलैण्ड में एक असंबद्ध निर्माता उत्पादित सामग्री का भारत को निर्यात करता है।
- डड. एम पी एस की भारत में कोई संबद्ध कंपनी नहीं है। एम ए पी की भारत में एक संबंधित कंपनी है जो जांच की अवधि में एम पी एस से पी यू सी के आयात में शामिल नहीं थी।

च. 3. प्राधिकारी द्वारा जांच

27. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों पर विचार किया है।
28. डी सी आई एंड एस के आंकड़ों का खुलासा करने के संबंध में, 15 मार्च 2018 की प्राधिकारी की व्यापार सूचना संख्या 7/ 2018 घरेलू उद्योगों के साथ साथ अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिए डी जी सी आई एंड एस आंकड़े एकत्र करने की प्रक्रिया निर्धारित करती है। इस प्रकार हितबद्ध पक्षकारों द्वारा व्यापार नोटिस के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके डी जी सी आई एंड एस के आंकड़े प्राप्त किए जा सकते थे। इस प्रकार, प्राधिकारी नोट करते हैं कि अब लागू की जा रही प्रक्रिया सुसंगत है, सभी पक्षों एवं जांचों में एक समान है, न्यायसंगत है। हितबद्ध पक्षकारों को अपने हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करती है।
29. जहां तक भारत में संबंधित आयातक की गैर-भागीदारी का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उचित सत्यापन के बाद यह पाया गया कि संबंधित आयातक ने उत्पाद का आयात नहीं किया है।

30. जहां तक जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों का संबंध है यह नोट किया जाता है कि अंतिम समीक्षा जांच में जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों की जांच अनिवार्य नहीं है।
31. एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में भारतीय प्लाईवुड और पैनल उद्योग परिसंघ की पात्रता पर किए गए अनुरोधों के संबंध में प्राधिकारी ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई परिपाटी के आधार पर किए गए अनुरोधों को स्वीकार किया और जांच की, इसमें एफ आई पी पी आई सहित सभी हितधारी पक्ष शामिल हैं।
32. जहां तक मासिक आधार पर पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के निर्धारण के लिए अनुरोध का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबंधित आंकड़ों का मासिक आधार पर विश्लेषण किया गया है, जिसमें कीमतों और समान समय अवधि के भीतर आयातों की मात्रा में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। इसके बाद, संबंधित संबद्ध देशों के लिए मासिक आयात मात्रा का भार लेकर जांच की अवधि के लिए भारित औसत क्षति मार्जिन, पाटन मार्जिन और कीमत कटौती की गणना की गई है।
33. जहां तक अत्यधिक सुरक्षा का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि कितनी बार निर्णायक समीक्षा की जा सकती है और पाटनरोधी शुल्क बढ़ाया जा सकता है, इस पर कोई एक मत नहीं है। नियमों में प्राधिकारी को यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि क्या पाटनरोधी शुल्क को समाप्त करने से घरेलू उद्योग को पाटन से होने वाली क्षति के जारी रहने या इसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। आगे यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश तभी की जाती है जब अपेक्षित कानूनी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं।
34. जहां तक बी आई एस प्रमाणीकरण का संबंध है यह नोट किया जाता है कि यह मुद्दा वर्तमान जांच के लिए अप्रासंगिक है।
35. जहां तक एन आई पी की गणना का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह निर्धारण निर्धारित नियमों और प्राधिकारी की प्रचलित परिपाटियों के अनुसार किया गया है। घरेलू उद्योगों को गोपनीय आधार पर एम आई पी के निर्धारण के लिए कामकाज के प्रकटीकरण की एक गोपनीय प्रति प्रदान की जाती है। इसी प्रकार निवल निर्यात मूल्य और सामान्य मूल्य की गोपनीय प्रति सहयोगी उत्पादक और निर्यातक को गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई जा रही है।
36. प्राधिकारी नोट करते हैं कि उपयोगकर्ता संघों द्वारा किए गए दावों को पर्याप्त पुख्ता साक्ष्यों के साथ प्रमाणित नहीं किया गया है ताकि उनके सदस्यों पर शुल्कों के प्रभाव को अर्हक माना जा सके। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने का उद्देश्य आयातक को रोकना नहीं है बल्कि अनुचित व्यवहारों के कारण आयातों के कारण होने वाली व्यापार विकृति को दूर और इन आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करना है। इसलिए पाटनरोधी शुल्क लगाने से किसी भी तरह से आयात पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और न ही यह उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद की उपलब्धता को प्रभावित करेगा, बल्कि ए डी डी देश में केवल निष्पक्ष और खुली प्रतिस्पर्धा को स्थापित करता है।
37. जहां तक घरेलू उद्योग द्वारा दायर याचिका में आंकड़ों की अशुद्धि का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान किए गए साक्ष्य की सटीकता और पर्याप्तता की जांच करने और उससे संतुष्ट होने के बाद ही शुरू की गई है।

छ. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

छ. 1. घरेलू उद्योग के अनुरोध

38. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :
 - क. संबद्ध देशों में सामान्य मूल्य आई सी आई एस रिपोर्ट में सूचित की गई कीमतों पर आधारित है।
 - ख. उत्पादक और निर्यातक ने प्राधिकारी के साथ पूर्व सहयोग नहीं किया है और इसलिए प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए।

- ग. निर्यात कीमत अमेरिकी डालर में है और इसके सामान्य मूल्य की गणना अमेरिकी डालर में की जाती है।
- घ. जहां तक यूरोपीय संघ का संबंध है घरेलू उद्योग ने यूरो स्टेट आंकड़ों के अनुसार यूरोप में प्रचलित कीमत उपलब्ध कराई है जिसे सूचना के आधार पर सत्यापित किया जाना है। सिंगापुर का भी यही हाल है।
- ङ. आई सी आई एस रिपोर्ट एक “स्वीकार्य सामग्री” है और सामान्य मूल्य के लिए विश्वसनीय है। हितबद्ध पक्षकारों ने सी ई एस टी ए टी के आदेश का हवाला दिया है यह भी नहीं दिखाया यह वर्तमान मामले के तथ्यों पर कैसे लागू होता है।
- च. प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य की गणना के लिए अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित कीमतों पर बार-बार भरोसा किया है। घरेलू उद्योग ने प्रथम दृष्टया निरंतर पाटन के अस्तित्व को स्थापित करने के उद्देश्य से सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए आई सीआई एस – एल ओ आर कीमतों पर भरोसा किया है।
- छ. मूल्य, समायोजन प्राधिकारी के अनुभव, रूढ़िवादी अनुमानों और स्थापित परिपाटी के अनुसार किया है। घरेलू उद्योग ने सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना प्रदान की है।

छ. 2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

39. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन अंतर के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :
 - i. प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के आधार पर पाटन और क्षति का एम पी एस एवं एम ए पी का अलग अलग अंतर दिया जाना चाहिए।
 - ii. शुल्क का कोई संदर्भ नहीं होता यदि उसी उत्पादक के लिए परिकलित सामान्य मूल्य का उल्लेख किया जाता है तो ऐसे सामान्य मूल्य पर कम के कम निर्यात पर शुल्क लगाया जाता है।
 - iii. सिफारिशों में तीन संकेतक शामिल होने चाहिए, ये हैं सामान्य मूल्य, पाटन अंतर और क्षति रहित मूल्य जो बिना किसी परिवर्तन के साथ हों।
 - iv. एक निर्यातक के लिए सामान्य मूल्य उसके घरेलू बाजार में प्रचलित मुद्रा के अलावा किसी अन्य मुद्रा में नहीं हो सकता। तदनुसार, पाटन अंतर को भी इसी मुद्रा में निर्धारित किया जाना चाहिए।
 - v. सिंगापुर के लिए दक्षिण एशिया की कीमतों को अपनाया गया है जो कि टिकाऊ नहीं है। क्योंकि सामान्य मूल्य देश विशिष्ट हैं। यूरोपीय संघ के लिए सामान्य मूल्य यूरो स्टेट आंकड़ों पर भरोसा करके निर्धारित नहीं किया जा सकता।
 - vi. पाटनरोधी जांच में व्यापार पत्रिकाओं पर आधारित सामान्य मूल्यों पर भरोसा नहीं किया जा सकता।
 - vii. आवेदक निर्यात कीमत में किए गए समायोजन के लिए साक्ष्य उपलब्ध कराने में विफल रहे और इसलिए दिखाया पाटन नगण्य है। याचिकाकर्ताओं ने सामान्य मूल्य को बढ़ा दिया है और पाटन अंतर तक पहुंचने के लिए निर्यात कीमत को कम कर दिया है।
 - viii. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है। इसलिए, यह नहीं माना जा सकता है कि पाटन का परिमाण घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन को प्रभावित करने वाला एक कारक है।

छ. 3. प्राधिकारी द्वारा जांच

40. धारा 9(1)(ग) के अधीन, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:
 - (i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
 - (ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो, अथवा

(ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत।

41. जांच शुरू करते समय प्राधिकारी ने उन तथ्यों को लेकर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है, जिन्हें जांच शुरू करने के लिए पर्याप्त माना जाता था, हालांकि जांच शुरू करने के बाद सामान्य मूल्य का निर्धारण हितबद्ध पक्षों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है।
42. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों को प्रश्नावली भेजी, जिसमें उन्हें सलाह दी गई कि वे निर्धारित प्रारूप एवं ढंग से जानकारी उपलब्ध करायें। प्राधिकारी को निम्नलिखित उत्पादकों/ निर्यातकों ने निर्धारित उत्तर प्रश्नावली भेजकर इस जांच में सहयोग किया है :
 - i. मित्सुई फिनोल्स सिंगापुर प्रा. लिमि. (एम पी एस)
 - ii. मित्सुई (एशिया पैसिफिक) प्रा. लिमि. (एम ए पी)
43. घरेलू उद्योगों के अनुरोध को देखते हुए और फिनोल की कीमत में महत्वपूर्ण उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए, संबद्ध देशों के सभी उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत मासिक आधार पर निर्धारित की गई है।

छ. 4. सामान्य मूल्य का निर्धारण

सिंगापुर

छ. 4.1 मित्सुई फिनोल्स सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड के लिए सामान्य मूल्य

44. सिंगापुर से सहयोगी उत्पादक और निर्यातक अर्थात् एम पी एस और इसके संबद्ध व्यापारी अर्थात् मित्सुई (एशिया पैसिफिक) प्रा. लिमि. द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों से यह नोट किया गया है कि जांच की अवधि के दौरान घरेलू बिक्रियां असंबद्ध ग्राहकों के लिए तथा एम ए पी के माध्यम से की गई हैं। प्रश्नावली प्रत्युत्तर की जांच की गई है और यह नोट किया है कि प्रतिवादी ने आवश्यक परीक्षणों के लिए लागत संबंधी आंकड़ों के साथ संबंधित परिशिष्ट में संबद्ध वस्तुओं की घरेलू बिक्रियों की कीमत का ब्यौरा उपलब्ध कराया है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि संबंधित ग्राहकों के लिए कीमत असंबद्ध ग्राहकों की तुलना में अधिक है। प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए सभी घरेलू बिक्रियों पर विचार किया है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि *** मी. ट. की बिक्री की गई थी। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि भारत के लिए निर्यातों की मात्रा के साथ जब घरेलू बिक्रियों की तुलना की गई तो ये पर्याप्त मात्रा में पायी गई। इसलिए सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए घरेलू बिक्रियों पर विचार किया गया है। प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन लागत के संदर्भ में घरेलू बिक्रियों के लेन देनों से लाभ का निर्धारण करने के लिए सामान्य अवधि का व्यापार परीक्षण किया। यदि लाभ कमाने वाले लेन देन 80 प्रतिशत से अधिक होते हैं, तो प्राधिकारी सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए घरेलू बाजार में समस्त लेन देनों के बारे में विचार करते हैं। जहां पर लाभ संबंधी लेन देन 80 प्रतिशत से कम होते हैं, वहां पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए केवल लाभ योग्य घरेलू बिक्रियों पर ही विचार किया जाता है। साधारण अवधि के व्यापार परीक्षण के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए लाभ योग्य घरेलू बिक्रियों को ही ध्यान में रखा गया है क्योंकि लाभ योग्य बिक्रियां मात्रा में 80 प्रतिशत कम थीं। इसके अलावा, एम पी एस ने क्रेडिट लागतों पर समायोजनों का दावा किया है और प्रस्तुत की गई सूचना की परोक्ष प्रति जांच करने के बाद प्राधिकारी द्वारा इसकी जांच की गई है। इस प्रकार निर्धारित एम पी एस के सामान्य मूल्य के बारे में नीचे दी गई पाटन मार्जिन सारणी में उल्लेख किया है।

सिंगापुर में असहयोगी निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

45. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि सिंगापुर से किसी भी अन्य निर्यातक/ उत्पादक ने वर्तमान जांच में प्राधिकारी को प्रत्युत्तर नहीं दिया है। सिंगापुर में सभी असहयोगी निर्यातकों/ उत्पादकों के लिए प्राधिकारी उपलब्ध तथ्यों के

आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करते हैं। इस प्रकार से निर्धारित सामान्य मूल्य के बारे में नीचे दी गई पाटन मार्जिन सारणी में दिया गया है।

यूरोपीय संघ में सभी निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

46. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि ई यू से किसी भी उत्पादक/ निर्यातक ने वर्तमान जांच में प्राधिकारी को प्रत्युत्तर नहीं दिया है। ई यू में सभी निर्यातकों/ उत्पादकों के लिए प्राधिकारी उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करते हैं। प्राधिकारी ने यूरोस्टेट आंकड़ों के अनुसार यूरोपियन संघ के भीतर विचाराधीन उत्पाद की भारित औसत कीमत पर विचार किया है। इस प्रकार से निर्धारित सामान्य मूल्य के बारे में नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है।

छ. 5. निर्यात कीमत का निर्धारण

मित्सुई फिनोल्स सिंगापुर प्रा. लिमि.

47. अपने प्रश्नावली प्रत्युत्तर में एम पी एस ने यह घोषणा की है कि एम पी एस ने एम ए पी के माध्यम से जांच अवधि के दौरान भारत के लिए *** संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। प्राधिकारी ने क्रेडिट लागतों एवं बैंक प्रभारों के आधार पर निर्यातक द्वारा यथा दावा किए गए समायोजन की अनुमति दे दी है। यह नोट किया गया है कि एम पी एस और एम ए पी ने जांच की अवधि के केवल एक महीने भारत के लिए संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया। मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने उसी महीने के लिए संबद्ध वस्तुओं के सामान्य मूल्य के साथ सिंगापुर से सहयोगी उत्पादक एवं निर्यातक की निर्यात कीमत की तुलना की है। एम पी एस के लिए निर्धारित निवल निर्यात कीमत नीचे तालिका में दर्शायी गई है।

सिंगापुर में असहयोगी निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

48. चूंकि सिंगापुर से विचाराधीन उत्पाद का केवल एक ही उत्पादक है, इसलिए प्राधिकारी का अवशिष्ट श्रेणी के लिए इसी निर्यात कीमत और सामान्य मूल्य पर विचार करने का प्रस्ताव है।

यूरोपियन संघ में सभी निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

49. यूरोपियन संघ से किसी भी निर्यातक/ उत्पादक ने प्रश्नावली प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। इसलिए, प्राधिकारी यह मानते हैं कि यूरोपियन संघ से उत्पादकों/ निर्यातकों ने असहयोग को वरीयता दी है। यूरोपियन संघ से सभी निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत उचित समायोजन के बाद डी जी सी आई एंड एस में सूचित किए गए आयातों के आधार पर निर्धारित की गई है। तदनुसार, निर्धारित निर्यात कीमत के बारे में नीचे दी गई पाटन मार्जिन सारणी में सूचना उपलब्ध है।

छ. 6. पाटन मार्जिन का निर्धारण

50. संबद्ध वस्तुओं के लिए माहवार सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत को ध्यान में रखते हुए संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के लिए भारित औसत पाटन मार्जिन का निर्धारण संबंधित संबद्ध देशों के लिए मासिक आयात मात्रा पर विचार करने के बाद किया गया है:

देश	उत्पादक/ निर्यातक का नाम	सामान्य मूल्य/ सी एन वी (अमेरिकी डालर/ मी. ट.)	निर्यात कीमत (अमेरिकी डालर/ मी. ट.)	पाटन मार्जिन (अमेरिकी डालर/ मी. ट.)	पाटन मार्जिन %	पाटन मार्जिन रेंज
सिंगापुर	मित्सुई फिनोल्स सिंगापुर प्रा. लिमि.	***	***	***	***	10-20
सिंगापुर	सिंगापुर के अन्य उत्पादक	***	***	***	***	10-20
यूरोपियन संघ	अन्य उत्पादक एवं निर्यातक	***	***	***	***	30-40

ज. क्षति और कारणात्मक संबंध

ज. 1. घरेलू उद्योग के अनुरोध

51. क्षति और कारणात्मक संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :

- क. विभिन्न स्रोतों से देश में पाटित आयातों के होने की वजह से घरेलू उद्योग की क्षति हुई।
- ख. जबकि इस क्षति का कारण मुख्यतः अन्य देशों से हुए आयात हैं और निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अब पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की है, तो यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग की स्थिति कमजोर है तथा घरेलू उद्योग को पाटन से क्षति होने की संभावना है जिससे पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति होने की स्थिति में सिंगापुर और ई यू अधिकता होने की संभावना है।
- ग. दीपक फिनोलिक्स ने एक बड़े पैमाने की सुविधा की स्थापना करके नवंबर, 2018 में अपनी क्षमता में विस्तार किया और परिणामस्वरूप, देश में मांग और आपूर्ति का अंतर कम हुआ जिससे फिर आयातों में कुछ कमी हुई। तथापि, इसके बावजूद, देश में पर्याप्त आयात हुए थे।
- घ. सिंगापुर से आयात, यद्यपि कम हुए प्रतीत हुए। ये जांच की अवधि के दौरान एक अकेले महीने के दौरान होने की सूचना मिली थी। ऐसी छोटी सी अवधि के दौरान मांग को ध्यान में रखते हुए इन आयातों की मांग बहुत अधिक है।
- ङ. चूंकि पक्षकार संबंधित हैं इसलिए थाइलैण्ड से आयातों के साथ साथ सिंगापुर से हुए आयातों पर विचार किया जाना चाहिए और प्राधिकारी ने थाइलैण्ड से आयातों पर शुल्क लगाने की सिफारिश की है।
- च. घरेलू उद्योग आयात की कीमतों के बराबर अपनी कीमतों को लाने में मजबूर हुआ है, उससे हानियां हो रही हैं। पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में घरेलू उद्योग के विक्रय मूल्य में काफी कमी हुई है। आयातों से कीमतों में कटौती हो रही है और घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव पड़ रहा है। क्षति मार्जिन सकारात्मक और पर्याप्त है।
- छ. चूंकि डी पी एल ने वर्ष 2018-19 के दौरान अपना उत्पादन शुरू किया, इस कारण क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, बिक्री और उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। अप्रैल 2019 – जून, 2020 तक क्षमता उपयोग में बढ़ोतरी हुई लेकिन जांच की अवधि के दौरान इसमें गिरावट हुई। घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में गिरावट की वजह से देश में पाटन होना है।
- ज. लाभप्रदता, नकद लाभों और निवेश पर लाभ में अप्रैल 2018 – जून 2019 में सुधार हुआ परन्तु जांच अवधि के दौरान इनमें काफी गिरावट आयी। घरेलू उद्योग की आयात कीमत में कमी और परिणामी कीमत दबाव की वजह से घरेलू उद्योग की लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।
- झ. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में बढ़ोतरी हुई जिससे नई-नई उत्पादन क्षमताएं, देश में पर्याप्त मांग एवं उत्पादन प्रक्रिया को स्वरूप मिल सकता है। तथापि, पाटनरोधी शुल्क न होने की स्थिति में संबद्ध देशों से आयातों से घरेलू उद्योग के बाजार शेयर पर तेजी से कब्जा कर लेने की संभावना है।
- ञ. जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की समान 'सूचियों' में काफी बढ़ोतरी हुई है। पाटन मार्जिन न्यूनतम से अधिक और पर्याप्त है।
- ट. ब्याज में बढ़ोतरी एवं लागत संबंधी मूल्यहास डी पी एल के नए संयंत्र की स्थापना करने से हुआ है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई थी एवं अपनी ब्याज लागत की वसूली करने का पात्र नहीं है। पूर्ववर्ती वर्ष तक घरेलू उद्योग के लाभों में बढ़ोतरी हुई और जांच की अवधि के दौरान कमी आयी। बढ़ोतरी के बाद यह गिरावट ब्याज और मूल्यहास लागतों की वजह से नहीं है।
- ठ. पाटनरोधी शुल्क होने के बावजूद घरेलू उद्योग निवेश पर लाभ अर्जित करने में असमर्थ है। डी पी एल को हटा देने के बाद भी अन्य भारतीय उत्पादक निवेशों पर उचित लाभ अर्जित नहीं कर रहे हैं।

- ड. निर्णायक समीक्षा जांच में कारणात्मक संबंध की आवश्यकता नहीं होती है।
- ढ. कोविड-19 की स्थिति का जहां तक संबंध है, घरेलू उद्योग की स्थिति के बारे में सर्वांगपूर्ण परिस्थितियों के संदर्भ में ही नहीं विचार करना चाहिए, अपितु घरेलू उद्योग की विशिष्ट परिस्थितियों के संदर्भ में विचार करना चाहिए। वास्तव में, कोविड-19 से कंपनियां वैश्विक रूप से प्रभावित हुई हैं।
- ण. घरेलू उद्योग को क्षति होने का कारण केवल पाटन ही नहीं हो सकता है। वस्तुतः पाटन क्षति का प्रमुख कारक नहीं बन सकता है।
- त. नियमावली में पाटित आयातों के अलावा अन्य कारकों की वजह से घरेलू उद्योग को हुई क्षति को पृथक् करना प्राधिकार है, जिसके लिए वर्ष 2016-17 और 2017-18 में एच ओ सी एल को उत्पादन की यूनिट लागत, लाभ/ हानि नकद प्रवाह, और निवेश पर लाभ 80 प्रतिशत दर क्षमता उपयोग पर विचार करके प्रावधान किया गया था।
- थ. दीपक फनोलिक्स एक बहु-उपाद कम्पनी है और कंपनी का संपूर्ण उत्पादन वर्तमान जांच में प्रासंगिक नहीं है।
- द. भारत एल डी आर का पालन करता है और इसलिए लगाए गए शुल्क सदैव कम होते हैं।
- ध. डी ए सभी स्थितियों में 22 प्रतिशत लाभ देने की एक प्रक्रिया है और इसलिए इक्विटी के सिद्धांत की यह मांग है कि इसे सभी स्थितियों में लागू किया जाता है।
- न. निर्णायक समीक्षा के मामले में संचयी मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका पर संदर्भ दिया गया है-अर्जेटीना से आयल कंट्री टवलर गुड्स पर यूनाइटेड स्टेट्स – सनसेट रिव्यू ऑफ एंटी इम्पिंग उपायों पर संदर्भ किया गया है, जिसमें यह बताया गया था कि अनुच्छेद 11.3 संचयी मूल्यांकन करने से प्राधिकारी को बाधित नहीं करता है। तथापि, पाटनरोधी समझौते के अनुच्छेद 11.3 की शर्तें निर्णायक समीक्षाओं के संदर्भ में लागू नहीं होती हैं।
- प. चूंकि दीप फनोलिक्स ने वर्ष 2018-19 के दौरान अपना उत्पादन शुरू कर दिया गया था, इसलिए घरेलू उद्योग को विक्रियों में क्षति अवधि के दौरान बढ़ोतरी हुई है।
- फ. संबद्ध देशों से हुए आयातों की वजह से हुई क्षति का घरेलू उद्योग ने दावा किया गया है। घरेलू उद्योग को अन्य स्रोतों से हुए पाटन की वजह से क्षति हो रही है। तथापि, अन्य देशों पर पाटनरोधी शुल्क समाप्त कर देने की स्थिति में घरेलू उद्योग को पाटन एवं परिणामी क्षति होने की संभावना है।
- ब. घरेलू उद्योग ने रोजगार, मजदूरी अथवा उत्पादकता के आधार पर क्षति का दावा नहीं किया है।
- भ. सिंगापुर से आयात भारत में अप्रैल 2020 के महीने में ही और ऊंची कीमत पर ही हुए थे। तथापि, प्रभावी पाटनरोधी शुल्क के बावजूद क्षति अवधि के प्रारंभिक वर्षों के दौरान सिंगापुर से हुए आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में काफी कटौती हो रही थी। इस अंतिम निष्कर्ष में

ज. 2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

52. क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों के द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :

- क. सिंगापुर से हुए आयातों की वजह से घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है, जिसके बारे में मौखिक सुनवाई के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा सहमति भी दी गई थी क्योंकि जांच की अवधि के दौरान सिंगापुर से केवल 999 मी. ट. का ही आयात किया गया था यद्यपि एम पी एस और एम ए पी पर पाटनरोधी शुल्क नहीं था।
- ख. प्रपत्र IV ए-1 में यह दर्शाता है कि सिंगापुर से आयात में धीरे धीरे कमी हुई है जब सिंगापुर और संबद्ध देशों के बाजार शेयरों में गिरावट हुई और तब मांग स्थिर रही और घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री और बाजार शेयर में काफी वृद्धि हुई। जांच की अवधि के दौरान सिंगापुर से मात्रा संबंधी कोई क्षति नहीं हुई है।

- ग. याचिका का पैराग्राफ 69 वस्तुतः गलत है। क्योंकि अनुबंध 'ख' यह विनिर्दिष्ट करता है कि सिंगापुर में जांच की अवधि के दौरान हुए आयातों से कीमतों में कटौती नकारात्मक है। इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं ने यह नोट किया कि सिंगापुर से आयात केवल अप्रैल माह में ही किए गए थे और वह भी अधिक कीमत पर किए गए थे।
- घ. सिंगापुर से पहुंच मूल्य में बढ़ोतरी हुई, जबकि घरेलू उद्योग की लागत में 50 प्रतिशत तक कमी हुई जबकि क्षति अवधि के दौरान कीमत में केवल 15 प्रतिशत तक कमी हुई, जो साफ तौर पर यह दर्शाता है कि कीमत में ह्रास अथवा न्यूनीकरण नहीं हुआ है।
- ङ. अनुबंध ॥ (IV) के अनुसार विभिन्न आर्थिक कारकों के संदर्भ में याचिकाकर्ताओं को कोई क्षति नहीं हो रही है क्योंकि याचिका में दिए आर्थिक मापदंड स्वयं क्षति की अवधि और जांच की अवधि के दौरान सकारात्मक प्रवृत्ति को दर्शाते हैं।
- च. संबंधित याचिकाकर्ता कंपनियों के पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध सूचना यह दर्शाती है कि याचिकाकर्ता वर्ष 2018-19 और जांच की अवधि के दौरान अच्छा निष्पादन रहे हैं।
- छ. क्षति, यदि कोई हुई है, तो वह आंशिक रूप से ऊंची ब्याज लागत और मूल्यह्रास की वजह से हुई है, जिससे समग्र लाभ कम हुआ होगा।
- ज. दीपक फेनोलिक्स लिमि. के लिए सामग्री की मंदी के बारे में विश्लेषण होना चाहिए और न कि सामग्री की क्षति के बारे में।
- झ. कोविड-19 महामारी की वजह से देशव्यापी लॉकडाउन से जांच की अवधि के दौरान याचिकाकर्ताओं को क्षति, यदि कोई है, भरपूर हुई है जैसा कि डी पी एल की वार्षिक रिपोर्ट में बताया गया है।
- ञ. एच ओ सी एल को हुई क्षति स्वयं उनकी अकुशलताओं की वजह से हुई है। एच ओ सी एल को हुई कथित क्षति कच्चे माल की कमी और चल-पूंजी की कमी की वजह से हुई, जैसा कि वार्षिक रिपोर्ट में स्वीकार किया गया है।
- ट. शुल्क बंद कर दिए जाने चाहिए क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने कथित क्षति और संबद्ध आयातों के बीच में कोई कारक लिंक स्थापित नहीं किया है।
- ठ. उत्पादन की यूनिट लागत, लाभ/ हानि, नकद प्रवाह एवं निवेश पर लाभ के लिए 80 प्रतिशत पर एच ओ सी एल के क्षमता उपयोग का निर्धारण करने के लिए याचिकाकर्ता की पद्धति अदूरदर्शी एवं जानबूझकर अंधरे में रखने वाली है।
- ड. जांच की अवधि के आंकड़ों में असामान्यता अथवा तोड़-मोड़ करना एकमात्र आधार नहीं होना चाहिए क्योंकि बाजार के दृष्टिकोण गतिशील एवं अननुमेय होते हैं। आवेदकों में उद्योग की सूचना दी है जो क्षति के उनके दावों का समर्थन नहीं करती है।
- ढ. "क्षति" शब्द में विगत की गतिविधि का उल्लेख होता है जो अनुच्छेद 9.3 में स्थापित पाटन मार्जिन की अधिकतम सीमा होती है, जिससे अधिक पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाया जा सकता है।
- ण. फिनोल की कीमत में गिरावट, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट होने के कारण पिछले वर्ष अक्टूबर में हुई मंदी की वजह से हुई थी। पाटन के अलावा अन्य कारक मंदी की ये प्रवृत्तियां हैं।
- त. वर्ष 1976-77 के कीमत नियंत्रण आदेश में 22 प्रतिशत आर ओ सी ई इसका स्रोत होता है। इस दर को उस समय स्वीकार किया गया था जब बैंक की ब्याज दर (पी एल आर) 18 प्रतिशत थी, लेकिन यह अब काफी कम (7-10 प्रतिशत) है। ए डी ए के अनुसार 22 प्रतिशत की पूर्व निर्धारित और स्थिर दर अधिक औचित्यपूर्ण नहीं है।
- थ. ई यू और सिंगापुर के संबंध में क्षति का संचयी मूल्यांकन उचित नहीं है क्योंकि ई यू और सिंगापुर के बीच में प्रतिस्पर्धा की शर्तें समान एवं तुलनीय नहीं हैं।

- द. आयातों की मात्रा में धीरे-धीरे गिरावट हुई है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग की बिक्रियों में 2456 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हुई है जो मांग में बढ़ोतरी करती है; जबकि सभी आयातों से बाजार पर कब्जा भी कर रही है।
- ध. सिंगापुर से हुए आयातों की वजह से क्षति नहीं होती है क्योंकि जांच की अवधि के दौरान कीमत में कोई कटौती नहीं हुई। आवेदकों के द्वारा यह बताना चाहिए कि जब कीमत में कटौती नकारात्मक है, तो घरेलू उद्योग की कीमतों में हास एवं न्यूनीकरण होना क्यों जारी है।
- न. घरेलू उद्योग ने अन्य देशों से पी यू सी के आयातों का कीमत प्रभावी विश्लेषण करना छोड़ दिया है, जो पाटनरोधी शुल्क को प्रभावित भी कर रहा है। घरेलू उद्योग ने सिंगापुर से हुए आयातों की कीमतों में घट-बढ़ की प्रवृत्ति के विश्लेषण की तुलना में उनके बीच में परस्पर संबंधी यदि कोई हो, निर्धारण करने के लिए घरेलू उद्योग के विक्रय मूल्य की प्रवृत्ति का विश्लेषण करना भी छोड़ दिया है।
- प. संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन एवं बिक्री करने की घरेलू उद्योग की क्षमता पर आयात से कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा था।
- फ. जनशक्ति और घरेलू उद्योग के द्वारा उन्हें भुगतान की गई मजदूरियां दोनों में ही बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा, प्रति व्यक्ति उत्पादकता में 2504 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हुई है।
- ब. यद्यपि, वर्ष 2018-19 की तुलना में पी बी आई टी, नकद लाभों एवं आर ओ सी ई में सीमांत रूप से कमी हुई थी, परन्तु घरेलू उद्योग की स्थिति अभी ठीक है। घरेलू उद्योग ने सभी मापदंडों के अनुरूप अच्छी वृद्धि दर्शायी है।
- भ. दीपक फैनोलिक्स के द्वारा उत्पादन शुरू करने से पूर्व मांग और पूर्ति के बीच हुए अधिक अंतर की वजह से आयात काफी रहा था जिसमें बाद में काफी अंतर बना रहा। तथापि, संबद्ध देशों से आयातों में जांच की अवधि में काफी कमी हुई है।
- म. व्यापारियों के द्वारा फिनोल की पहुंच लागत पर 22 प्रतिशत लाभ जोड़कर व्यापारियों एवं वितरकों को आयातों से हुई क्षति डी जी टी आर द्वारा इसी प्रकार मूल्यांकन करना चाहिए, जिस प्रकार व्यापारियों द्वारा आयातों से उचित एवं तर्कपूर्ण क्षति होने के बारे में आवेदकों के लिए स्वीकार किया जाता है।
- य. घरेलू उत्पादकों के साथ जिस कीमत पर प्रतिस्पर्धा की जा सकती है, उस कीमत को प्राप्त करने के लिए “उचित लाभ” जोड़कर व्यापारियों की पहुंच लागत का पुनः मूल्यांकन किए जाने की जरूरत है।
- कक. आयातों की वजह से फिनोल के भारतीय उत्पादकों को कभी कोई क्षति नहीं हुई है क्योंकि घरेलू उपलब्धता में कमियां होने के कारण आयात किए जाते हैं।
- खख. आवेदक कीमत निर्धारण एवं कृत्रिम कमियों के पैदा होने का सहारा ले रहे हैं। फिनोल को पाटनरोधी उपायों की तंत्र-व्यवस्था से बाहर रखना होगा क्योंकि यह कच्चे तेल और कच्चे माल की कीमतों का बड़े पैमाने पर घट-बढ़ वाला एक चक्रीय उद्योग है।
- गग. पाटनरोधी शुल्क से ग्राहक उद्योगों में मंदी की प्रवृत्ति होगी। शुल्क न लगाने से भारत में फिनोल की खपत बढ़ेगी और इसके परिणामस्वरूप उत्पाद के लिए बहुत से नए ज्यादा आवेदन मिलेंगे।
- घघ. यदि पाटनरोधी शुल्क लगाया जाता है, तो लाभग्राहियों से क्षति रहित कीमत से अधिक बिक्री वसूलियां करने के लिए एक विधिक ढांचा होना चाहिए जो अनुचित है।
- डड. एस ई बी आई की वित्तीय रिपोर्ट में तथा पाटनरोधी याचिका में लागतों के आवंटन को प्रतिबिंबित करना चाहिए।
- चच. बाजार शेयर के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन अत्यधिक सकारात्मक रहा है। उत्पादन के दिनों की संख्या के रूप में समान सूचियों और बिक्रियों में भी काफी कमी हुई है।
- छछ. घरेलू उद्योग ने सूचना को कोई स्रोत उपलब्ध नहीं कराया है जो आयात की कीमतों में गिरावट को दर्शाते हुए सारणियों और चार्टों का आधार बनता है।

- जज. इस बारे में घरेलू उद्योग द्वारा कोई अकाट्य कारण नहीं उपलब्ध कराया है, जिसके आधार पर थाइलैण्ड से आयातों के साथ-साथ सिंगापुर से आयातों पर विचार किया जाना चाहिए तथा जिसमें सिंगापुर से शुल्क समाप्त होने के बाद थाइलैण्ड और सिंगापुर से आयातों का संचयी तौर पर आकलन करने के लिए घरेलू उद्योग के द्वारा एक अलग जांच प्रस्तुत करनी चाहिए।
- झझ. भारतीय उद्योग को ऐसी वैश्विक कीमतों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए जो भारतीय कीमतों को प्रभावित न करे एवं भारतीय बाजार को अलग-थलग न करें।
- जज. सिंगापुर से विचाराधीन उत्पाद के आयात मात्रा की दृष्टि से और कीमतों की दृष्टि से बहुत उच्चतम है। दूसरी ओर, अन्य स्रोतों से आयात बहुत अधिक मात्रा में एवं काफी कम कीमतों पर किए गए हैं।
- टट. सिंगापुर से आयातों में गिरावट की प्रवृत्ति, थाइलैण्ड की जांच में डी जी टी आर द्वारा मान्य प्रवृत्ति के समान है।

ज. 3. प्राधिकारी द्वारा जांच

- क्षति और कारक लिंक संबंधी मुद्दों के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोधों की जांच की गई है। इसके तहत प्राधिकारी द्वारा किया गया क्षति विश्लेषण, हितबद्ध पक्षकारों के द्वारा किए गए अनुरोध स्वतः ही बता देते हैं।
53. इसके अनुबंध - II के साथ पठित नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में उन कारकों की जांच शामिल होगी, जो पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव समेत सभी प्रासंगिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए . . .” घरेलू उद्योग की क्षति को दर्शाएं।
54. नियमावली के नियम 23 में यह प्रावधान है कि नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18 19 और 20 के प्रावधान समीक्षा के मामले में आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे। यदि घरेलू उद्योग का निष्पादन यह दर्शाता है कि वर्तमान क्षति अवधि के दौरान इसे क्षति नहीं हुई है, तो प्राधिकारी यह निर्धारित करेंगे कि क्या वर्तमान शुल्क को समाप्त कर देने से घरेलू उद्योग को फिर से क्षति होने की संभावना है।
55. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से आयातों की वजह से पाटन और क्षति के संभावित पहलुओं की जांच करने से पूर्व घरेलू उद्योग को हुई वर्तमान क्षति, यदि कोई हो, की जांच की है। यह जांच की गई है कि क्या आयातों में पूर्णतः अथवा उत्पादन अथवा खपत के संदर्भ में कोई बढ़ोतरी हुई है। पाटित आयातों के प्रभावों के बारे में विचार करते समय यह जांच करना जरूरी समझा गया है कि क्या भारत समान वस्तुओं की कीमत की तुलना में पाटित आयातों से कीमतों में काफी कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव काफी हद तक कीमतों को कम करना अथवा मूल्य बढ़ोतरी को अन्यथा रोकना है, जो काफी हद तक अन्यथा हुई होगी। भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, स्टॉक, लाभप्रदता निवल बिक्री वसूली, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि जैसे उद्योग की स्थिति के सूचकों के बारे में नियमावली के अनुबंध II के अनुसार विचार करना चाहिए। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों विभिन्न अनुरोधों को नोट किया है तथा रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों एवं लागू नियमों को ध्यान में रखते हुए विश्लेषण किया है। इसके तहत प्राधिकारी द्वारा किया गया क्षति विश्लेषण, हितबद्ध पक्षकारों के द्वारा किए गए अनुरोध स्वतः ही बता देते हैं।
56. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि मै. हिन्दुस्तान आर्गेनिक्स केमिकल्स लिमि. का उत्पादन वर्ष 2016-17 और वर्ष 2017-18 में बहुत ही कम था। कंपनी ने यह माना था कि यह कमी कंपनी के सामने आयी चल पूंजी की समस्याओं की वजह से हुई थी। प्राधिकारी यह मानते हैं कि इस अवधि के दौरान कंपनी के कम उत्पादन के कारणों से देश में पाटन नहीं हुए थे तथा अन्य कारणों की वजह से हुए थे। इसलिए प्राधिकारी ने जांच की अवधि में प्राप्त क्षमता उपयोग को ध्यान में रखते हुए लाभों, नकद लाभों और निवेशों पर लाभ के संबंध में हिन्दुस्तान आर्गेनिक्स केमिकल्स लिमि. के निष्पादन का मूल्यांकन किया है।
57. एन आई पी की आई एन आर में गणना किया जाना आवश्यक है, इस तथ्य के बारे में यह नोट किया गया है कि एन आई पी की आई एन आर में गणना करना प्राधिकारी की एक निरंतर प्रक्रिया होती है। तथापि, पहुंच मूल्य के साथ इसकी तुलना करते समय एन आई पी को अमरीकी डालर में बदल दिया जाता है। यह पिग आयरन मैन्यू

ऐसेन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी, वाणिज्य मंत्रालय के मामले में माननीय सेस्टेट के आदेश के अनुरूप है, जिसमें सेस्टेट ने यह निर्णय दिया गया था कि पाटनरोधी शुल्क अमरीकी डालरों में नियत किया जाना चाहिए, ताकि विनिमय की दर से परिवर्तन होने की वजह से सुरक्षा की मात्रा में कोई कमी न हो।

58. नियोजित पूंजी दर 22 प्रतिशत लाभ स्वीकार्य नहीं है, इस बारे में हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों का जहां तक संबंध है, इस बारे में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि, की गई सभी पूर्ववर्ती जांचों में प्राधिकारी की यह एक निरंतर प्रक्रिया है।
59. दीपक फिनोलिक्स लिमि. सामग्री की कमी की वजह से प्रभावित हुई है, इस दावे के संबंध में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि मै. दीपक फिनोलिक्स लिमि. ने नवंबर, 2018 में अपना वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया था और 96 प्रतिशत क्षमता उपयोग पहले ही प्राप्त कर लिया है और इसलिए भारत में संबद्ध वस्तुओं के एक अग्रणी उत्पादक के रूप में अपने आपको स्थापित कर लिया है। प्राधिकारी यह भी मानते हैं कि घरेलू उद्योग के कार्यक्षेत्र को ऐसी अवधि के दौरान पात्र घरेलू उत्पादकों की (क) जांच अवधि और (ख) समान वस्तुओं के उत्पादन के संबंध में स्थापित करना होगा। इसलिए प्राधिकारी यह मानते हैं कि मै. दीपक फिनोलिक्स लिमि. घरेलू उद्योग का एक संघटक है।
60. यह मुद्दा उठाए जाने के संबंध में, कि आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आंकड़े तुलन-पत्र के अनुसार प्रकाशित अंतिम लेखों में वैध नहीं है तथा इन्हें एन आई पी, क्षति एवं कथित पाटन के लिए दावा करने हेतु वैध नहीं मानना चाहिए। इस बारे में यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना की प्राधिकारी ने जांच कर ली है, जिसका सत्यापन कर लिया गया है और स्वीकार कर लिया गया है तथा सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के बारे में उत्पादकों एवं निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत सूचना का भी सत्यापन कर लिया गया है एवं स्वीकार कर लिया गया है। यह भी कहा गया है कि हितबद्ध पक्षकारों के द्वारा प्रस्तुत सूचना की डेस्क जांच वर्तमान कोविड-19 की स्थिति की वजह से कर ली गई है।
61. कोविड-19 वैश्विक मैटिक्स को प्रभावित कर रहा है, इस तर्क के संबंध में यह नोट किया जाता है कि यह भारत में उत्पादन के पाटन के औचित्य को सिद्ध नहीं कर सकता है।
62. क्षति विश्लेषण के संबंध में सभी हितबद्ध पक्षकारों के सभी अनुरोधों के बारे में निम्नलिखित पैराग्राफों में समाधान किया गया है।

ज. 3.1 घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों की मात्रा संबंधी प्रभाव

क. मांग/ स्पष्ट खपत का मूल्यांकन

63. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच, भारत में उत्पाद की मांग अथवा स्पष्ट खपत को भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्रियों तथा सभी स्रोतों से आयातों के जोड़ के रूप में लिया है।

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	अप्रैल'18- जून'19		जांच की अवधि
				वास्तविक	वार्षिकांक	
संबद्ध देश	मी. ट.	28,355	34,080	17,470	13,976	9,823
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	120	49	49	35
ई यू	मी. ट.	4,235	15,825	4,410	3,528	8,824
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	374	83	83	208
सिंगापुर	मी. ट.	24,120	18,254	13,060	10,448	999
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	76	43	43	4
अन्य	मी. ट.	253,519	254,007	254,336	203,469	116,689
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	80	80	46
कुल जोड़	मी. ट.	281,874	288,087	271,806	217,445	126,512

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	अप्रैल'18- जून'19		जांच की अवधि
				वास्तविक	वार्षिकांक	
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	102	77	77	45
घरेलू उद्योग घरेलू बिक्रियां आबद्ध को छोड़कर	मी. ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	236	1,745	1,745	2,670
अन्य घरेलू उद्योग – एस आई जी - आबद्ध को छोड़कर	मी. ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	93	73	73	62
घरेलू उद्योग घरेलू बिक्रियां – कैपिटिव समेत	मी. ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	236	1,745	1,745	2,670
अन्य घरेलू उद्योग – एस आई जी – आबद्ध समेत	मी. ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	103	92	92	72
कुल मांग आबद्ध को छोड़कर	मी. ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	105	114	114	105
कुल मांग आबद्ध सहित	मी. ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	105	115	115	104

64. यह देखा गया है कि आधार वर्ष से लेकर अप्रैल 2018 से जून 2019 तक की अवधि में संबद्ध वस्तुओं की मांग बढ़ी है। तथापि, जांच अवधि के दौरान इसमें कमी हुई। यह नोट किया जाता है कि आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में मांग में बढ़ोतरी हुई है।

ख. संबद्ध देशों से आयात की मात्रा

65. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे इस पर विचार करें कि क्या पाटित आयातों में या तो पूर्ण रूप से अथवा भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। क्षति के विश्लेषण के उद्देश्य से, प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस से लिए गए लेन-देन वार आयात आंकड़ों पर विश्वास किया है। वास्तविक स्थिति नीचे दिए गए अनुसार है:

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	अप्रैल'18-जून'19		जांच की अवधि
				वास्तविक	वार्षिकीकृत	
संबद्ध देश	एमटी	28,355	34,080	17,470	13,976	9,823
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	120	49	49	35
यूरोपीय यूनियन	एमटी	4,235	15,825	4,410	3,528	8,824
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	374	83	83	208
सिंगापुर	एमटी	24,120	18,254	13,060	10,448	999
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	76	43	43	4
अन्य	एमटी	253,519	254,007	254,336	203,469	116,689
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	80	80	46

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	अप्रैल'18-जून'19		जांच की अवधि
				वास्तविक	वार्षिकीकृत	
कुल योग	एमटी	281,874	288,087	271,806	217,445	126,512
निम्नलिखित की तुलना में संबद्ध देश से आयात						
कुल आयात	%	10.06	11.83	6.43	6.43	7.76
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	118	64	64	77
कैप्टिव को छोड़कर खपत	%	9.13	10.49	3.93	3.93	3.01
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	115	43	43	33
कैप्टिव सहित खपत	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	114	43	43	33
उत्पादन	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	98	14	14	6

66. यह देखा जाता है कि संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा में 2017-18 में वृद्धि हुई है और उसके बाद उसमें गिरावट आई है। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि आयातों में यह गिरावट भारतीय मांग में 59 प्रतिशत तक क्षमता को बढ़ाए जाने का एक स्वाभाविक परिणाम था। प्राधिकारी यह मानते हैं कि समग्र आयातों में गिरावट ऐसी स्थिति में देश में क्षमताओं में इस प्रकार की वृद्धि का एक स्वाभाविक परिणाम था जहां देश में मांग-आपूर्ति में अंतर था।

ज.3.2 पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

67. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, इस तथ्य का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है कि क्या भारत में समान उत्पादों की कीमत की तुलना में कथित पाटित आयातों के द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा क्या इस प्रकार के आयातों के प्रभाव से अन्य प्रकार से कीमतों पर दबाव पड़ने वाला है अथवा कीमत में वृद्धि रुक जाने वाली है जो अन्य प्रकार से सामान्य प्रक्रिया में हुई होती। संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव की जांच कीमत में कटौती, कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण, यदि कोई हो, के संदर्भ में की गई है। इस विश्लेषण के उद्देश्य से, घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत, क्षति रहित कीमत (एनआईपी) और निवल बिक्री प्राप्ति (एनएसआर) की तुलना संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों की पहुंच कीमत से की गई है।

क. कीमत में कटौती

68. कीमत में कटौती के विश्लेषण के उद्देश्य से, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत की तुलना संबद्ध देशों से माह-वार आयात कीमत से की गई है। जांच की अवधि के लिए इस विश्लेषण के वास्ते बिक्री कीमत अलग-अलग संबद्ध देशों के लिए मासिक आयात मात्राओं का भार लेकर तय की गई है। तदनुसार, संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कटौती संबंधी प्रभाव निम्नानुसार तय किए गए हैं:

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	अप्रैल 18-जून'19		जांच की अवधि
				वास्तविक	वार्षिकीकृत	
संबद्ध देश						
घरेलू बिक्री प्राप्ति (एनएसआर)	र./एमटी	***	***	***	***	***

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	अप्रैल 18-जून'19		जांच की अवधि
				वास्तविक	वार्षिकीकृत	
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	110	114	114	80
आयातों का पहुंच मूल्य	रु./एमटी	68,627	75,429	1,01,937	1,01,937	60,676
		100	110	149	149	88
कीमत में कटौती	रु./एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	***	***	***	***	***
कीमत में कटौती	%	***	***	***	***	***
कीमत में कटौती	रेंज	10-20	10-20	(10-20)	(10-20)	0-10
यूरोपियन यूनियन						
घरेलू बिक्री प्राप्ति (एनएसआर)	रु./एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	110	114	114	80
आयातों का पहुंच मूल्य	रु./एमटी	61,874	74,554	1,11,346	1,11,346	59,221
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	120	180	180	96
कीमत में कटौती	रु./एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	***	***	***	***	***
कीमत में कटौती	%	***	***	***	***	***
कीमत में कटौती	रेंज	20-30	10-20	(10-20)	(10-20)	0-10
सिंगापुर						
घरेलू बिक्री प्राप्ति (एनएसआर)	रु./एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	110	114	114	80
आयातों का पहुंच मूल्य	रु./एमटी	69,813	76,188	99,272	99,272	73,527
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	109	142	142	105
कीमत में कटौती	रु./एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	***	***	***	***	***
कीमत में कटौती	%	***	***	***	***	***
कीमत में कटौती	रेंज	10-20	10-20	(0-10)	(0-10)	(10-20)

69. यह देखा जाता है कि संबद्ध देशों से आयात समग्र रूप से उस कीमत पर हो रहा है जो घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री से कम है जिसके फलस्वरूप सकारात्मक कटौती हुई है। कीमत में कटौती सिंगापुर से आयातों के मामले में नकारात्मक है।

ख. कीमत ह्रास और न्यूनीकरण

70. इस तथ्य का निर्धारण करने के उद्देश्य से कि क्या पाटित आयातों के कारण घरेलू कीमतों का ह्रास हो रहा है अथवा उस पर दबाव पड़ रहा है और क्या इस प्रकार के आयातों के प्रभाव से कीमतों पर बहुत अधिक हद तक दबाव पड़ने वाला है अथवा कीमत में वृद्धि रुक जाने वाली है जो अन्य प्रकार से सामान्य प्रक्रिया में हुई होती, क्षति की अवधि के दौरान लागतों और कीमतों में परिवर्तनों की जांच की गई है। नीचे दी गई तालिका वास्तविक स्थिति को दर्शाती है:

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	अप्रैल 18-जून 19		जांच की अवधि
				वास्तविक	वार्षिकीकृत	
बिक्री की लागत	र./एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	107	101	101	83
औसत बिक्री कीमत	र./एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	110	114	114	85
पहुंच कीमत	र./एमटी	68,627	75,429	1,01,937	1,01,937	60,676
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	110	149	149	88

71. यह देखा जाता है कि आयातों की पहुंच कीमत जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की औसत बिक्री कीमत और बिक्री की लागत से बहुत अधिक कम है। जबकि घरेलू उद्योग की लागत और बिक्री कीमत में पिछले वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में गिरावट आई है, बिक्री कीमत में गिरावट लागत में गिरावट से अधिक है जिसके परिणामस्वरूप कीमत न्यूनीकरण हुआ है। यह भी नोट किया जाता है कि संबद्ध आयातों के कारण बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव पड़ रहा है। यह भी नोट किया जाता है कि सिंगापुर से लदान मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत से अधिक है।

ज.3.3 घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंड

72. इस नियमावली के अनुबंध-II में यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक कारकों और तत्वों जिनका घरेलू उद्योग की हालत पर प्रभाव पड़ता हो, जिसमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट; वे कारक जो घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा पर प्रभाव डालते हों; नकदी प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, विकास, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव का वस्तुपरक और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मानदंडों पर यहां नीचे चर्चा की गई है।

73. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उनके अनुरोधों में विभिन्न तथ्यों और तर्कों पर वस्तुपरक तरीके से विचार करते हुए क्षति संबंधी मानदंडों की जांच की है।

i. उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री

74. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग नीचे तालिका में दिया गया है:

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	अप्रैल 18-जून 19		जांच की अवधि
				वास्तविक	वार्षिकीकृत	
क्षमता (प्रति वर्ष)	एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	600	600	600
समतुल्य क्षमता	एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	458	367	600
उत्पादन	एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	220	2061	1649	2642
क्षमता का उपयोग	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	220	450	450	440
घरेलू बिक्री	एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	236	2181	1745	2670

75. यह देखा जाता है कि:

- घरेलू उद्योग के पास संस्थापित क्षमता में क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। यह दीपक फिनोलिक्स द्वारा नए संयंत्र की स्थापना के कारण हुई है। इस संयंत्र ने नवंबर, 2018 में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया।
- दीपक फिनोलिक्स द्वारा नई क्षमता की स्थापना के कारण, घरेलू उद्योग का उत्पादन और घरेलू बिक्री में क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।
- क्षमता के उपयोग में अप्रैल, 2018-जून, 2019 में वृद्धि हुई लेकिन जांच की अवधि में मामूली रूप में गिरावट आई।

ii. मांग में बाजार हिस्सा

76. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से को नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	अप्रैल'18-जून'19		जांच की अवधि
				वास्तविक	वार्षिकीकृत	
कैप्टिव को छोड़कर बाजार हिस्सा						
संबद्ध देश	एमटी	9.13	10.49	3.93	3.93	3.01
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	115	43	43	33
यूरोपीय यूनियन	एमटी	1.36	4.87	0.99	0.99	2.70
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	357	73	73	198
सिंगापुर	एमटी	7.76	5.62	2.94	2.94	0.31
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	72	38	38	4
अन्य	एमटी	81.60	78.19	57.23	57.23	35.70

प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	96	70	70	44
कुल योग	एमटी	90.73	88.68	61.16	61.16	38.70
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	98	67	67	43
भारतीय उद्योग की घरेलू बिक्री – कैप्टिव को छोड़कर	एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	226	1,525	1,525	2,538
अन्य घरेलू उद्योग– एसआईजी – कैप्टिव को छोड़कर	एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	89	64	64	59
कैप्टिव को छोड़कर कुल मांग	एमटी	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	100	100	100
कैप्टिव सहित बाजार हिस्सा						
संबद्ध देश	एमटी	8.74	9.99	3.75	3.75	2.90
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	114	43	43	33
यूरोपीय यूनियन	एमटी	1.31	4.64	0.95	0.95	2.60
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	355	73	73	199
सिंगापुर	एमटी	7.43	5.35	2.81	2.81	0.29
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	72	38	38	4
अन्य	एमटी	78.13	74.44	54.64	54.64	34.42
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	95	70	70	44
कुल योग	एमटी	86.87	84.43	58.39	58.39	37.32
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	97	67	67	43
घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री– कैप्टिव सहित	एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	225	1,521	1,521	2,556
अन्य भारतीय उद्योग– एसआईजी – कैप्टिव सहित	एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	98	80	80	69
कैप्टिव सहित कुल मांग	एमटी	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	100	100	100

77. यह देखा जाता है कि:

- i. घरेलू उद्योग के पास पहले बहुत कम बाजार हिस्सा था। वह देश में उत्पादन क्षमताओं के नहीं रहने और कार्यशील पूंजी की कमी के कारण हिंदुस्तान आर्गेनिक्स केमिकल्स लि. के द्वारा उत्पादन की कटौती के कारण थी।
- ii. हिंदुस्तान आर्गेनिक्स केमिकल्स लि. के उत्पादन को उचित स्तरों तक फिर से शुरू करने और दीपक फिनोलिक्स लि. द्वारा इसके नए संयंत्र में उत्पादन शुरू करने के साथ, घरेलू उद्योग की बिक्री में वृद्धि हुई। इसके परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।
- iii. घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया कि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई जिसके लिए नई उत्पादन क्षमताओं, देश में पर्याप्त मांग और उत्पादन की प्रक्रिया की प्रकृति को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

iii. मालसूची

78. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के पास मालसूची की स्थिति नीचे तालिका में दी गई है:

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	अप्रैल 18-जून'19		जांच की अवधि
				वास्तविक	वार्षिकीकृत	
प्रारंभिक	एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	179	164	164	1152
अंतिम	एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	92	644	644	617
औसत	एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	123	472	472	809
उत्पादन के दिनों की संख्या के रूप में मालसूची	दिन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	41	22	22	24
बिक्री के दिनों की संख्या के रूप में मालसूची	दिन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	53	32	27	27

79. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग के पास औसत माल सूची में जांच की अवधि में बहुत अधिक हद तक वृद्धि हुई है।

iv. लाभप्रदता, नकद प्रवाह और लगाई गई पूंजी पर लाभ

80. क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, नकद प्रवाह और निवेश पर लाभ नीचे तालिका में दिया गया है:

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	अप्रैल 18-जून'19		जांच की अवधि
				वास्तविक	वार्षिकीकृत	
बिक्री की लागत- घरेलू	₹ / एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	107	101	101	83
औसत बिक्री कीमत - घरेलू	₹ / एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	110	114	114	85

लाभ/(हानि) – घरेलू	₹ / एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	25	492	492	37
कुल लाभ/(हानि)	₹ लाख	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	59	8,592	8,592	994
ब्याज और कर पूर्व लाभ	₹ लाख	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	107	589	589	363
नकद लाभ	₹ लाख	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	611	61,686	61,686	24,483
लगाई गई पूंजी पर लाभ	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	62	19	19	13

81. यह देखा जाता है कि:

- घरेलू उद्योग को क्षति की अवधि के आधार वर्ष के दौरान हानि उठानी पड़ रही थी। उसके बाद लाभप्रदता में 2017-18 में वृद्धि हुई और आगे अप्रैल 2018 से जून, 2019 की अवधि में वृद्धि हुई। घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में जांच की अवधि के दौरान बहुत अधिक हद तक गिरावट आई। घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में पिछले वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में बहुत अधिक हद तक गिरावट आई है।
- नकद लाभ और लगाई गई पूंजी पर लाभ की वही प्रवृत्ति रही है जो लाभप्रदता की रही है।
- रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

82. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता नीचे तालिका में दी गई है:

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	अप्रैल 18-जून'19		जांच की अवधि
				वास्तविक	वार्षिकीकृत	
मजदूरी	₹ लाख	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	115	195	195	221
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	97	189	189	215
प्रतिदिन उत्पादकता	एमटी/दिन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	218	1627	1627	2605

83. यह देखा जाता है कि मजदूरी, कर्मचारियों की संख्या और प्रतिदिन उत्पादकता में क्षति की पूरी अवधि और जांच की अवधि में वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि ये मानदंड घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव को नहीं दर्शाते हैं।

vi. वृद्धि

84. घरेलू उद्योग की उत्पादन, क्षमता का उपयोग, घरेलू बिक्री की मात्रा, मालसूची, लाभ, नकद लाभ और निवेश पर लाभ के संदर्भ में वृद्धि नीचे तालिका में दिए गए अनुसार है:

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	अप्रैल'18 - जून'19 (वार्षिकीकृत)	जांच की अवधि
उत्पादन	वर्ष/वर्ष	-	120	649	60
क्षमता उपयोग	वर्ष/वर्ष	-	120	104	(2)
घरेलू बिक्री	वर्ष/वर्ष	-	136	638	53
लाभ/हानि प्रति यूनिट	वर्ष/वर्ष	-	125	(1,871)	92
नकद लाभ	वर्ष/वर्ष	-	711	9,989	(60)
लगाई गई पूंजी पर लाभ	वर्ष/वर्ष	-	(38)	(70)	(30)
मालसूची	वर्ष/वर्ष	-	23	284	71

85. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग की वृद्धि मात्रा संबंधी मानदंडों जैसे उत्पादन और घरेलू बिक्री के संबंध में सकारात्मक है लेकिन क्षमता के उपयोग के संबंध में नकारात्मक है। वृद्धि कीमत संबंधी मानदंडों अर्थात् लाभ, नकद लाभ और लगाई गई पूंजी पर लाभ के संबंध में नकारात्मक है।

vii. पाटन मार्जिन का परिमाण

86. पाटन का परिमाण उस सीमा का द्योतक है जिस सीमा तक आयातों का पाटन भारत में किया जा रहा है। जांच में यह दर्शाया है कि पाटन मार्जिन जांच की अवधि में सकारात्मक है।

viii. पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

87. विचाराधीन उत्पाद में हाल में बहुत अधिक निवेश किया गया था। घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में जांच की अवधि में गिरावट आई है। पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग द्वारा सामना की जा रही प्रतिस्पर्धा के साथ, इस उद्योग का प्रचालन प्रभावित हुआ है जिसमें पूंजी निवेश जुटाने की इसकी क्षमता को भी प्रभावित किया है। घरेलू उद्योग एक बहु-उत्पाद कंपनी है और इस कारण से पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता केवल उत्पाद के कार्य-निष्पादन के आधार पर शासित नहीं होती है।

ix. घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

88. यह देखा जाता है कि आयात की कीमतें बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रही हैं। संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की लागत और बिक्री कीमत से कम है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग देश में पाटित आयातों की मौजूदगी के कारण बाजार में अपनी कीमतों को बनाए रखने में सक्षम नहीं है। आयातों की कीमतों ने घरेलू उद्योग की कीमतों पर बहुत अधिक हद तक दबाव डाला है। पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतें प्रभावित हो रही हैं। इस कारण से, यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि घरेलू उद्योग को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक संबद्ध वस्तुओं का पाटित आयात है।

x. कीमत में कटौती/क्षति मार्जिन का परिमाण

89. प्राधिकारी ने यथा-संशोधित अनुबंध-III के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए एनआईपी का निर्धारण किया है। विचाराधीन उत्पाद के एनआईपी का निर्धारण घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए तथा जांच की अवधि के लिए पेशेवर लागत लेखाकार द्वारा विधिवत् प्रमाणित उत्पादन की लागत से संबंधित सूचना/आंकड़ों को लेकर किया गया है। एनआईपी पर क्षति मार्जिन की गणना करने के लिए संबद्ध देशों से पहुंच कीमत की तुलना करने के लिए विचार किया गया है। क्षति-रहित कीमत का निर्धारण करने के लिए, क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के कच्चे माल की सर्वोत्तम उपयोगिता पर विचार किया गया है। वही बर्ताव यूटिलिटी के साथ भी किया गया है। क्षति की अवधि के दौरान उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई असाधारण अथवा गैर-आवर्ती खर्च उत्पादन की लागत में नहीं जोड़ा गया था। विचाराधीन उत्पाद के लिए लगाई गई औसत पूंजी पर एक उचित लाभ (22 प्रतिशत की दर से कर-पूर्व) (अर्थात् औसत निवल निर्धारित परिसंपत्ति योग औसत कार्यशील पूंजी) की

अनुमति इस नियमावली के अनुबंध-III में यथा-निर्धारित और अनुसरण की जा रही क्षति-रहित कीमत को तय करने के लिए कर-पूर्व लाभ के रूप में दी गई थी।

90. संबद्ध देशों से सभी गैर-सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए, प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पहुंच कीमत का निर्धारण किया है।
91. कम कीमत पर बिक्री अथवा क्षति मार्जिन के उद्देश्य से, घरेलू उद्योग की माह-वार क्षति-रहित कीमत की तुलना संबद्ध देशों से माह-वार पहुंच कीमत से की गई है। भारत औसत क्षति-रहित कीमत के उद्देश्य से, क्षति-रहित कीमत संबंधित विदेशी उत्पादक अथवा संबद्ध देश से मासिक आयात मात्राओं का भार लेकर तय किया गया है। पहुंच कीमत और भारत औसत क्षति-रहित कीमत, जिसका निर्धारण ऊपर किया गया है, के आधार पर संबद्ध देशों से उत्पादकों/निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन का निर्धारण प्राधिकारी द्वारा किया गया है और उसे नीचे तालिका में दिया गया है। यह नोट किया जाता है कि दोनों देशों के प्रति क्षति मार्जिन सकारात्मक है।

देश	उत्पादकों/ निर्यातकों का नाम	क्षति-रहित कीमत (यूएस.डा./ एमटी)	पहुंच मूल्य (यूएस.डा./ एमटी)	क्षति मार्जिन (यूएस.डा./ एमटी)	क्षति मार्जिन (%)	क्षति मार्जिन% (रेंज)
सिंगापुर	मित्सुई फिनोल सिंगापुर प्रा. लि.	****	****	****	****	0-10
सिंगापुर	सिंगापुर से अन्य निर्यातक	****	****	****	****	0-10
यूरोपीय यूनियन	सभी उत्पादक और निर्यातक	****	****	****	****	0-10

झ. क्षति की जांच

92. संबद्ध उत्पाद के आयातों की जांच और घरेलू उद्योग के निष्पादन से पता चलता है कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मात्रा में भारत में क्षमताओं में वृद्धि के कारण स्पष्ट रूप से गिरावट आई है। सिंगापुर को छोड़कर संबद्ध देशों से आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है। हालांकि घरेलू उद्योग के उत्पादन, बिक्री, क्षमता उपयोग और बाजार हिस्सेदारी में जांच की अवधि में वृद्धि हुई है, घरेलू उद्योग के प्रदर्शन में जांच की अवधि के दौरान लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय के संबंध में काफी गिरावट आई है। जांच की अवधि में घरेलू उद्योग के पास औसत मालसूची में पर्याप्त वृद्धि हुई है। पूर्वगामी को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

ञ. कारणात्मक संबंध और गैर-आरोपण विश्लेषण

93. धारा 9क(5) के अंतर्गत, प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे पाटन और क्षति की संभावना तथा शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता की जांच इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना करें कि क्या समीक्षा की जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद का कोई आयात हुआ है अथवा नहीं। नीचे इस तथ्य की जांच की गई है कि क्या पाटित आयातों को छोड़कर अन्य कारक घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने में योगदान कर सकते थे।

i. तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमत

94. यह देखा जाता है कि पाटित आयातों को छोड़कर अन्य देशों से आयात या तो न्यूनतम से ऊपर हैं अथवा और अधिक उच्च कीमतों पर हैं और इस प्रकार तीसरे देश से आयात घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने का एक कारण नहीं हो सकता था।

ii. मांग में संकुचन

95. यह देखा जाता है कि विचाराधीन उत्पाद की मांग में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में वृद्धि हुई है। इस कारण से, मांग में संकुचन को घरेलू उद्योग को क्षति के लिए एक कारण के रूप में नहीं माना जा सकता है।

iii. खपत के पैटर्न में परिवर्तन

96. किसी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा विचाराधीन उत्पाद के खपत के पैटर्न में किसी वास्तविक परिवर्तन के बारे में कोई साक्ष्य नहीं लाया गया है। इस कारण से, खपत के पैटर्न में संभावित परिवर्तन प्राधिकारी द्वारा विचार की गई क्षति का कारण नहीं है।

iv. प्रतिस्पर्धा की स्थितियां और व्यापार प्रतिबंधात्मक कार्य-पद्धतियां

97. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच ने यह नहीं दर्शाया है कि प्रतिस्पर्धा की स्थितियां अथवा व्यापार प्रतिबंधात्मक कार्य-पद्धतियां प्राधिकारी द्वारा मानी गई क्षति के लिए जिम्मेदार है।

v. प्रौद्योगिकी का विकास

98. किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रौद्योगिकी में बहुत अधिक परिवर्तन के होने, जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती थी, के बारे में कोई साक्ष्य नहीं लाया गया है।

vi. घरेलू उद्योग का निर्यात कार्य-निष्पादन

99. घरेलू उद्योग द्वारा किया गया निर्यात इसके उत्पादन का बहुत छोटा हिस्सा है। प्राधिकारी ने केवल क्षति के विश्लेषण के लिए घरेलू प्रचालनों के वास्ते आंकड़ों पर विचार किया है। इस कारण से निर्यात कार्य-निष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति के लिए कारण नहीं है।

vii. अन्य उत्पादों का कार्य-निष्पादन

100. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद के कार्य-निष्पादन के क्षति संबंधी आंकड़े उपलब्ध कराए हैं और उसे प्राधिकारी द्वारा क्षति के विश्लेषण के उद्देश्य से लिया गया है। आवेदकों द्वारा उत्पादन किए गए और बेचे गए अन्य उत्पादों का कार्य-निष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति का एक संभावित कारण नहीं है।
101. इस प्रकार, प्राधिकारी ने निष्कर्ष निकाला है कि घरेलू उद्योग को अन्य कारकों के कारण जांच की अवधि में कोई क्षति नहीं हुई है।

क्षति और कारणात्मक संबंध को जारी रखने का विश्लेषण**घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना**

102. प्राधिकारी यह मानते हैं कि यह एक निर्णायक समीक्षा जांच है और जांच का मुख्य ध्यान सतत पाटन और परिणामी क्षति यदि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त होने दिया जाता, यदि कोई वर्तमान पाटन अथवा क्षति नहीं भी हो, के संभावित परिदृश्य की जांच करना है।

अ.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

103. इस प्रकार, प्राधिकारी ने निष्कर्ष निकाला है कि घरेलू उद्योग को अन्य कारकों के कारण जांच की अवधि में कोई क्षति नहीं हुई है। घरेलू उद्योग द्वारा संभावना के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. निर्यातक का उत्पादन और क्षमता के उपयोग में इस अवधि के दौरान 20 प्रतिशत तक गिरावट आई है। उत्पादक की अप्रयुक्त क्षमताओं में वृद्धि हुई है। घरेलू बिक्री, भारत को निर्यात और तीसरे देशों को निर्यात में गिरावट आई है जो निर्यातक के पास स्वतंत्र रूप से बिक्री योग्य क्षमताओं में वृद्धि को दर्शाता है। उत्पादक इस उत्पाद की बिक्री घाटे पर कर रहे हैं।
- ख. उत्तर देने वाले निर्यातक के लिए, जबकि घरेलू बिक्री में बिक्री प्राप्ति और तीसरे देशों को निर्यात में वृद्धि हुई है, भारत को निर्यात में गिरावट आई है। यह स्पष्ट रूप से भेद-भावपूर्ण कीमत निर्धारण और भारत को पाटन दर्शाता है।

- ग. सिंगापुर के व्यापारी नामतः मित्सुई (एशिया पैसिफिक) प्रा. लि. विभिन्न स्रोतों से संबद्ध वस्तुओं की आपूर्ति और निर्यात भारत को कर रहा है जबकि उत्पादक के पास भारत को शून्य निर्यात किया गया था, संबंधित व्यापारी के पास भारत को बहुत अधिक मात्रा में निर्यात किया गया था।
- घ. यूरोपीय यूनियन से आयातों की मात्रा में पाटनरोधी शुल्कों के मौजूद रहने के बावजूद आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान बहुत अधिक हद तक वृद्धि हुई है।
- ङ. निर्यातक पाटनरोधी शुल्क के लागू रहने के बावजूद पाटित कीमतों पर विचाराधीन उत्पाद का निर्यात कर रहे हैं और पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किए जाने की स्थिति में क्षति में और अधिक वृद्धि होगी।
- च. चूंकि भारत संबद्ध देशों और अन्य देशों में उत्पादकों के लिए एक आकर्षक बाजार है अतः आयात बहुत अधिक रहा है यद्यपि वे शुल्कों को लगाए जाने के कारण कुछ हद तक अवरुद्ध रहे हैं। निर्यातक निरंतर रूप से अपनी क्षमताओं की बिक्री करने के लिए अतिरिक्त बाजारों की तलाश में हैं।
- छ. संबद्ध देशों में उत्पादकों के पास संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए बहुत अधिक क्षमताएं हैं और उनके पास बहुत अधिक मात्रा में अप्रयुक्त क्षमताएं हैं जिसका उपयोग संभवतः पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किए जाने की स्थिति में किया जाना है। उत्पादक अपनी फिनोल क्षमताओं का भी विस्तार कर रहे हैं।
- ज. उत्पादकों को संबद्ध वस्तुओं पर चीन के द्वारा लगाए गए पाटनरोधी शुल्कों का भी सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा, चीन आत्म-निर्भरता की प्रक्रिया में है, जिसके कारण भारत संभवतः अगला वांछनीय बाजार बनने वाला है।
- झ. देशों के एक समूह पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के फलस्वरूप, अन्य स्रोतों तक पाटित आयात परिवर्तित हुए हैं। इसके साथ ही, जब कभी भी पाटनरोधी शुल्क किसी भी देश से समाप्त किया जाता है तब पाटित आयात बाद के वर्षों में बहुत अधिक मात्रा में शुरू हुए हैं।
- ञ. जबकि उत्पादक के उत्पादन में 20 प्रतिशत गिरावट हुई थी, निर्यातक तब भी संबद्ध वस्तुओं का बहुत अधिक मात्रा में निर्यात कर रहे थे। इस कारण से, यह दर्शाता है कि मौजूदा पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किए जाने की स्थिति में देश में लगातार पाटन होने की स्पष्ट संभावना है।
- ट. भारत पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किए जाने की स्थिति में संबद्ध देशों के निर्यातकों के लिए सबसे अधिक आकर्षक बाजार बन जाएगा।
- ठ. एमपीएस ने स्वयं लिखित अनुरोधों में यह उल्लेख किया है कि इसने कोविड के कारण प्रभावित जांच की अवधि के दौरान भी 87 प्रतिशत से अधिक क्षमता उपयोग प्राप्त किया जो अपने आप में दर्शाता है कि चालू महामारी के नहीं रहने की स्थिति में, उत्पादक के लिए क्षमता का उपयोग संभवतः और अधिक बढ़ेगा और उसके कारण संभावना सिद्ध हो रही है।
- ड. घरेलू उद्योग ने मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के समाप्त किए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना का पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध कराया है। इसके अलावा, उत्पादक और निर्यातक के कार्य-निष्पादन संबंधी संकेतक अपने आप घरेलू उद्योग को क्षति की पर्याप्त संभावना दर्शाते हैं।
- ढ. चीन द्वारा अन्य देशों सहित यूरोपीय यूनियन पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के साथ-साथ चीन की आत्म-पर्याप्तता के फलस्वरूप पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किए जाने की स्थिति में निर्यात को भारत की ओर परिवर्तित किया जाएगा।
- ण. संबद्ध देशों में उत्पादकों के पास संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन करने की विशाल क्षमताएं बनी हुई हैं। पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किए जाने की स्थिति में भारत पूरे विश्व में निर्यातकों जो अतिरिक्त क्षमताओं का सामना कर रहे हैं, के लिए एक आकर्षक बाजार बन जाएगा। आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना नीचे सारणी में दी गई है:

क्र.सं.	निर्यातक	देश	क्षमता एमटी में
1	सीईपीएसए क्यूडमिका	स्पेन	600,000
2	बोरियालिस	फिनलैंड	195,000
3	पीकेएन ओरलेन	पोलैंड	55,000
4	डोमो कैप्रोलिउना	जर्मनी	150,000
5	वेरसालिस	इटली	300,000
6	सिक्लिस	फ्रांस	175,000
7	इनिओस फिनोल	जर्मनी	650,000
8	इनिओस फिनोल	बेल्जियम	680,000
9	मित्सुई फिनोल	सिंगापुर	300,000

स्रोत: आईसीआईएस रिपोर्ट दिनांक: 05-जून-2020

त. संबद्ध देश में उत्पादकों/निर्यातकों के पास बहुत अधिक मात्रा में अप्रयुक्त क्षमताएं हैं। सारांशीकृत स्थिति नीचे सारणी में दी गई है। पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किए जाने की स्थिति में निर्यातक भारत को निर्यातक कर इन क्षमताओं का संभवतः उपयोग करने वाले हैं।

विवरण	सिंगापुर (एमटी)	यूरोपीय यूनियन (एमटी)
क्षमता	3,00,000	28,05,000
क्षमता उपयोग %	80	83
उत्पादन	2,40,000	23,28,150

अ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

104. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा संभावना के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. संबद्ध देशों में पाटित आयातों में वृद्धि की दर, अत्यधिक क्षमताओं, मालसूची के स्तरों, भारतीय बाजार में पर्याप्त स्वतंत्र रूप से बिक्री योग्य अथवा निर्यातकों की क्षमताओं में आसन्न वास्तविक वृद्धि और भारतीय बाजार की कीमत आकर्षकता के लिए कोई विश्वसनीय अथवा ठोस स्रोत नहीं है।
- ख. स्थाई मांग परिदृश्य में जहां एमपीएस और एमएपी आयातों में कोविड-19 के प्रभाव के कारण जांच की अवधि में अपेक्षाकृत कम क्षमता उपयोग के कारण काफी हद तक कमी आई और एमएपी ने भारत में विचाराधीन उत्पाद का पाटन नहीं किया, यद्यपि कोई शुल्क नहीं लगाया गया था और वैसा करने के लिए पर्याप्त अवसर था, यह दर्शाता है कि सिंगापुर से पाटन की कोई संभावना नहीं है।
- ग. पैरा 87 में याचिकाकर्ताओं यह उल्लेख करते हैं कि “जबकि आयात शुल्कों को लगाए जाने के कारण कुछ हद तक अवरुद्ध रहे हैं, आयात वर्तमान जांच की अवधि के भीतर बहुत अधिक रही है” इस तथ्य का विरोधाभासी है कि शून्य शुल्क रहने के बावजूद जांच की अवधि के दौरान आयात का कुल आयातों में 0.8 प्रतिशत हिस्सा है। इसके अलावा, यदि भारत एमपीएस और एमएपी के लिए एक आकर्षक बाजार था तब वे भारत को बड़ी हुई मात्राओं में इस उत्पाद का पहले से ही निर्यात करते रहे हैं।
- घ. याचिकाकर्ताओं ने इस याचिका के 90 के माध्यम से अनुच्छेद 88 में यह स्वीकार किया है कि संबद्ध देशों के विदेशी उत्पादकों के पास बहुत अधिक उत्पादन क्षमताएं हैं। अनुच्छेद 88-90 में आरोप केवल अनुमान हैं और वे सही तथ्यों को नहीं दर्शाते हैं। याचिकाकर्ताओं ने अतिरिक्त क्षमताओं के बजाए कुल क्षमताएं उपलब्ध कराई है। चीन की सरकार ने सिंगापुर से संबद्ध वस्तुओं पर शुल्क लागू नहीं किया है, इस कारण से, याचिकाकर्ताओं के दावे पूर्ण रूप से संगत नहीं हैं।

- ड. याचिकाकर्ता को यह अवश्य सिद्ध करना चाहिए कि पाटित वस्तुओं के कारण क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना तथा इस प्रकार के प्रमाण का दायित्व अन्य पर नहीं दिया जा सकता है। एमपीएस के साथ विचाराधीन उत्पाद की मालसूची में जांच की अवधि के दौरान 50 प्रतिशत तक गिरावट आई है।
- च. ऐसी स्थिति में जहां याचिकाकर्ता पहले से ही उस उत्पाद की बिक्री करने में सक्षम होने के प्रति आश्वस्त हैं जिसका वे उत्पादन करते हैं, पाटनरोधी शुल्कों को जारी रखना प्रयोक्ता उद्योगों पर एक अनावश्यक बोझ होगा।
- छ. संबद्ध देशों से आयातों के कारण याचिकाकर्ताओं को क्षति जारी नहीं रही है और इस तथ्य को भी आवेदकों द्वारा मौखिक सुनवाई के दौरान स्वीकार किया गया है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि घरेलू उद्योग को अन्य कारणों से क्षति होती रही है। क्षति के फिर से होने का भी कोई खतरा नहीं है।
- ज. सिंगापुर से आयात कुल आयातों के 1 प्रतिशत से कम है लेकिन कोरिया और अन्य देशों से आयात बहुत अधिक मात्रा में और बहुत कम कीमत पर हुए हैं।
- झ. आयातों में निरंतर रूप से गिरावट आई है। चूंकि घरेलू उद्योग को कोई वर्तमान क्षति के कारण हानि नहीं हो रही है, इस बात की कोई संभावना नहीं है कि प्रयोक्ता उद्योग घरेलू उद्योग से संबद्ध वस्तुओं को मंगाना पसंद करते हैं।
- ञ. सिंगापुर से आयातों के कारण कीमत में कोई कटौती अथवा परिणामी कीमत ह्रास अथवा न्यूनीकरण नहीं हुआ है और इस कारण से क्षति के फिर से होने की कोई संभावना नहीं है।
- ट. संबद्ध देशों से बहुत अधिक अतिरिक्त क्षमता अथवा उत्पादकों के पास स्वतंत्र रूप से बिक्री योग्य क्षमता के संबंध में साक्ष्य के गोपनीय होने का दावा किया गया है।
- ठ. निर्यातोन्मुखीकरण अनुबंध II पैरा vii के अनुसार एक संगत मापदंड नहीं है।
- ड. चीन के उद्योग की आत्म-पर्याप्तता के फलस्वरूप वास्तव में यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि संबद्ध देशों से निर्यात इस तथ्य को दर्शाए बिना कि कोई अन्य देश इस प्रकार के आयातों को नहीं खपा सकता है, भारत को परिवर्तित किया जाएगा।
- ढ. पीकेएन ओरलेन के विस्तार के संबंध में साक्ष्य समाचार लेख पर आधारित है और इस कारण से स्वीकार किए जाने योग्य साक्ष्य नहीं हैं। फिनोल की अधिक आपूर्ति के दावे की पुष्टि भी नहीं की गई है।
- ण. यह सिद्ध करने के उद्देश्य से कि भारत एक आकर्षक बाजार है, आवेदकों से यह अपेक्षित है कि वे यह दर्शाएं कि यूरोपीय यूनियन द्वारा भारत को किए गए निर्यातों से प्राप्त की गई कीमतें किसी अन्य देश की कीमतों की तुलना में अधिक थीं, हालांकि ऐसे किसी आंकड़ों को प्रस्तुत नहीं किया गया है।
- त. पाटन सिम्पलीसिटर के होने अथवा फिर से होने का खतरा निर्णायक समीक्षा के अनुसरण में पाटनरोधी शुल्कों को जारी रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। बल्कि 'पाटन' 'क्षति' दोनों के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना वे कारक हैं जिन्हें निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अगले पांच वर्षों की अवधि के लिए पाटनरोधी शुल्क के विस्तार करने की सिफारिश करने के पूर्व संतुष्ट किया जाना अपेक्षित है।
- थ. क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की कोई संभावना नहीं है क्योंकि घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में मालसूची के मामले में कार्य-निष्पादन को छोड़कर सुधार हुआ है। घरेलू उद्योग द्वारा घरेलू उद्योग को क्षति के फिर से होने का आरोप लगाने के लिए सूचीबद्ध कारक संगत नहीं हैं और वे न्यायिक रूप से अस्वीकार्य तथ्यों पर आधारित हैं।

अ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

105. प्राधिकारी के ध्यान में लाए गए सभी कारकों की जांच इस तथ्य का निर्धारण करने के लिए की गई है कि क्या शुल्क को समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन अथवा क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना है। प्राधिकारी ने पाटन अथवा क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से विभिन्न सूचनाओं, जिन्हें घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराया गया, पर विचार किया है।

106. प्राधिकारी ने धारा 9क(5), नियम 23 में निर्धारित आवश्यकताओं और इस नियमावली के अनुबंध-II (vii) के संदर्भ में वास्तविक क्षति से संबंधित मानदंडों और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा रिकॉर्ड पर लाए गए अन्य संगत कारकों पर विचार करते हुए क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना की जांच की है। वर्तमान जांच यूरोपीय यूनियन और सिंगापुर से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पूर्व में लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की एक निर्णायक समीक्षा है। इस नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे इस तथ्य का निर्धारण करें कि क्या पाटनरोधी शुल्क को निरंतर लगाए रखना आवश्यक है। इसमें इस तथ्य पर भी पुनर्विचार करना अपेक्षित है कि क्या लगाया गया शुल्क क्षतिकारक पाटन को समाप्त करने के अभीष्ट उद्देश्य को पूरा कर रहा है। इस प्रकार का संभावना विश्लेषण करने के लिए कोई विशिष्ट पद्धति उपलब्ध नहीं है। हालांकि, इस नियमावली के अनुबंध-II के उपबंध (vii) में अन्य बातों के साथ-साथ उन कारकों के लिए भी प्रावधान है, जिन पर विचार किया जाना अपेक्षित है अर्थात:
- i. बहुत अधिक हद तक बढ़े हुए आयात की संभावना को दर्शाते हुए भारत में पाटित आयातों की वृद्धि की बहुत अधिक दर।
 - ii. किसी अतिरिक्त निर्यात को खपाने के लिए अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता पर विचार करते हुए भारतीय बाजारों को बहुत अधिक हद तक बढ़े हुए पाटित निर्यातों की संभावना को दर्शाते हुए निर्यातक की क्षमता में पर्याप्त स्वतंत्र रूप से बिक्री योग्य अथवा आसन्न, वास्तविक क्षमताओं में वृद्धि।
 - iii. क्या आयात उन कीमतों पर हो रहे हैं जिनका घरेलू कीमतों पर बहुत अधिक ह्रासकारी अथवा न्यूनकारी प्रभाव पड़ेगा और जिनके कारण आगे आयातों के लिए मांग में संभवतः वृद्धि होगी.; और
 - iv. जांच की जा रही वस्तु की मालसूची।
- i. **निरंतर तथा मौजूदा पाटन एवं क्षति**
107. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच की वर्तमान अवधि में विचाराधीन उत्पाद का आयात पाटनरोधी शुल्क के मौजूद रहने के बावजूद पाटित कीमतों पर हुए हैं। इसके अलावा, पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन दोनों संबद्ध देशों के लिए सकारात्मक हैं। यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में लाभ, नकद लाभ और लगाई गई पूंजी पर लाभ के संबंध में बहुत अधिक हद तक गिरावट आई है। यह भी देखा जाता है कि यूरोपीय यूनियन से इन आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है जबकि सिंगापुर से आयातों के कारण कीमत में कटौती नकारात्मक है।
108. जहां तक यूरोपीय यूनियन का प्रश्न है, यह नोट किया जाता है कि आयातों की मात्रा में पाटनरोधी शुल्क के मौजूद रहने के बावजूद जांच की अवधि के दौरान बहुत अधिक हद तक वृद्धि हुई है।
109. प्राधिकारी ने सिंगापुर से आयातों की संभावना के संबंध में रिकॉर्ड पर रखे गए साक्ष्य की जांच की है। चूंकि सिंगापुर के एकमात्र उत्पादक अर्थात् एमपीएस ने वर्तमान जांच में सहयोग किया है और उनके द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना की जांच भी की गई है, एमपीएस द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों पर विचार घरेलू उद्योग द्वारा रिकॉर्ड पर उपलब्ध कराए गए तथ्यों और दस्तावेजों के साथ संभावना का निर्धारण करते समय किया गया है।
110. यह नोट किया जाता है कि सिंगापुर से आयात में क्षति की अवधि की प्रक्रिया के दौरान बहुत हद तक गिरावट आई और सिंगापुर से संबद्ध वस्तुओं के आयात जांच की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं के कुल आयातों का 1 प्रतिशत से कम था। यह उस तथ्य के बावजूद है कि सहयोगी उत्पादक और निर्यातक पर कोई पाटनरोधी शुल्क लागू नहीं था।
- ii. **संबद्ध देशों में अतिरिक्त क्षमताएं**
111. रिकॉर्ड पर सूचना के अनुसार, संबद्ध देशों में उत्पादकों/निर्यातकों के पास बहुत अधिक मात्रा में अप्रयुक्त क्षमताएं हैं जिनका उपयोग संभवतः पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किए जाने की स्थिति में भारत को निर्यात करने के लिए किया जाने वाला है।

iii. कीमत में कटौती और बाजार के रूप में भारत की आकर्षकता

112. यह भी देखा जाता है कि यूरोपीय यूनियन से आयातों के कारण जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है और कटौती का मार्जिन बहुत अधिक है जो यह दर्शाता है कि वर्तमान में लागू पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किए जाने के फलस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाते हुए बहुत अधिक पाटन होने की संभावना है।
113. इसके अलावा भारत लागू पाटनरोधी शुल्क के बावजूद यूरोपीय उत्पादकों के लिए दूसरा सबसे बड़ा निर्यात-स्थल है। पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किए जाने की स्थिति में, यूरोपीय यूनियन से भारत में निर्यात में वृद्धि होने की संभावना है।
114. घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि यूरोपीय यूनियन से अन्य देशों से निर्यात पाटित और क्षतिकारक कीमत पर हुए हैं और भारत यूरोपीय यूनियन के निर्यातकों के लिए एक आकर्षक बाजार है। इस संबंध में, प्राधिकारी ने यूरोस्टैट आंकड़ों के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना की जांच की है। प्राधिकारी ने उस कीमत की जांच की है, जिस पर इन वस्तुओं का निर्यात भारत और विश्व के शेष देशों को किया गया था। जांच से यह नोट किया जाता है कि भारत यूरोपीय यूनियन के लिए दूसरा सबसे बड़ा निर्यात स्थल है और यूरोपीय यूनियन में निर्यातकों के पास अन्य देशों को निर्यात कीमत से कम कीमत पर निर्यात करने के लिए बहुत अधिक मात्रा है जो संभवतः पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किए जाने की स्थिति में भारत की ओर परिवर्तित किया जाना है।
115. सिंगापुर से आयातों के संबंध में यह नोट किया जाता है कि सिंगापुर से कीमत में कटौती नकारात्मक है।
116. सिंगापुर से कीमत आकर्षण के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि एमपीएस से अन्य देशों को संबद्ध वस्तुओं की निर्यात कीमतें भारत को निर्यात कीमतों से कम हैं। तथापि, यह भी नोट किया जाता है कि इस तथ्य के बावजूद कि सहयोगी उत्पादक और निर्यातक पर कोई पाटनरोधी शुल्क नहीं था, क्षति जांच अवधि के दौरान भारत को संबद्ध वस्तुओं की निर्यात मात्रा बहुत कम बनी हुई है।

iv. जांच की जा रही वस्तु की मालसूची

117. सिंगापुर के सहयोगी उत्पादक और निर्यातक के द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना से यह नोट किया जाता है कि सहयोगी उत्पादक मै. एमपीएस के पास संबद्ध वस्तुओं की मालसूची में क्षति की जांच की अवधि के दौरान गिरावट आई है।

पाटन और क्षति की संभावना संबंधी निष्कर्ष

118. रिकॉर्ड में उपलब्ध साक्ष्य यह दर्शाता है कि यूरोपीय संघ से आयातों की मात्रा में पाटनरोधी शुल्क की मौजूदगी के बावजूद जांच की अवधि के दौरान काफी वृद्धि हुई है। सिंगापुर को छोड़कर, संबद्ध देशों से आयात घरेलू उद्योग की कीमतों की कटौती कर रहे हैं। घरेलू उद्योग के निष्पादन में जांच की अवधि के दौरान काफी गिरावट आई है। रिकॉर्ड में उपलब्ध साक्ष्य यह भी दर्शाता है कि भारत मौजूद पाटनरोधी शुल्क के बावजूद यूरोपीय संघ के उत्पादकों के लिए दूसरा सबसे बड़ा निर्यात लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि यूरोपीय संघ में निर्यातकों का भारत में निर्यात कीमत से कम कीमत पर अन्य देशों को निर्यातों की काफी मात्रा है, जिन्हें पाटनरोधी शुल्क बंद किए जाने की स्थिति में भारत में भेजे जाने की संभावना है। रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना के अनुसार, यह नोट किया जाता है कि यूरोपीय संघ में संबद्ध सामानों के उत्पादक, जो भी चीन को निर्यात करते हैं, पर भी चीन सरकार द्वारा लगाए गए पाटनरोधी शुल्क लग रहे हैं। इस प्रकार, ये सभी मानदंड यह दर्शाते हैं कि पाटनरोधी शुल्क बंद किए जाने की स्थिति में यूरोपीय संघ में स्थित निर्यातकों के पाटित कीमतों पर भारत में पाटित उत्पादों का निर्यात और बढ़ाने की संभावना है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहेगी तथा और बढ़ेगी। जहां तक सिंगापुर के आयातों के कारण पाटन और क्षति के बार-बार होने की स्थिति जारी रहने की संभावना है, यह नोट किया जाता है कि सिंगापुर से एक मात्र एवं सहयोगी उत्पादक और निर्यातक के संबंध में मूल जांच में कोई पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाया गया था। सिंगापुर से सहयोगी उत्पादक एवं निर्यातक के संबद्ध सामानों का कोई पाटनरोधी शुल्क न होने के बावजूद सिंगापुर से आयातों की मात्रा बहुत कम है और वह भारत में संबद्ध सामानों के कुल आयातों के 1 प्रतिशत से कम है। यह भी नोट किया जाता है कि यद्यपि सहयोगी उत्पादक और निर्यातक के क्षमता उपयोग में जांच की अवधि के दौरान थोड़ी-सी गिरावट आई है, तथापि यह बहुत अधिक है और यह भारत में संबद्ध सामानों के बढ़े हुए पाटित आयातों में नहीं आया है। इसके अतिरिक्त, सिंगापुर में

मालसूची में हाल की अवधियों में काफी गिरावट आई है। उपर्युक्त के मद्देनजर, यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि सिंगापुर से संबद्ध सामानों के आयातों के कारण पाटन एवं क्षति जारी रहने तथा बार-बार होने की कोई संभावना नहीं है।

ट. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन पश्चात अनुरोध

ट.1. घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

119. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध निम्नलिखित हैं:

- (i) मैसर्स एक्जिमकॉर्प इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स सेंचुरी प्लाई ने प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर खुद को हितबद्ध पक्षकारों के रूप में पंजीकृत नहीं किया। मैसर्स सेंचुरी प्लाई द्वारा दायर सुनवाई के बाद के अनुरोधों पर समय-सीमा के भीतर पंजीकृत करने में उनकी विफलता के कारण विचार नहीं किया जाना चाहिए। मैसर्स एक्जिमकॉर्प इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने प्रश्नावली के उत्तर अथवा अनुरोध दायर नहीं किए।
- (ii) प्रकटन विवरण में आवेदन पत्र में सूचित एनआईपी और प्रकटन में निर्धारित एनआईपी में काफी अंतर के कारण निर्धारित नहीं किए गए हैं। आवेदक कोई टिप्पणी देने में असमर्थ हैं क्योंकि संबद्ध फाइलें साझा नहीं की गई हैं।
- (iii) प्राधिकारी ने निर्देशन के लिए तीन माह अर्थात् अप्रैल, 2019 से जून, 2019 के लिए क्षमता उपयोग, निर्धारित खर्चों और प्रति यूनिट एनएफए पर विचार नहीं किया है जो पहले ही अप्रैल, 2018 – जून, 2019 में शामिल है। यह प्राधिकारी की विगत सुस्थापित परिपाटी के विसंगत है।
- (iv) वर्तमान जांच में पाटन मार्जिन सकारात्मक और काफी है।
- (v) सिंगापुर से आयातों के कारण पाटन और क्षति के बार-बार होने की संभावना है। सिंगापुर का पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन सकारात्मक और काफी है जिससे आदतन पाटन सिद्ध होता है। सिंगापुर में उत्पादकों के पास काफी अनुपयुक्त क्षमताएं हैं और मुक्त रूप से निपटान योग्य क्षमताओं में वृद्धि हुई है। एमएपी विभिन्न स्रोतों से संबद्ध सामान ले रहा है और भारत को निर्यात कर रहा है। आरंभिक वर्षों के दौरान कीमत कटौती सकारात्मक थी जो, यदि शुल्क समाप्त होते हैं, सिंगापुर से निर्यातकों की संबद्ध सामानों का पाटन करने की क्षमता सिद्ध करते हैं। चीन में मांग में गिरावट के कारण भारत अगला वांछनीय बाजार बनने की संभावना है।
- (vi) यूरोपीय संघ से आयातों के कारण पाटन और क्षति के बार-बार होने की संभावना है।
- (vii) प्रयोक्ताओं/आयातकों के पर्याप्त संगत एवं सत्यापनीय सूचना प्रदान कर काफी विरोध का अभाव यह दर्शाता है कि वे वर्तमान जांच के परिणामस्वरूप उन पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पर विचार नहीं मानते। शुल्क लगाए जाने से घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट कम होगी, क्षति का समाधान होगा और घरेलू उत्पादक अर्थक्षम और प्रतिस्पर्धी बने रहने में सक्षम होंगे।
- (viii) यदि वर्तमान स्थिति जारी रहती है तो उद्योग के सामने और क्षति की समस्या आएगी तथा अंततः वह समाप्त हो जाएगा जिससे विदेशी उत्पादकों को और बढ़ावा मिलेगा तथा उपभोक्ता उनकी दया पर रह जाएंगे। उत्पाद का सशक्त, प्रतिस्पर्धी घरेलू उत्पादन सार्वजनिक हित में है।
- (ix) घरेलू उद्योग ने देश में मांग-आपूर्ति के अंतराल को पूरा करने के लिए विचाराधीन उत्पाद की क्षमताओं में वृद्धि की है। घरेलू उद्योग द्वारा निवेशों में वृद्धि से केवल अधिक रोजगार होगा जिससे समग्र रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था को लाभ मिलेगा। घरेलू उद्योग का जोर केवल लाभ पर नहीं है, बल्कि पर्यावरणीय संधारणीयता पर भी है। इन उद्योगों की वृद्धि को प्रोत्साहित करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह माननीय प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के अनुरूप भी है।

ट.2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

120. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- (i) डीजीटीआर ने आयातों की काफी मात्रा के बावजूद संबद्ध देशों के क्षेत्र से कोरिया को अलग किए जाने के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। यह सिंगापुर के विरुद्ध समीक्षा की भेदभावपूर्ण शुरुआत के संदर्भ में संगत है। कोरिया से आयात उस कीमत पर सिंगापुर से आयातों की मात्रा के 10 गुना किए गए थे जो लगभग 10 प्रतिशत कम हैं।
- (ii) डीजीटीआर ने एसआई ग्रुप के भाग न लेने के संबंध में जांच नहीं की है। तर्क के अभाव में, अंतिम जांच परिणाम प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होंगे।
- (iii) डीजीटीआर को यह स्वीकार करना चाहिए कि संबद्ध देशों से आयातों का कोई मात्रात्मक प्रभाव नहीं है।
- (iv) चूंकि डीजीटीआर ने सिंगापुर के लिए कीमत कटौती नकारात्मक पाई है, अतः डीजीटीआर को यह भी देखना चाहिए कि सिंगापुर से आयातों के कारण और विशेष रूप से एमपीएस और एमपीएस, जिन पर पहले ही शून्य शुल्क लगे रहे हैं, के कारण घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं है।
- (v) प्रकटन विवरण में लाभप्रदता की सूची गलत दिखाई देती है।
- (vi) डीजीटीआर यह मानने में विफल रहा है कि सिंगापुर से पहुँच कीमत में वृद्धि हुई है।
- (vii) डीजीटीआर के लिए यह अपेक्षित है कि वे अधिक व्याज लागत और मूल्यहास के कारण क्षति के दावे को रद्द करने के कारण प्रकट करें जिनसे समग्र कम लाभ हो सकता है।
- (viii) डीजीटीआर को यह देखना चाहिए कि सिंगापुर से पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की कोई संभावना नहीं है।
- (ix) डीजीटीआर ने यह पाया है कि एमपीएस ने अनुपयुक्त क्षमताओं में वृद्धि दर्शाई है। एमपीएस ने अपने क्षमता उपयोग के आंकड़े अपने पूर्व के अनुरोधों के भाग के रूप में दायर किए हैं और दिए गए आंकड़े यह दर्शाते हैं कि सामान्य रूप से एमपीएस का क्षमता उपयोग 90 प्रतिशत अधिक है। कोविड प्रभावित जांच की अवधि में और उत्पादन बंदी (संयंत्र के रख-रखाव के कारण) में भी एमपीएस का उपयोग 87 प्रतिशत से अधिक था। यदि क्षमता उपयोग को उपर्युक्त बंदी के लिए समायोजित किया जाता है, तो कोई गिरावट नहीं है और क्षमता 96 प्रतिशत से अधिक है। यह सिद्ध करता है कि एमपीएस में कोई अतिरिक्त क्षमताएं नहीं हैं।
- (x) एमपीएस में कोई अतिरिक्त क्षमताएं नहीं हैं। यदि डीजीटीआर यह मानता है कि एमपीएस में अतिरिक्त क्षमताएं थीं तो उन अतिरिक्त क्षमताओं का उपयोग विचाराधीन उत्पाद के निर्यात के लिए आसानी से किया जा सकता था क्योंकि एमपीएस की शून्य शुल्क दरें थीं। इसके बजाए, एमपीएस और एमपीएस द्वारा निर्यातों की मात्रा में काफी गिरावट आई है।

ट.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

121. प्राधिकारी ने अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रकटन पश्चात अनुरोधों की जांच की है और नोट करते हैं कि कुछ टिप्पणियां पुनरावृत्ति हैं जिनकी जांच उपयुक्त रूप से पहले ही कर दी गई है तथा अंतिम जांच परिणाम के संगत पैराओं में पर्याप्त रूप से हल कर दिए गए हैं। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन पश्चात टिप्पणियों/ अनुरोधों में पहली बार उठाए गए और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए मुद्दों की निम्नलिखित रूप में जांच की गई है:

- (i) जहां तक कोरिया को अलग किए जाने का संबंध है, घरेलू उद्योग ने केवल यूरोपीय संघ और सिंगापुर के संबंध में विधिवत सिद्ध आवेदन पत्र/याचिका दायर की है। संबद्ध समीक्षा जांच से कोरिया को अलग किए जाने के मुद्दे के संबंध में, घरेलू उद्योग ने बाद में अनुरोध किया कि चूंकि कोरिया का क्षति मार्जिन नकारात्मक है, अतः वे कोरिया के विरुद्ध मामले को आगे नहीं ले जाना चाहते। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने कोरिया के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्क बंद किए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को पाटन की संभावना और परिणामस्वरूप क्षति के संबंध में कोई सूचना नहीं दी। उपर्युक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी ने कोरिया के विरुद्ध मामले की शुरुआत नहीं की।

- (ii) जहां तक एसआई ग्रुप के भाग न लेने का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियम 2(ख) के तहत कानूनी अपेक्षा यह है कि प्रतिभागी कंपनियों के सामूहिक उत्पादन का भारतीय उत्पादन में प्रमुख अनुपात है। आवेदकों का वर्तमान जांच में कुल भारतीय उत्पादन में 88.95 प्रतिशत हिस्सा है। आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के तहत घरेलू उद्योग है और आवेदन पत्र नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार आधार के मानदंडों को पूरा करता है। अतः एसआई ग्रुप का वर्तमान जांच में भाग लेना अथवा भाग न लेना अवास्तविक हो जाता है।
- (iii) इस तर्क के संबंध में कि लाभप्रदता में गिरावट ब्याज एवं मूल्य लागत में वृद्धि के कारण है, यह भी देखा जाता है कि घरेलू उद्योग के निष्पादन में ब्याज पूर्व लाभ (आरओआई) और मूल्यहास पूर्व लाभ (नकद लाभ) के संबंध में गिरावट आई।
- (iv) जहां तक लाभप्रदता के गलत सूचीकरण का संबंध है, यह सूचीकरण निर्दिष्ट प्राधिकारी की सतत् परिपाटी के अनुसार किया जाता है।
- (v) मैसर्स एक्जिमकॉर्प इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स सेंचुरी प्लाई और मैसर्स एआईसीए की हितबद्ध पक्षकार के रूप में पात्रता संबंधी अनुरोधों के संबंध में, प्राधिकारी ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा प्राधिकारी के परिपाटी के आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को स्वीकार किया और उनकी जांच की।
- (vi) जहां तक सिंगापुर के आयातों के कारण पाटन और क्षति के बार-बार होने की स्थिति जारी रहने की संभावना है, यह नोट किया जाता है कि सिंगापुर से एक मात्र एवं सहयोगी उत्पादक और निर्यातक के संबंध में मूल जांच में कोई पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाया गया था। सिंगापुर से सहयोगी उत्पादक एवं निर्यातक के संबद्ध सामानों का कोई पाटनरोधी शुल्क न होने के बावजूद सिंगापुर से आयातों की मात्रा बहुत कम है और वह भारत में संबद्ध सामानों के कुल आयातों के 1 प्रतिशत से कम है। यह भी नोट किया जाता है कि यद्यपि सहयोगी उत्पादक और निर्यातक के क्षमता उपयोग में जांच की अवधि के दौरान थोड़ी-सी गिरावट आई है, तथापि यह बहुत अधिक है और यह भारत में संबद्ध सामानों के बढ़े हुए पाटित आयातों में नहीं आया है। इसके अतिरिक्त, सिंगापुर में मालसूची में हाल की अवधियों में काफी गिरावट आई है। उपर्युक्त के मद्देनजर, यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि सिंगापुर से संबद्ध सामानों के आयातों के कारण पाटन एवं क्षति जारी रहने तथा बार-बार होने की कोई संभावना नहीं है।
- (vii) एनआईपी से संबंधित तर्कों के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि एनआईपी को नियमों के अनुबंध III में निर्धारित अनुसार निर्धारित किया गया है।

ठ. भारतीय उद्योग के हित एवं अन्य मुद्दे

122. प्राधिकारी मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से भारत में उत्पाद के कीमत स्तर प्रभावित हो सकते हैं। तथापि, भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा पाटनरोधी उपाय लगाने से कम नहीं होगी। इसके विपरीत, पाटनरोधी उपाय लगाने से पाटन की परिपाटियों से प्राप्त अनुचित लाभ समाप्त होंगे, घरेलू उद्योग की गिरावट रुकेगी और संबद्ध सामानों के लिए उपभोक्ताओं को व्यापक विकल्प की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी। पाटनरोधी शुल्कों का प्रयोजन सामान्य रूप में घरेलू उद्योग को पाटन की अनुचित व्यापारिक परिपाटियों से होने वाली क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली एवं उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति पुनः स्थापित की जा सके जो कि देश के सामान्य हित में है। अतः पाटनरोधी शुल्क लगाने से ग्राहकों को उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी उपाय लगाने से किसी भी तरह संबद्ध देशों से आयात प्रतिबंधित नहीं होंगे और इसीलिए उपभोक्ताओं को उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।
123. प्राधिकारी ने इस बात पर विचार किया कि क्या पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके लिए, प्राधिकारी ने यह जांच की कि क्या जांचाधीन उत्पाद के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना व्यापक जनहित के विरुद्ध होगा। यह निर्धारण घरेलू उद्योग आयातकों और उत्पाद के उपभोक्ताओं सहित विभिन्न पक्षकारों के हितों तथा रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना पर विचार करने के आधार पर है।

124. प्राधिकारी ने आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों के विचार आमंत्रित करते हुए राजपत्र अधिसूचना जारी की। प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के संबंध में संगत सूचना दिए जाने के लिए उपभोक्ताओं के लिए उनके प्रचालनों के संबंध में पाटनरोधी शुल्क के संभावित प्रभाव सहित सूचना दिए जाने के लिए प्रश्नावली भी निर्धारित की। प्राधिकारी ने अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न देशों से विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद की परस्पर परिवर्तन क्षमता, स्रोत बदलने के लिए घरेलू उद्योग की क्षमता, उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव, पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के कारण नई स्थिति में बढ़ने अथवा विलंब होने की संभावना वाले कारकों के संबंध में सूचना मांगी।
125. तीन आयातकों/प्रयोक्ताओं अर्थात् मैसर्स एआईसीए लैमिनेट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स एक्विजमकॉर्प इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स सेंचुरी प्लाई ने उत्तर दिया। एक प्रयोक्ता एसोसिएशन अर्थात् मैसर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया प्लाईवुड एंड पैनल ने खुद को हितबद्ध पक्षकारों के रूप में पंजीकृत किया और अनुरोध दायर किए। तथापि, किसी भी प्रयोक्ता/आयातक अथवा प्रयोक्ता एसोसिएशन के सदस्य ने निर्धारित प्रयोक्ता/आयातक प्रश्नावली के उत्तर दायर नहीं किए हैं। जैसा कि इन जांच परिणामों में पहले ही नोट किया गया, इनमें से किसी भी प्रयोक्ता अथवा प्रयोक्ता एसोसिएशन ने उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव दर्शाने के लिए कोई सत्यापनीय सूचना नहीं दी है। इसके अतिरिक्त, इस संबंध में प्राधिकारी यह दोहराते हैं कि पाटनरोधी उपाय लगाने से किसी भी तरह संबंध देशों से आयात प्रतिबंधित नहीं होंगे और इसीलिए उपभोक्ताओं को उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।
126. यहां तक कि यद्यपि प्राधिकारी ने पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव की मात्रा दर्शाने के लिए और यह बताने के लिए कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से उन पर प्रतिकूल प्रभाव कैसे पड़ेगा, प्रयोक्ताओं के लिए प्रपत्र निर्धारित किए हैं, तथापि, यह नोट किया जाता है कि किसी भी प्रयोक्ता ने संगत सूचना नहीं दी है। इस प्रकार यह नोट किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों ने सत्यापनीय सूचना के साथ प्रयोक्ता उद्योग पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव सिद्ध नहीं किया है। रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना से, प्राधिकारी का यह मत है कि पाटनरोधी शुल्क लगाना जनहित में होगा।

ड. अंतिम निष्कर्ष और सिफारिशें

127. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों और उनमें उठाए गए मुद्दों की जांच करने तथा रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद, प्राधिकारी निष्कर्ष निकालते हैं कि:
- क. आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के तहत घरेलू उद्योग है और आवेदन पत्र नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार आधार के मानदंडों को पूरा करता है।
- ख. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद संबंध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद की समान वस्तु है।
- ग. संगत आंकड़ों का विश्लेषण उसी अवधि के अंतर्गत कीमतों और आयातों की मात्रा में काफी परिवर्तनों के मद्देनजर मासिक आधार पर किया गया है। अतः क्षति मार्जिन, पाटन मार्जिन और कीमत कटौती जांच की अवधि के लिए और समग्र रूप से विचाराधीन उत्पाद के लिए निर्धारित की गई है।
- घ. आवेदन पत्र में जांच की शुरुआत के प्रयोजन के लिए सभी संगत सूचनाएं हैं और आवेदन पत्र में वर्तमान जांच शुरू करने के लिए निर्धारित जांच की शुरुआत का औचित्य बनाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य है।
- ड. संबंध सामानों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए, प्रत्येक संबंध देश से संबंध सामानों के लिए पाटन मार्जिन निर्धारित किया गया है और मार्जिन काफी है।
- च. घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। संबंध उत्पाद के आयातों और घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच यह दर्शाती है कि संबंध देशों से पाटित आयातों की मात्रा में 2017-18 में वृद्धि हुई है, परंतु उसके बाद उसमें गिरावट आई। समग्र आयातों में गिरावट उस स्थिति में देश में क्षमताओं में वृद्धि के स्वाभाविक परिणामस्वरूप थी, जब देश में मांग-आपूर्ति अंतराल था। यूरोपीय संघ से आयात घरेलू उद्योग की कीमतों की

कटौती कर रहे हैं। यद्यपि घरेलू उद्योग के उत्पादन, बिक्री और बाजार हिस्से में दीपक फेनोलिक्स द्वारा नए संयंत्र की स्थापना के कारण जांच की अवधि में वृद्धि हुई है, तथापि घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में पूर्व वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान गिरावट आई है। घरेलू उद्योग की मालसूची में जांच की अवधि के दौरान काफी वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग के निष्पादन में जांच की अवधि में लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय के संबंध में काफी गिरावट आई है। लाभ, पीवीआईटी, नकद लाभ और आरओसीई में पूर्व वर्ष की तुलना में क्रमशः *** प्रतिशत, *** प्रतिशत, *** प्रतिशत और *** प्रतिशत तक गिरावट आई है।

- छ. पाटनरोधी शुल्क बंद किए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग ने पाटन जारी रहने अथवा बार-बार होने तथा परिणामस्वरूप क्षति होने की संभावना के संबंध में यह नोट किया जाता है कि यूरोपीय संघ से आयातों की मात्रा में पाटनरोधी शुल्क की मौजूदगी के बावजूद जांच की अवधि के दौरान काफी वृद्धि हुई है। यह भी नोट किया जाता है कि यूरोपीय संघ में उत्पादकों/निर्यातकों के पास काफी अनुपयुक्त क्षमताएं हैं जिन्हें मौजूदा शुल्कों को बंद किए जाने की स्थिति में भारत को निर्यात करने के लिए उपयोग में लाए जाने की संभावना है।
- ज. जांच से यह भी नोट किया जाता है कि यूरोपीय संघ से आयात जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की कीमतों की कटौती कर रहे हैं और कटौती मार्जिन काफी है जो यह बताता है कि वर्तमान में लागू पाटनरोधी शुल्क बंद करने से अत्यधिक पाटन होने की संभावना है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति होगी। भारत यूरोपीय संघ के लिए दूसरा सबसे बड़ा निर्यात लक्ष्य है, और यूरोपीय संघ के अन्य देशों को निर्यात कीमत से कम कीमत पर निर्यातों की काफी मात्रा है, जिन्हें पाटनरोधी शुल्क बंद किए जाने की स्थिति में भारत में भेजे जाने की संभावना है।
- झ. सिंगापुर के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि सिंगापुर से सहयोगी उत्पादक और निर्यातक पर मूल जांच में कोई पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाया गया था। सिंगापुर से संबद्ध सामानों का कोई पाटनरोधी शुल्क न होने के बावजूद सिंगापुर से आयातों की मात्रा बहुत कम है और वह भारत में संबद्ध सामानों के कुल आयातों के 1 प्रतिशत से कम है। यह भी नोट किया जाता है कि यद्यपि सहयोगी उत्पादक और निर्यातक के क्षमता उपयोग में जांच की अवधि के दौरान थोड़ी-सी गिरावट आई है, तथापि यह बहुत अधिक है और यह भारत में संबद्ध सामानों के बढ़े हुए आयातों में नहीं आया है। यह भी नोट किया जाता है कि रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना से यह भी नोट किया जाता है कि चीन सरकार ने सिंगापुर से संबद्ध सामानों पर कोई शुल्क नहीं लगाए हैं। इसके अतिरिक्त, सिंगापुर में मालसूची में हाल की अवधियों में काफी गिरावट आई है। उपर्युक्त के मद्देनजर, यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि सिंगापुर से संबद्ध सामानों के आयातों के कारण पाटन एवं क्षति जारी रहने तथा बार-बार होने की कोई संभावना नहीं है।
- ञ. पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव की मात्रा बताने और पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से उन पर कैसे प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, यह बताए जाने के लिए प्रयोक्ताओं के लिए सभी प्रपत्र उपलब्ध कराए जाने के बावजूद किसी भी प्रयोक्ता ने संगत सूचना नहीं दी है। हितबद्ध पक्षकारों ने सत्यापनीय सूचना के साथ प्रयोक्ता उद्योग पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव सिद्ध नहीं किया है। इस प्रकार, यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क न लगाए जाने से संबंधित उत्पाद का स्वदेशी उत्पादन प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा और इसीलिए प्राधिकारी का यह मत है कि पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना जनहित में होगा।
- ट. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरू की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित की गई थी तथा घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति एवं कारणात्मक संपर्क के पहलुओं के संबंध में सकारात्मक सूचना प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था। पाटनरोधी नियमावली के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार, पाटन, क्षति एवं कारणात्मक संपर्क के संबंध में जांच शुरू करने और जांच करने पर, प्राधिकारी का यह मत है कि यूरोपीय संघ से संबद्ध सामानों के सभी आयातों पर संशोधित किए गए अनुसार पाटनरोधी शुल्क जारी रखना पाटन और क्षति को दूर करने के लिए आवश्यक है। प्राधिकारी इसे आवश्यक समझते हैं और यूरोपीय संघ से संबद्ध आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने

की सिफारिश करते हैं। चूंकि सिंगापुर से संबद्ध सामानों के आयातों के कारण पाटन और क्षति जारी रहने अथवा बार-बार होने की कोई संभावना नहीं है, अतः सिंगापुर के उत्पादकों तथा निर्यातकों के विरुद्ध किसी पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश नहीं की जाती है।

128. प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए कमतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन में से कमतर के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त की जा सके। तदनुसार, प्राधिकारी केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से यूरोपीय संघ के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के आयातों पर संशोधित पाटनरोधी शुल्क नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम 7 में उल्लिखित राशि के बराबर निरंतर लगाए जाने की सिफारिश करते हैं। इस प्रयोजन के लिए आयातों का पहुँच मूल्य सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत सीमा शुल्क द्वारा निर्धारित और सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 3, 3क, 8ख, 9, 9क के तहत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर सीमा शुल्क के लागू स्तर के अनुसार निर्धारणीय मूल्य होगा।

शुल्क तालिका

क्रम सं.	शीर्ष	सामानों का विवरण	मूल देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि	यूनिट	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	29071110	फेनोल	यूरोपीय संघ	यूरोपीय संघ सहित कोई देश	कोई अन्य	66.76	मी. टन	अमेरिकी डॉलर
2.	29071110	फेनोल	जिस देश पर पाटनरोधी शुल्क लग रहा है, उसको छोड़कर कोई भी देश	यूरोपीय संघ	कोई अन्य	66.76	मी. टन	अमेरिकी डॉलर

ढ. आगे की प्रक्रिया

129. इस सिफारिश के कारण केंद्र सरकार के आदेश के विरुद्ध कोई अपील अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद एवं सेवा कर अपील अधिकरण के समक्ष की जाएगी।

अनंत स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

FINAL FINDINGS

New Delhi, the 30th July, 2021

Case No. (SSR) 22/2020

Subject : Sunset Review (SSR) of Anti-Dumping Duty imposed on Imports of Phenol originating in or exported from European Union and Singapore.

F. No. 7/41/2020-DGTR.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as “the Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as “the Rules”) thereof.

A. BACKGROUND OF THE CASE

1. The Designated Authority (hereinafter referred to as “Authority”) received an application from M/s. Deepak Phenolics Limited (DPL) and M/s. Hindustan Organics Chemical Limited (HOCL) (hereinafter also referred to as “Applicants”) requesting initiation of sunset review of anti-dumping duty imposed on imports of ‘Phenol’ (hereinafter referred to as “subject goods” or “product under consideration” or “PUC”) originating in or exported from European Union and Singapore (“subject countries”). The Applicants provided the prescribed information in the Application.
2. The Authority had initiated the original investigation concerning imports of Phenol originating in or exported from European Union, Korea RP and Singapore vide Notification No. 14/13/2014-DGAD dated 15th October, 2014. The Final Findings Notification was issued by the Authority vide Notification No. 14/13/2014-DGAD dated 12th January 2016 recommending imposition of definitive Anti-Dumping Duty (ADD) on the imports of the subject goods, originating in or exported from European Union, Korea RP and Singapore. Definitive anti-dumping duties were imposed by the Department of Revenue vide Notification No. 6/2016 – Customs (ADD) dated 8th March, 2016.
3. In terms of Section 9A (5) of the Act, ADD imposed shall unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition and the Authority is required to review, whether the expiry of ADD is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. Further, Rule 23 (1B) of the Rules provides as follows:
“any definitive antidumping duty levied under the Act, shall be effective for a period not exceeding five years from the date of its imposition, unless the designated authority comes to a conclusion, on a review initiated before that period on its own initiative or upon a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry, within a reasonable period of time prior to the expiry of that period, that the expiry of the said anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.”
4. In accordance with the above, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry, as to whether the expiry of ADD is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.
5. The Applicants jointly filed an application dated 8th September, 2020 requesting initiation of SSR of ADD imposed earlier and seeking continuation of ADD against imports of Phenol from European Union and Singapore. The request was based on the grounds that the expiry of the measure was likely to result in continuation of dumping of the subject goods and consequent injury to the Domestic Industry.
6. In view of the duly substantiated application with prima facie evidence of likelihood of dumping and injury filed on behalf of the Domestic Industry and in accordance with Section 9A(5) of the Act, read with Rule 23 of the Rules, the Authority initiated the SSR investigation vide Notification no. 7/41/2020-DGTR dated 31st December, 2020 to review the need for continued imposition of ADD in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject countries and to examine whether the expiry of the said ADD is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the Domestic Industry.

7. Pending conclusion of the investigation, the anti-dumping duties were extended upto and inclusive of 7th June, 2021 vide Notification No. 11/2021-Customs (ADD) dated 3rd March, 2021. Further, anti-dumping duties were extended upto and inclusive of 31st October, 2021 vide Notification No 33/2021 - Customs (ADD) dated 3rd June, 2021.
8. The scope of the present review covers all aspects of the Final Findings Notification No.14/13/2014-DGAD dated 12th January, 2016 which had recommended the imposition of ADD on imports of subject goods originating in or exported from the subject countries.

B. PROCEDURE

9. The procedure described below has been followed with regard to the subject investigation:
 - a. The Authority notified to the Government of the subject countries through its Embassies in India about receipt of the anti-dumping application before proceeding to initiate the present investigation, in accordance with rule 5(5) of the Rules.
 - b. The Authority vide Notification No.7/41/2020-DGTR dated 31st December, 2020 issued a public notice in the Gazette of India Extraordinary, initiating sunset review investigation concerning anti-dumping duty imposed on imports of subject goods from the subject countries.
 - c. In accordance with rule 6(2) of the AD Rules, the Authority forwarded a copy of the initiation notification dated 31st December, 2020, to the Embassies of the subject countries in India, the known producers and exporters from the subject countries, known importers, importer/user Associations and other interested parties, as per the addresses made available by the applicants. The interested parties were advised to provide relevant information in the form and manner prescribed and to make their submissions known in writing within the prescribed time-limit.
 - d. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the Embassies of the subject countries in India in accordance with Rule 6(3) of the Rules.
 - e. The Embassies of the subject countries in India were also requested to advise the exporters/producers from their country to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers/exporters was also sent to them along with the names and addresses of the known producers/exporters from the subject countries.
 - f. The Authority, upon request made by the interested parties, granted extension of time to the interested parties to file their Questionnaire Responses. Vide communication dated 9th February, 2021, the time was extended up to 27th February, 2021.
 - g. The Authority sent questionnaires to the following known producers/exporters in the subject countries in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
 - i. M/s. DOMO Caproleuna GmbH
 - ii. M/s. INEOS Phenol
 - iii. M/s. CepsaQuimica S.A.
 - iv. M/s. Versalis S.p.A
 - v. M/s. Seqens
 - vi. M/s. Borealis Polymers Oy
 - vii. M/s. DOW Europe GmbH
 - viii. M/s Rutgers Germany GmbH
 - ix. M/s. Chemical Point UG
 - x. M/s. PKN Orlen
 - xi. M/s. DEZA a.s.
 - xii. M/s. TOTAL Petrochemicals
 - xiii. M/s. Mitsui Phenol Singapore Pte. Ltd.
 - xiv. M/s. Sky Petro-Chem Pte. Ltd.

- xv. M/s. Petrochem Asia Pte. Ltd.
- xvi. M/s. Haresh Petrochem Singapore Pte. Ltd.
- xvii. M/s. DinowicPte. Ltd.
- xviii. M/s. Kempar Energy Pte. Ltd.
- xix. M/s. Integra Petrochemicals Pte. Ltd.
- h. In response to the above notification, the following producers/exporters and their related exporters/traders have responded and submitted/filed exporters' questionnaire responses and/or legal submissions:
 - i. M/s. Mitsui Phenols Singapore Pte. Limited (MPS)
 - ii. M/s. Mitsui & Co. (Asia Pacific) Pte. Ltd. (MAP)
- i. The Authority sent questionnaires to the following known importers and users of the subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules.
 - i. M/s. C.J. Shah and Company
 - ii. M/s. Haresh Kumar & Co.
 - iii. M/s. PCL Oil & Industries
 - iv. M/s. KantilalManilal& Co. Pvt. Ltd.
 - v. M/s. Sonkamal Enterprises
 - vi. M/s. Khetan Brothers
 - vii. M/s. Shubham Dyes & Chemicals Limited
 - viii. M/s. Acron Enterprises
 - ix. M/s. Naiknavare Chemicals Limited
 - x. M/s. Paras Dyes & Chemicals
 - xi. M/s. Torrent Pharmaceuticals Limited
 - xii. M/s. United Phosphorus Limited
 - xiii. M/s. Resins & Plastic Limited
 - xiv. M/s. Kailash Polymers
 - xv. M/s. Centrum Metalics Private Limited
 - xvi. M/s. Wonder Laminates Private Limited
 - xvii. M/s. Meghdev Enterprises
 - xviii. M/s. Satguru International
 - xix. M/s. High Polymer labs Limited
 - xx. M/s. Rainbow colours & Chemicals
 - xxi. M/s. Bleach Marketing Private Limited
 - xxii. M/s. Karmen International (P) Limited
 - xxiii. M/s. Krishna Antioxidants Private Limited
 - xxiv. M/s. NGP Industries Limited
 - xxv. M/s. Farmson Pharmaceutical Gujrat Limited
 - xxvi. M/s. India Glycols Limited
 - xxvii. M/s. Singh Plasticisers and Resins (I) Pvt. Limited
 - xxviii. M/s. national Plywood Industries Limited
 - xxix. M/s. Kundan Rice Mills Limited

- j. In response to the above notification, the following importers or users have responded and submitted importer/user questionnaire responses/legal submissions and/or registered as interested parties:
 - i. M/s. AICA Laminates India Private Limited
 - ii. M/s. Eximcorp India Private Limited
 - iii. M/s. Century Ply
- k. In response to the initiation notification, M/s. Federation of India Plywood and Panel Industry has made legal submissions.
- l. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority provided an opportunity to the interested parties to present their views orally in a public hearing held through video conferencing on 7th April, 2021. The parties, that presented their views in the oral hearing, were requested to file written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions, if any. The parties shared their non-confidential submissions with other interested parties and were advised to offer their rebuttals.
- m. A list of all interested parties was uploaded on DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties since the public file was not accessible physically due to the ongoing global pandemic.
- n. The period of investigation (POI) for the purpose of the present investigation is 1st July, 2019 to 30th June, 2020 (12 months). The injury examination period has been considered as the period from 2016-17, 2017-18 and April 2018 – June 2019, and the POI.
- o. The Authority obtained transaction-wise import data from the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) and Directorate General of Systems & Data Management (DGS) for the subject goods for the injury period, including the POI, and analysed the data after due examination of the transactions.
- p. Further information was sought from the applicant to the extent deemed necessary. Verification of the data provided by the domestic industry was conducted to the extent considered necessary for the purpose of present investigation.
- q. The non-injurious price (hereinafter referred to as "NIP") based on the cost of production and reasonable profits of the subject goods in India, having regard to the information furnished by the domestic industry in accordance with Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Rules, has been worked out so as to ascertain whether ADD lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.
- r. The submissions made by the interested parties, arguments raised and information provided by various interested parties during the course of investigation, to the extent the same are supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been considered in this final finding.
- s. The Authority, during the course of investigation, satisfied itself as to the accuracy of the information supplied by the interested parties, which forms the basis of this final finding, to the extent possible, and verified the data/documents submitted by the domestic industry to the extent considered relevant and possible.
- t. The information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to the sufficiency of the confidentiality claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted, and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- u. In accordance with Rule 16 of the Rules, the essential facts of the investigation were disclosed to the known interested parties vide Disclosure Statement dated 20th July 2021, and comments received thereon, considered relevant by the Authority, have been addressed in these final findings. The Authority notes that most of the post disclosure submissions made by the interested parties are mere

reiteration of their earlier submissions. However, the post disclosure submissions to the extent considered relevant are being examined in these final findings.

- v. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority considered such interested parties as non-cooperative and recorded this final findings on the basis of the facts available.
- w. ‘***’ in these final findings represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- x. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is US \$1= 73.26.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

C.1. Submissions of the domestic industry

10. The submissions made by the domestic industry with regard to the product under consideration and like article are as follows:
 - a. The product manufactured by the domestic industry is like article to the product imported from the subject countries.
 - b. Consumers use the product manufactured by the domestic industry and the producers in the subject countries interchangeably.

C.2. Submissions of other interested parties

11. No submissions were made by other interested parties with regard to the product under consideration and like article.

C.3. Examination by the Authority

12. The Product Under Consideration is “Phenol” which was defined in the original investigation as follows:

“Phenol is a basic organic chemical normally classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act. The product is marketed in two forms- bulk and packed. Bulk sales are normally in loose form, whereas packed consignments can be of much smaller container loads and generally packed in drums. Phenol is used in Phenol Formaldehyde Resins, Laminates, Plywood, Particle Boards, Bisphenol-A, Alkyl Phenols, Pharmaceuticals, Diphenyl oxide etc. The product is classified under Customs Tariff heading no. 29071110. However, the said Customs classification is indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation.”

13. Since the present investigation being a sunset review investigation, product under consideration remains the same as defined in the previously conducted investigation. Phenol is classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act under subheading 2907.11. However, the customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the product under consideration.
14. The Authority notes from the information available on record that the product produced by the domestic industry is like article to the product under consideration imported from the subject countries. The product produced by the domestic industry is comparable to the goods imported from subject countries in terms of physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution & marketing, and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers have used and are using the two interchangeably. The Authority, therefore, holds that the subject goods produced by the domestic industry are like article to the product imported from subject countries in terms of Rule 2(d) of the AD Rules.

D. SCOPE OF THE DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

D.1. Submissions by the domestic industry

15. The domestic industry has made the following submissions with regard to the scope of domestic industry and standing:
 - a. The Applicants, namely M/s. Deepak Phenolics Limited and M/s. Hindustan Organics Chemicals Limited constitute major proportion of total Indian production for the subject goods in India.

- b. The Applicants are neither related to any exporters in the subject countries nor importers of the subject goods in India.

D.2. Submissions by other interested parties

16. The other interested parties have made the following submissions with regard to the scope of domestic industry and standing.
 - a. The domestic industry should provide strict proof and standing must be examined as per Rules.
 - b. The Authority should ensure that the non-participation of SI Group is not an attempt to pick and choose companies favourable for injury parameters and NIP.

D.3. Examination by the Authority

17. Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules defines domestic industry as under:

“(b) “domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term ‘domestic industry’ may be construed as referring to the rest of the producers”.

18. The Application has been jointly filed by M/s. Deepak Phenolics Limited and M/s. Hindustan Organics Chemicals Limited. The Applicants account for 88.95% of total Indian production. The Authority notes that there is one another manufacturer of the product under consideration namely, M/s. SIG Group India Limited who also manufacture the like article in India. The Applicants account for a major proportion in Indian production of the subject goods. The Applicants have certified that neither they are related to any exporters or producers of product under consideration in the subject countries or any importer of the product under consideration in India.
19. The Authority holds that the Applicants constitute domestic industry under rule 2(b) of the Rules and considers that the application satisfied the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.

E. CONFIDENTIALITY

E.1. Submissions by the domestic industry

20. The domestic industry has made the following submissions with regard to confidentiality:
 - a. The exporter and producer have claimed excessive confidentiality of information in the non-confidential version of the questionnaire responses filed.
 - b. Information has been claimed confidential without even providing a reasonable summary of the same.
 - c. The exporter and producer have not provided several critical information as required in Part II of the questionnaire response, thereby depriving the domestic industry of its rights of defence and therefore in violation of the principles of natural justice.
 - d. The questionnaire response filed by the exporter and the producer is liable to be rejected in view of incomplete or misleading information and excessive confidentiality claims.
 - e. The non-confidential version of the petition filed by the domestic industry is as per Trade Notice 10/2018.

E.2. Submissions by other interested parties

21. The other interested parties have made the following submissions with regard to confidentiality:

- a. The petitioners have claimed excessive confidentiality and have not adhered to Trade Notice 10/2018 which was highlighted by MPS and MAP vide communication dated 5th April, 2021, and in the event the petitioner fails to rectify the petition the investigation should be terminated.
- b. The entire initiation is vitiated by the shield of confidentiality which is inconsistent with the Custom Code on Show Cause notice, and therefore applicable to any proceeding under Section 9A of the Customs Tariff Act by virtue of subsection 8 to section 9A.
- c. Excessive confidentiality has been claimed for capacity, production and capacity utilization while in previous anti-dumping investigations, the same was provided. Even the purchase policy, sales policy, accounting policy, cost accounting policy, quality control procedure and tests have been treated as confidential even though there is nothing confidential in giving the general policies adopted by the companies. No indexed information has been provided for Section VI of the petition.
- d. The data of MAP cannot match with the data of MPS.
- e. The information of exports to India, domestic sales and third country are confidential in nature, and if the domestic industry has access to such information, it should disclose the same to DGTR.
- f. Trade Notice 10/2018 does not require exporters to provide information on channels of marketing and distribution, sales negotiation process and details of shareholders. Domestic industry has itself not provided information on production process.
- g. The information on future plans, market strategy, raw material costs and impact thereof, as well as other such parameter is extremely sensitive in nature.
- h. Confidentiality applies only to the external content, which has been clarified by the WTO. Data received under confidentiality is an escape route to circumvent the Supreme Court Rule of Law in Meghmani.

E.3. Examination by the Authority

22. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of the Rules provides as follows:

“Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-Rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule(2) of rule 12, sub-rule(4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.”

23. The Authority examined the confidentiality claims of the interested parties and on being satisfied allowed the claim on confidentiality. The Authority considers that any information which is by nature confidential (for example, because its disclosure would be of significant competitive advantage to a competitor or because its disclosure would have a significantly adverse effect upon a person supplying the information or upon a person from whom that person acquired the information), or which is provided on a confidential basis by parties to an investigation shall, upon good cause shown, should be treated as such by the authority. Such information cannot be disclosed without specific permission of the party submitting it.
24. The Authority has considered the claims of confidentiality made by the Applicants and the opposing interested parties and on being satisfied about the same, the Authority has allowed the claim on

confidentiality. The Authority made available to all interested parties the public file containing non-confidential version of evidences submitted by various interested parties for inspection, upon request as per Rule 6(7).

F. MISCELLANEOUS SUBMISSIONS

F.1. Submissions by the domestic industry

25. The following miscellaneous submissions have been made by the domestic industry:

- a. AICA Laminates Private Limited cannot be considered as an interested party as they have not filed the non-confidential version of the questionnaire response, if any, or provided any information or submissions and did not participate in the oral hearing.
- b. Federation of India Plywood and Panel Industry (FIPPI) should be considered as non-cooperative as no information or submissions have been filed and none of the members filed questionnaire responses.
- c. The response filed by the producer and its related trader is grossly deficient and should not be accepted. The responses are inconsistent with each other as the period for which information have been given are different from the period defined in the initiation notification. The producer has not provided data for the base year and provided the information from 2017-18. The trader has provided data for 2016-17, 2017-18, 2018-19 and the period of investigation.
- d. There are several inconsistencies in the data provided by the exporter, the producer and import data as per DGCI&S, thereby questioning the credibility of the information provided by the producer and exporter.
- e. The domestic industry has not been given adequate access to the exact volumes of imports from Singapore, thereby violating principles of natural justice. Therefore, DG Systems data should be called for, in order to verify the authenticity of the data provided.
- f. The producer has provided the data on installed capacity, production, shipments, and inventories of PUC only for the last 3 years despite the Questionnaire asking for the information for the last 5 years.
- g. Related importer in India, namely Mitsui & Co. India Private Limited has not filed non-confidential version of Part IV of the questionnaire response, if any. The exporter has claimed such excessive levels of confidentiality that it is even impossible to decipher whether exports are being made directly to India or through the importer.
- h. The dumping margin must be determined by comparing normal value with the export price in respect of sales made at as nearly as possible the same time in view of significant changes in the prices with time period, and absence and presence of imports in different months during the investigation period.
- i. The Authority has adopted weighted average basis only in 2003 and 2008 while in a large number of investigations from 2010 to 2016, the Authority conducted month-wise analysis of dumping margin and injury margin. A month-wise analysis of dumping margin and injury margin is only appropriate in the present case.
- j. The trading company i.e., Mitsui & Co. (Asia Pacific) Pte. Ltd. has an option to either sell Thai products or products originating from Singapore. The company is at present suffering duty in the combination stated in the duty table. Further, while MAP has reduced its production and overall sales, the Thai producer has increased exports to India significantly, which is a strategic decision of the Group to export Thai products to India. Therefore, their business behaviour should be examined.
- k. The injury margin for Korea is negative and therefore it was excluded while filing the petition.
- l. As regards DGCI&S data, it is third party information procured with an obligation of not disclosing the same. However, as per trade notices, any interested parties can procure such data. Reference was made to a recent finding of the Authority concerning imports of PET Resin wherein it was stated that such data can be independently obtained from DGCI&S by any interested party.

- m. The related importer in India is bound to participate in the investigation even if no imports of the PUC has been made during the POI in reference to Paragraph 9(iii) of the Antidumping questionnaire for producers/exporters exporting to India and their related importers' in India.
- n. Post POI information is not a requirement in a sunset review investigation. There are several cases in the past where the Authority has established likelihood of dumping and consequent injury to the domestic industry without considering post-POI information.
- o. The Authority has already examined the accuracy and adequacy of the prima facie evidence submitted by the domestic industry and initiated the present investigation only after being satisfied with the same.
- p. As regards BIS certification, the issue is irrelevant to the present investigation.
- q. The domestic industry has already provided data on a monthly basis.
- r. As regards misuse of trade remedial measures, there is no excessive protection to the domestic industry and anti-dumping duty is to only address unfair pricing. The Authority recommends continuation of duty only when all legal requirements are met. The exporters are habitually exporting at unfair prices.
- s. As regards Century Ply, the Authority issued a public notice of initiation, list of interested parties as well as conducted an oral hearing in which the company participated. The company has not given any relevant information to enable the Authority to come to a fair decision.
- t. The present investigation is initiated under the framework of the law. The initiation notification provides sufficient information to the interested parties.
- u. The dumping margin and injury margin is calculated for the period of investigation and therefore the exchange rate cannot be considered for a different period.
- v. The members of FIPPI are not MSME companies. The interested parties have not provided any evidence of adverse effect of antidumping duty on the consumers.
- w. NIP is calculated in INR. However, when comparing the same with the landed price of the product under consideration, it is required to be converted into US\$. The NIP of the domestic industry is directly impacted by exchange movements in view of the high share of raw materials and the fact that the input prices are international prices driven.
- x. MPS is subject to Anti-dumping duty of 219.58 USD/MT if they sell the PUC to India through a different exporter which was not named in serial number of the duty table.
- y. The legal mandate for the sunset review investigation is to determine likelihood of dumping and injury in the event of cessation of Anti-dumping duty. The Authority in various jurisdictions including India has imposed Anti-dumping duty even without current Anti-dumping duty.
- z. On the argument that Applicants are fixing its prices in the market, it was submitted that if the domestic industry would have fixed its prices, then it would have not suffered decline in profits.
- aa. DPL (Deepak Phenolics Limited) is an established company and therefore it is not a material retardation case.

F.2. Submissions by other interested parties

26. The following miscellaneous submissions have been made by other interested parties:

- a. As per serial number 9 of the duty table, MPS could only utilize its NIL duty rate if it sold through one of the exporters named under the duty table i.e., MAP. If MPS chose to sell the PUC to India through a different exporter which was not named in serial number 9 then duty of 219.58 USD/MT will be imposed.
- b. DGTR has done away with the practice of providing list of exporters in the duty table but maintains the same practice and procedure for cooperation requirements. Despite having no ADD during the POI the export from MPS and MAP has continuously declined.
- c. DGTR discriminated between the source of imports, acting in complete disregard of MFN principles by initiating an investigation without recording any reasons, against EU and Singapore while

excluding the imports from Korea, despite the imports being in larger volumes than imports from Singapore and EU combined and 11% lower prices when compared to Singapore.

- d. The failure on part of the DGTR, even after the exporter filed a request through email communication dated April 6, 2021, to provide import data to all interested parties in the same form and manner in which it was taken on record is contrary to the decision of the Hon'ble CESTAT in *Exotic Décor Pvt. Ltd. and Ors. v. DGTR, DGAD*.
- e. As regards the difference between the trends reported for exports to India, even though MAP and MPS are related, MAP remains an independent business and retains the commercial freedom to export chemical products including the PUC originating from any country. MPS and MAP have reported their export data based on records maintained in their respective books.
- f. As regards non-participation of the related importer in India, namely Mitsui & Co. India Pvt. Ltd., no import of PUC from MPS during the POI was done by the said importer.

The petitioner has not provided sufficient post POI data which is necessary for interested parties and DGTR to determine the likelihood of continuing or reoccurring of injury to the DI.

- g. The petitioners' claim that the initiation of sunset review investigation is compulsory is incorrect. Reference has been made to *Kesoram Rayon vs. DGTR and Ors.*, wherein it was held that the decision whether the request for initiation of SSR has been duly substantiated or not, has to be made prior to the initiation of the review investigation.
- h. The mandatory BIS certification requirement would lead to a further decline in the imports due to strict certification requirements and associated costs.
- i. No compelling reasons have been provided by the petitioner to conduct a monthly analysis. Reference cited at para 11.7.21 of DGTR Manual of SOP specifies that monthly or quarterly analysis may be undertaken only when there is wide variation in periodic cost of production due to fluctuation in price of raw material. Petitioners have also acknowledged that there was insignificant decline in cost on account of raw material. Monthly data has not been provided in Format B and E.
- j. No monthly comparison in an anti-dumping investigation can take place without a monthly assessment of undercutting, injury margin and dumping assessments. For a monthly dumping assessment, the DGTR would, in turn, need to conduct a monthly test of domestic sales being made in the ordinary course of trade, for which it would need to call for monthly cost data.
- k. Petitioners have been protected by trade remedies for over a decade. Continuation of ADD to an inefficient domestic industry has proven to be a deterrent to both the user industry and domestic industry so such ADD should be discontinued.
- l. Century Ply was neither provided any copy regarding the SSR directly or through mail nor they were informed about the oral hearing.
- m. The present investigation does not show any co-relation and validation of data filed by the applicants & its published data and also states that such use of third party certification to avoid scrutiny of real facts is a punishable offence.
- n. The applicants do not have any automatic legal right against the consumer industry and there is no legal obligation on the part of the consumer industries binding it to incur extra cost in addition to normal sale price of the applicants.
- o. The standard procedure and past practices are not law but merely a light on ways forward so section 9A (8) of Customs Act or measures contrary to prohibition in Anti Dumping Agreement (ADA) cannot substitute treaty and municipal laws. DGTR's determination including the past practices and efficacy in skewing the burden of ADD is on mere conjecture and surmise so it is not consistent.
- p. Converting the currency on POI exchange rate is deceit and a trick as the Agreement on Custom Valuation states that the conversion will happen on the date of transaction. Nothing prevents the applicants to seek Mid Term Review (MTR).
- q. The preamble of GATT gives equal rights even to MSMEs, better rights than the applicants and it is a legitimate right to procure raw material at international prices in ordinary course of trade.

- r. For survival of the consumer industry import is important as demand in the country is more than the production capacity of DI. If AD measure is to be applied, the sales price should be fixed by the applicants, in excess of which DI would not sell its products.
- s. Continuation of ADD will have a negative impact on the MSMEs, which constitutes the major user industry for Phenol and would be counterproductive towards the goal of the Government to provide and nurture an ecosystem for MSMEs, free from predatory and monopolistic behaviour of large industries.
- t. The after effect of COVID-19 may continue to affect MSMEs in India for next 3 to 5 years, so it is not appropriate to burden MSMEs with additional cost in the form of ADD.
- u. The NIP of the domestic industry must be calculated in INR and not USD.
- v. Arguments in Para 85-88 in the petition are factually incorrect as there were no duties applicable on MSP and MAP in the original investigation on the account of de-minimis dumping margin.
- w. Article 11 of ADD includes the term 'dumping injuring the domestic industry' is precise enough to point that only such dumping which cause injury to the DI can be condemned.
- x. Initiation notice does not amount to Show Cause Notice. The initiation notice lacks full details and information so no reply could be made.
- y. Consumer industry gives preferential treatment to domestic producer and the Applicant is trying to fix prices in the market.
- z. The final analysis of the margin of dumping will be based on the verified data of the cooperating exporters from the subject countries.
- aa. The list of FIPPI members referred to by the petitioners is outdated and not complete. Since 80% of production is in the MSME sector, FIPPI as a responsible federation, has an obligation to the overall interests of the industry even if there are members who are not MSME.
- bb. The questionnaire is restricted only to certain information and does not allow the stakeholder to put across their submissions, and therefore, cannot count as non-cooperation.
- cc. A presentation was filed by FIPPI containing details of the industry in 2019 in the safeguard investigation initiated on the basis of bogus data filed by Applicants.
- dd. Not filing questionnaire response will only disqualify the party from a determination specific to it but does not extinguish its right as interested party to participate in the investigation.
- ee. Since the ability to provide information has been affected due to COVID-19, exporters from EU who are willing to provide information should be allowed at this stage also. In case of non-participation, best facts should be applied and not adverse facts.
- ff. Users and importers who are also purchasing from domestic industry did not file responses due to the fear of retaliation from the domestic industry, and hence user associations come into play.
- gg. There is no time limit for filing submissions, and the time limit mentioned in the initiation notification pertains only to the information sought by the Authority.
- hh. Considering entire period of investigation, instead of a month-wise analysis, nullifies the fluctuations in the cost of production of the domestic industry and provides a reasonable average.
- ii. A monthly analysis in the present investigation would mean that the weighted average analysis conducted in the Thailand investigation is incorrect. The Authority must adopt a consistent approach as adopted in most recent investigations.
- jj. Failure to make submissions or provide evidence on the part of domestic industry to refute claims of de-minimis dumping margin in the original investigation for MPS and MAP is an admission that there are no duties.
- kk. The questionnaire format does not require co-operative exporter to provide information on PBIT of domestic sales or exports to third countries.

ll. There is no producer of PUC in Thailand who is related to MAP. Mitsui Thailand only performs trading and selling activities and materials produced by an unrelated producer in Thailand were exported to India.

mm. MPS has no related company in India. MAP has a related company in India which was not involved in imports of PUC from MPS in the period of investigation.

F.3. Examination by the Authority

27. The Authority has considered the views of interested parties.
28. As regards disclosure of DGCI&S data, the Authority's Trade Notice No. 7/2018 dated 15th March, 2018, prescribes the procedure for collecting DGCI&S data for domestic industry as well as for other interested parties. The interested parties, thus, had access to procure DGCI&S data by following the procedure prescribed as per the Trade Notice and defend their interests. The Authority, thus, notes that the procedure now being applied is consistent, uniform across parties and investigations, equitable and provides adequate opportunity to the interested parties to defend their interests.
29. As regards non-participation of related importer in India, the Authority notes that after due verification it was found that the related importer has not imported the product under consideration from MAP and MPS.
30. As regards post-POI data, it is noted that examination of Post-POI data is not mandatory in a sunset review investigation.
31. With regard to submissions on eligibility of Federation of Indian Plywood and Panel Industry as an interested party, the Authority has, on the basis of facts and circumstances of the case, and the practice of the Authority, acknowledged and examined the submissions made by the interested parties including the FIPPI.
32. As regards the submission for determination of dumping margin and injury margin on a monthly basis, the Authority notes that the relevant data has been analyzed on a monthly basis in view of significant changes in prices and volume of imports within the same time period. Thereafter, the weighted average injury margin, dumping margin and price undercutting for the POI has been worked out by taking weight of monthly import volumes for respective subject countries.
33. As regards excessive protection, the Authority notes that there is no bar on the number of times a sunset review can be conducted, and antidumping duty extended. The Rules require the Authority to determine whether cessation of ADD is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry. It is further noted that the recommendation for extension of anti-dumping duty is made only when the requisite legal requirements are met.
34. As regards BIS certification, it is noted that the issue is irrelevant to the present investigation.
35. As regards the calculation of NIP, the Authority notes that the determination has been made as per the Rules laid down and the prevailing practice of the Authority. A confidential copy of disclosure of workings for determination of NIP is being provided to the domestic industry. Similarly, the confidential copy of the Net Export Price and the Normal Value for the cooperating producer is also being provided on confidential basis to the cooperating producer and exporter.
36. The Authority notes that claims made by the user associations have not been substantiated with sufficient concrete evidence so as to quantify the impact of the duties on their members. The Authority notes that the purpose of imposition of ADD is not to prevent imports into the country, but to address trade distortion caused by unfair practices and remedy the injury caused to the Domestic Industry due to these imports. Therefore, imposition of ADD will in no way prejudice the imports in any manner nor will it affect the availability of the product to consumers. Rather, ADD only re-establishes fair and open competition in the country.
37. As regards inaccuracy of data in the petition filed by the domestic industry, the Authority notes that the present investigation has been initiated only after examining the accuracy and adequacy of the evidence provided by the domestic industry and being satisfied with the same.

G. NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DETERMINATION OF DUMPING MARGIN**G.1. Submissions of the domestic industry**

38. The following submissions have been made by the domestic industry with regards to the normal value, export price and dumping margin:
- Normal value in subject countries is based on prices reported in ICIS reports.
 - The producer and exporter have not fully cooperated with the Authority and therefore an adverse inference should be drawn.
 - The export price is in US\$ and therefore the normal value is calculated in US\$.
 - As regards European Union, the domestic industry has provided price prevailing in Europe as per Eurostat data which is a verifiable information. Same is the case with Singapore.
 - ICIS report is an “acceptable material” and reliable for normal value. The interested parties have referred to a CESTAT order without even showing how that is applicable to the facts of the present case.
 - The Authority has repeatedly relied on prices published in international journals for calculation of normal value. The domestic industry has relied upon ICIS-LOR prices for determination of normal value for the purpose of prima facie establishing the existence of continued dumping.
 - Price adjustments have been made as per experience, conservative estimates and established practice of the Authority. The domestic industry has provided best available information.

G.2. Submissions of other interested parties

39. The following submissions have been made by other interested parties with regards to the normal value, export price and dumping margin:
- MPS and MAP should be accorded individual margin of dumping and injury based on the data filed.
 - There would have been no reference to duty if the Normal value (NV) calculated for the same producer is stated and export below such NV was subjected to duty.
 - Recommendations must contain three indicators namely, NV, Dumping margin (DM) & Non Injurious Price (NIP) without any conversion.
 - The normal value for an exporter cannot be in any other currency than the currency in his home market. Accordingly, the dumping margin also must be quantified in the same currency.
 - Prices of South Asia have been adopted for Singapore which is unsustainable as the normal value is country specific. Normal value for EU cannot be determined by relying upon the Eurostat data.
 - Normal values based on trade journals cannot be relied upon in an anti-dumping investigation.
 - Applicants failed to provide evidence for adjustments made in export price and hence dumping shown is frivolous. The Petitioners have inflated the normal value and deflated the export price to arrive at a dumping margin.
 - No evidence has been furnished with respect to normal value and export price. Therefore, it cannot be assumed that the magnitude of margin of dumping is a factor impacting the performance of the domestic industry.

G.3. Examination by the Authority

40. Under section 9A (1) (c), normal value in relation to an article means:
- The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, where meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the Rules made under sub-section (6), or*
 - When there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either:*

(a) *comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the Rules made under sub-section (6); or*

the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the Rules made under sub-section (6);

(b) *Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely trans shipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.*

41. At the time of initiation, the Authority determined the normal value by taking the facts which were considered sufficient to initiate the investigation, However, after initiation the determination of normal value has been made after taking into account the responses received from the interested parties.
42. The Authority sent questionnaires to the known producers/exporters from the subject countries, advising them to provide information in the form and manner prescribed by the Authority. The following producers/exporters have co-operated in this investigation by filing the prescribed questionnaire responses:
- i. Mitsui Phenols Singapore Pte. Ltd. (MPS)
 - ii. Mitsui (Asia Pacific) Pte. Ltd. (MAP)
43. Keeping in view the submissions of domestic industry, and also taking into account the significant fluctuations in the price of Phenol, the normal value and export price for all producers/exporters from the subject countries has been determined on a monthly basis.

G.4. Determination of normal value

Singapore

G.4.1 Normal Value for Mitsui Phenols Singapore Pte. Ltd.

44. From the data filed by the cooperating producer and exporter from Singapore i.e., MPS and its related trader namely, i.e., Mitsui (Asia Pacific) Pte. Ltd. it is noted that during the POI, domestic sales have been made to unaffiliated customers, and through MAP. The questionnaire response has been examined and it is noted that the respondent has provided domestic sales price details of the subject goods in respective Appendices with costing data for mandatory tests. The Authority further notes that the price to related customers is higher than that to unrelated customers. The Authority has considered all the domestic sales for the purpose of determining normal value. The Authority notes that *** MT was sold in the domestic market at a price of US\$ ***. The Authority notes that the domestic sales are in sufficient volumes when compared with volume of exports to India. Therefore, domestic sales have been considered for the purpose of determining the normal value. The Authority conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to cost of production of subject goods. In case profitmaking transactions are more than 80% then the Authority considers all the transactions in the domestic market for the determination of the normal value. Where the profitable transactions are less than 80%, only profitable domestic sales are taken into consideration for the determination of normal value. Based on the ordinary course of trade test, profitable domestic sales have been taken into account for determination of normal value, since the profitable sales were less than 80% by volume. Further, MPS has claimed adjustments on account of credit costs, and same has been considered by the Authority after remote cross check of information submitted. Normal value for MPS so determined is mentioned in the dumping margin table below.

Normal value for non-cooperative exporters in Singapore

45. The Authority notes that no other exporter/producer from Singapore has responded to the Authority in the present investigation. For all the non-cooperative exporters/producers in Singapore, the Authority determines the normal value on the basis of facts available. The normal value so determined is given in the dumping margin table below.

Normal value for all exporters in European Union

46. The Authority notes that none of the producers/exporters from EU have responded to the Authority in the present investigation. For all the exporters/producers in EU, the Authority determines the normal value on the basis of facts available. The Authority has considered weighted average price of product under consideration, within European Union as per Eurostat data. The normal value so determined is given in the dumping margin table below.

G.5. Determination of Export Price**Mitsui Phenols Singapore Pte. Ltd.**

47. In their questionnaire response, MPS has declared that MPS has exported *** MT of subject goods to India during period of investigation through MAP. The Authority has allowed the adjustment as claimed by the exporter on account of credit costs, and bank charges. It is noted that MPS and MAP exported the subject goods to India in only one month of the POI. Taking into accounts facts of the case, the Authority has compared the export price of the cooperating producer and exporter from Singapore with the normal value of the subject goods for the same month. The Net Export Price determined for MPS is shown in the table below.

Export price for non-cooperative exporters in Singapore

48. Since there is only one producer of the PUC from Singapore, the Authority proposes to consider same export price and normal value for the residual category.

Export price for all exporters in European Union

49. None of the exporter/producer from the European Union has filed questionnaire response. Therefore, the Authority considers that the producers/exporters from European Union have preferred non-cooperation. Export price for all the exporters from the European Union has been determined based on the imports reported in the DGCI&S, after due adjustments. Accordingly, the export price determined is provided in the dumping margin Table below.

G.6. Determination of dumping margin

50. Considering the month wise normal value and export price for subject goods, the weighted average dumping margins for the subject goods from subject countries have been determined after considering monthly import volumes for respective subject countries:

Country	Name of Producers/Exporters	Normal Value/ CNV (US\$/MT)	Export Price (US\$/MT)	Dumping Margin US\$/MT	Dumping Margin %	Dumping Margin Range
Singapore	Mitsui Phenols Singapore Pte. Ltd.	***	***	***	***	10-20
Singapore	Other exporters from Singapore	***	***	***	***	10-20
European Union	All Producers and Exporters	***	***	***	***	30-40

H. INJURY AND CAUSAL LINK**H.1. Submissions of the domestic industry**

51. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to injury and causal link:
- Domestic industry suffered injury due to the presence of dumped imports in the Country from various sources.

- b. While the cause of this injury is primarily imports from other countries and the Designated Authority has now recommended antidumping duty, it is evident that the position of domestic industry is fragile and the domestic industry is likely to suffer injury from dumping that is likely to intensify from Singapore and EU in the event of cessation of antidumping duty.
- c. Deepak Phenolics, expanded its capacity in November 2018 by establishing a new large-scale facility and resultantly, reduced the demand-supply gap in the country which in turn resulted in some fall in imports. However, despite this, there were significant imports into the country.
- d. Imports from Singapore, though may appear low, were reported in just a single month during POI. The volume considering demand during such short period is quite high.
- e. Imports from Singapore should be considered along with imports from Thailand as parties are related and the Authority has recommended duties on imports from Thailand.
- f. Domestic industry is compelled to align its prices with the import prices, thereby suffering losses. There is a significant decline in selling price of the domestic industry as compared to the previous year. Imports are undercutting and depressing the prices of the domestic industry. Injury margin is positive and substantial.
- g. The capacity, sales and production of the domestic industry increased during the injury period since DPL commenced its production during 2018-19. The capacity utilization increased till April 2019-June 2020 but decline during the period of investigation. The decline in capacity utilization of the domestic industry is due to dumping in the country.
- h. The profitability, cash profits and return on investment improved in April 2018- June 2019 but declined significantly in the period of investigation. The reduction in import price and consequent price depression suffered by the domestic industry adversely impacted the profitability of the domestic industry.
- i. The market share of the domestic industry increased during the injury period which can be attributed to new production capacities, sufficient demand in the country and the nature of production process. However, in the absence of antidumping duty, the imports from the subject countries are likely to rapidly take over the market share of the domestic industry.
- j. The inventories with the domestic industry has increased substantially during the period of investigation. The dumping margin is more than de-minimis and significant.
- k. Increase in interest and depreciation cost is due to newly set up plant of DPL but does not mean that the domestic industry did not suffer injury and is not entitled to recover its interest cost. Profits of the domestic industry increased upto preceding year and declined in the POI. This decline after increase is not due to interest and depreciation costs.
- l. The domestic industry is unable to earn reasonable return on investment despite anti-dumping duty in existence. Even after excluding DPL, the other Indian producers are not earning reasonable return on investments.
- m. There is no requirement of causal link in a sunset review investigation.
- n. As regards COVID 19 situation, the position of the domestic industry must be considered not in the context of ideal conditions but in the specific circumstances of the domestic industry. In fact, the companies are globally affected by Covid 19.
- o. Dumping need not be the only cause of injury to the domestic industry. In fact dumping need not be the primary cause of injury.
- p. The Rules require the Authority to segregate injury suffered by the domestic industry due to factors other than dumped imports, for which unit cost of production, profit/loss, cash flow and return on investment of HOCL in 2016-17 and 2017-18 was provided by considering the capacity utilization at 80%.
- q. Deepak Phenolics is a multi-product company and the performance of the company as a whole is irrelevant in the present investigation.
- r. India follows LDR and therefore duties imposed are always lower.

- s. The DA has a practice to allow 22% return in all situations and, therefore, principles of equity demand that the same is applied to all situations.
- t. There is no requirement of cumulative assessment in a sunset review case. Reference has been made on United States – Sunset Review of Anti-Dumping Measures on oil country tubular goods from Argentina wherein it was stated that that Article 11.3 though does not preclude Authority from conducting cumulative assessment. However, the conditions of Article 3.3 of the Anti- Dumping Agreement do not apply in the context of sunset reviews.
- u. The sales of the domestic industry have increased over the injury period since Deepak Phenolics commenced its production during 2018-19.
- v. The domestic industry has not claimed injury due to imports from subject countries. The domestic industry is suffering injury due to dumping from other sources. However, there is likelihood of dumping and consequent injury to the domestic industry in the event of cessation of anti-dumping duty on subject countries.
- w. The domestic industry has not claimed injury on the basis of employment, wages or productivity.
- x. The import from Singapore only entered into India in the month of April 2020 and at a higher price. However, the imports from Singapore were significantly undercutting the prices of the domestic industry during the initial years of the injury period despite Anti-dumping duty in force.

H.2. Submissions of other interested parties

52. The following submissions have been made by other interested parties with regard to injury and causal link:
- a. There is no injury to the DI due to the imports from Singapore which was also agreed to by the DI during the oral hearing as only 999 MT was imported from Singapore during the POI even though there were no ADD on MPS and MAP.
 - b. Proforma IVA-I shows that there has been a steady decline in import from Singapore. Demand has remained stable while domestic sales and market share of DI has increased substantially when the market shares of Singapore and the subject countries have declined. There is no volume injury from Singapore during the POI.
 - c. Paragraph 69 of the petition is factually incorrect, as Annexure B specifies that price undercutting is negative in the POI for Singapore. Further, the petitioners noted that imports from Singapore were only during the month of April, that too at a higher price.
 - d. The landed price from Singapore increased whereas DI's cost declined by almost 50% while price declined by only 15% over the injury period which clearly shows no price suppression or depression.
 - e. Petitioners are not suffering any injury in light of the various economic factors as per Annexure II (IV) as the economic parameters from the petition themselves shows a positive trend in the injury period as well as the POI.
 - f. Information available in public domain concerning the petitioners' companies shows that the petitioners have been performing well during 2018-19 and POI.
 - g. Injury, if any, is partly on account of higher interest cost and depreciation, which might have led to overall lower profits.
 - h. There should have been an analysis of material retardation for Deepak Phenolics Ltd, and not material injury.
 - i. The injury to the Petitioners during the POI, if any, could have been exuberated by the country wide lockdown due to COVID 19 pandemic as stated in DPL's annual report.
 - j. Injury suffered by HOCL is on account of its own inefficiencies. The alleged injury suffered by HOCL is on account of shortage of raw materials and lack of working capital, as acknowledged in the annual report.
 - k. The duties should be discontinued because the Petitioners have not established a causal link between the alleged injury and the subject imports.

- l. Method considered by the petitioners for determination of HOCL's capacity utilization at 80% for unit cost of production, profit/loss, cash flow and return on investment is non-transparent and deliberately obfuscated.
- m. Aberration or distortion in POI data should not be the sole basis as market outlooks are dynamic and unpredictable. Applicants have reported jump in profitability to other statutory authorities which does not support their claims of injury.
- n. The term 'injured' refers to past event which is why the established dumping margin in Article 9.3 is the upper limit in excess of which ADD cannot be imposed.
- o. Fall in price of Phenol was because of the recession set in last year October due to the fall in crude prices. These recessionary trends are factors other than the dumping.
- p. The 22% ROCE has its origin in the Price Control Order of 1976-77. The rate was adopted at a time when the bank rate of interest (PLR) was 18% but it is substantially lower now (7-10%). The 22% predetermined and fixed rate is no more "reasonable" as per the ADA.
- q. Cumulative assessment of injury with respect to EU and Singapore is not appropriate as the conditions of competition between EU and Singapore are not similar and comparable.
- r. There has been steep decline in volume of imports. Further, the domestic industry's sales increased up to 2456% which catered to the increase in demand, while also capturing the market from all imports.
- s. Injury due to the import from Singapore does not arise as there has been no price undercutting during POI. The Applicants should explain as to why prices continue to suppress and depress prices of the domestic industry when price undercutting is negative.
- t. The Domestic industry has omitted to perform a price effect analysis of the imports of the PUC from other countries which are also attracting anti-dumping duty. the Domestic industry has also omitted to perform a trend analysis of the movement in prices of imports from Singapore vis-à-vis the selling price of the Domestic Industry to determine the correlation between them, if any.
- u. The import had no negative impact on the DI's ability to produce and sell the subject goods.
- v. Both manpower as well as the wages paid to them by DI has increased. Furthermore, productivity per day has increased by 2504%.
- w. Even though there was a marginal decline in PBIT, cash profits and ROCE compared to 2018-19, the situation of the domestic industry is still healthy. The domestic industry has witnessed a healthy growth in all parameters.
- x. Imports remained significant due to the massive demand-supply gap that existed before the commencement of production by Deepak Phenolics there continues to be a sizeable gap thereafter also. However, imports from subject countries have reduced considerably in the POI.
- y. DGTR should evaluate injury from imports by traders and distributors by adding 22% return on landed cost of Phenol by traders in the same way as allowed for Applicants to arrive at any reasonable or logical injury from imports by traders.
- z. The landed cost of traders needs to be re-evaluated by adding 'reasonable profit' in order to arrive at price that competes with the domestic producers.
- aa. Indian producers of Phenol have never suffered injury due to imports as imports are made for deficiencies in domestic availability.
- bb. Applicants are resorting to price fixation and creation of artificial shortages. Phenol ought to be kept out of the AD measure regime as it is a cyclic industry with large range of fluctuations in crude and raw material prices.
- cc. Anti-dumping duty will result in retardation of consumer industries. Non-imposition will increase consumption of Phenol in India and result in many more new applications for the product.
- dd. If anti-dumping duty is imposed, there should be a legal framework to recover sales realizations in excess of non-injurious price from the beneficiary as unjust enrichment.

- ee. The apportionment of costs should be reflected in financial reporting to SEBI and anti-dumping petition.
- ff. The domestic industry's performance with respect to market share has been overwhelmingly positive. Inventories as number of days of production and sales have also reduced substantially.
- gg. The domestic industry has not provided the source of information that forms the basis of the tables and charts depicting decline in import prices.
- hh. There is no compelling reason provided by the domestic industry as to why the imports from Singapore should be considered along with imports from Thailand, and in which case, a separate investigation should be filed by the domestic industry to assess imports from Thailand and Singapore cumulatively after duties on Singapore expire.
- ii. The domestic industry cannot expect the global prices to not affect Indian prices and isolate the Indian market.
- jj. Imports of the PUC from Singapore are by far the lowest in terms of volume and the highest in terms of prices. On the other hand, imports from other sources are made in much larger volumes and at much lower prices.
- kk. Pattern of decline in imports from Singapore is similar to the trend recognized by DGTR in the Thailand investigation.

H.3. Examination by the Authority

The submissions made by the domestic industry with regard to the injury and causal link related issues have been examined. The injury analysis made by the Authority hereunder ipso facto addresses the various submissions made by the interested parties.

- 53. Rule 11 of the Rules read with its Annexure-II thereto provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, "... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles."
- 54. Rule 23 of the Rules provides that the provisions of Rule 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, and 20 shall apply mutatis mutandis in case of a review. In case the performance of the domestic industry shows that it has not suffered injury during the current injury period, the Authority shall determine whether cessation of the present duty is likely to lead to recurrence of injury to the domestic industry.
- 55. The Authority has examined current injury, if any, to the domestic industry before proceeding to examine the likelihood aspects of dumping and injury on account of imports from the subject countries. It has been examined as to whether there is an increase in imports, in absolute terms or in relation to production or consumption. In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, stock, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure-II of the Rules. The Authority has taken note of various submissions of the domestic industry and other interested parties, and has analysed the same considering the facts available on record and applicable laws. The injury analysis made by the Authority hereunder ipso facto addresses the various submissions made by the parties.
- 56. The Authority notes that M/s. Hindustan Organics Chemicals Ltd. had very low production in 2016-17 and 2017-18. The company admitted that this was due to working capital problems faced by the company. The Authority considers that the reasons for low production by the company during this period were not attributable to dumping in the country and were due to "other factors". The Authority has, therefore, evaluated the performance of Hindustan Organics Chemicals Ltd. in respect of profits, cash profits and return on investments, considering the capacity utilization achieved in the POI.
- 57. As regards the argument that NIP is required to be calculated in INR, it is noted that it is a consistent practice of the Authority to calculate the NIP in INR. However, while comparing the same with the

landed price, NIP is converted in USD. This is consistent with the Hon'ble CESTAT order in the matter of *Pig Iron Mfrs. Assn. Versus Designated Authority, Min. of Commerce*, wherein CESTAT held that antidumping duty should be fixed in dollar terms so that erosion of the quantum of protection does not take place on account of changes in the exchange rate.

58. As regards the submission of the interested parties that 22% returns on capital employed is not acceptable, the Authority notes that this is the consistent practice of the Authority in all previous investigations conducted.
59. As regards the contention that Deepak Phenolics Limited is affected by material retardation, the Authority notes that M/s. Deepak Phenolics Ltd. had commenced its commercial production in November, 2018 and has already achieved 96% capacity utilisation and, therefore, established itself as a leading producer of subject goods in India. The Authority also holds that the scope of the domestic industry is required to be established with regard to (a) the investigation period, and (b) production of like article by eligible domestic producers during such period. The Authority, therefore, holds that M/s. Deepak Phenolics Ltd. is one of the constituents of the domestic industry.
60. With respect to the issue raised that the data furnished by the Applicants is not validated with the actuals on the published final accounts in the terms of the balance sheet, and the same should not validate the claim on NIP, injury and alleged dumping, it is noted that the Authority has examined the information furnished by the domestic Industry which has been verified and accepted, and the information submitted by the producers and exporters for normal values and export price have also been verified and accepted. It may be added that desk verifications of information submitted by interested parties have been made due to the present COVID-19 situation.
61. As regards the argument that Covid-19 is impacting the global matrix, it is noted that the same cannot justify dumping of the product in India.
62. All other submissions of all interested parties with regard to injury analysis have been addressed in the following paragraphs.

H.3.1. Volume effect of dumped imports on domestic industry

a. Assessment of demand/apparent consumption

63. The Authority has taken into consideration, for the purpose of the present investigation, demand or apparent consumption of the product in India as the sum of domestic sales of Indian producers and imports from all sources.

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	Apr'18-Jun'19		POI
				Actual	Annualised	
Subject Countries	MT	28,355	34,080	17,470	13,976	9,823
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>120</i>	<i>49</i>	<i>49</i>	<i>35</i>
EU	MT	4,235	15,825	4,410	3,528	8,824
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>374</i>	<i>83</i>	<i>83</i>	<i>208</i>
Singapore	MT	24,120	18,254	13,060	10,448	999
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>76</i>	<i>43</i>	<i>43</i>	<i>4</i>
Others	MT	253,519	254,007	254,336	203,469	116,689
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>46</i>
<i>Grand Total</i>	<i>MT</i>	<i>281,874</i>	<i>288,087</i>	<i>271,806</i>	<i>217,445</i>	<i>126,512</i>
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>102</i>	<i>77</i>	<i>77</i>	<i>45</i>
DI Domestic Sales – Excluding captive	MT	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>236</i>	<i>1,745</i>	<i>1,745</i>	<i>2,670</i>
Other Domestic Industry – SIG – Excluding captive	MT	***	***	***	***	***

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	Apr'18-Jun'19		POI
				Actual	Annualised	
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	93	73	73	62
DI Domestic Sales – Including captive	MT	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	236	1,745	1,745	2,670
Other Domestic Industry – SIG – including captive	MT	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	103	92	92	72
Total Demand Excluding Captive	MT	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	105	114	114	105
Total Demand Including Captive	MT	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	105	115	115	104

64. It is seen that the demand for the subject goods increased from base year to the period “April 2018 to June 2019”. However, the same declined in the period of investigation. It is noted that the demand has increased in the period of investigation as compared to base year.

b. Import Volumes from subject countries.

65. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. For the purpose of injury analysis, the Authority has relied on the transaction wise import data procured from DGCI&S. The factual position is as follows:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	Apr'18-Jun'19		POI
				Actual	Annualised	
Subject Countries	MT	28,355	34,080	17,470	13,976	9,823
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	120	49	49	35
EU	MT	4,235	15,825	4,410	3,528	8,824
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	374	83	83	208
Singapore	MT	24,120	18,254	13,060	10,448	999
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	76	43	43	4
Others	MT	253,519	254,007	254,336	203,469	116,689
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	100	80	80	46
Grand Total	MT	281,874	288,087	271,806	217,445	126,512
Subject Country Imports in relation to						
Total Imports	%	10.06	11.83	6.43	6.43	7.76
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	118	64	64	77
Consumption excluding Captive	%	9.13	10.49	3.93	3.93	3.01
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	115	43	43	33
Consumption including Captive	%	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	114	43	43	33
Production	%	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	98	14	14	6

66. It is seen that the volume of imports from subject countries have increased in 2017-18 but declined thereafter. The Domestic Industry submitted that this decline in imports was a natural consequence of addition of capacity to the extent of 59% of Indian demand. The Authority considers that the decline in overall imports was a natural consequence of such an increase in capacities in the country in a situation where there was a demand-supply gap in the country.

H.3.2. Price effect of the dumped imports

67. With regard to the effect of the dumped imports on prices, it is required to be analysed whether there has been a significant price undercutting by the alleged dumped imports as compared to the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices or prevent price increases, which otherwise would have occurred in the normal course. The impact on the prices of the domestic industry on account of the dumped imports from subject countries has been examined with reference to price undercutting, price suppression and price depression, if any. For the purpose of this analysis, the cost of production, non-injurious price (NIP) and net sales realization (NSR) of the domestic industry have been compared with the landed price of imports of the subject goods from the subject countries.

a. Price undercutting

68. For the purpose of price undercutting analysis, the selling price of the domestic industry has been compared with the month wise import price from the subject countries. The selling price for this analysis for the POI has been worked out by taking weight of monthly import volumes for respective subject countries. Accordingly, the undercutting effects of the dumped imports from the subject countries work out as follows-

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	Apr18-Jun'19		POI
				Actual	Annualized	
Subject countries						
Domestic Sales Realization (NSR)	Rs/MT	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	110	114	114	80
Landed Value of imports	Rs/MT	68,627	75,429	1,01,937	1,01,937	60,676
		100	110	149	149	88
Price undercutting	Rs/MT	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	***	***	***	***	***
Price undercutting	%	***	***	***	***	***
Price undercutting	Range	10-20	10-20	(10-20)	(10-20)	0-10
European Union						
Domestic Sales Realization (NSR)	Rs/MT	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	110	114	114	80
Landed Value of imports	Rs/MT	61,874	74,554	1,11,346	1,11,346	59,221
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	120	180	180	96
Price undercutting	Rs/MT	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	***	***	***	***	***
Price undercutting	%	***	***	***	***	***
Price undercutting	Range	20-30	10-20	(10-20)	(10-20)	0-10
Singapore						
Domestic Sales Realization (NSR)	Rs/MT	***	***	***	***	***

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	Apr18-Jun'19		POI
				Actual	Annualized	
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	110	114	114	80
Landed Value of imports	Rs/MT	69,813	76,188	99,272	99,272	73,527
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	109	142	142	105
Price undercutting	Rs/MT	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	***	***	***	***	***
Price undercutting	%	***	***	***	***	***
Price undercutting	Range	10-20	10-20	(0-10)	(0-10)	(10-20)

69. It is seen that the imports from subject countries as a whole are entering at a price below the domestic selling price of the domestic industry resulting in positive undercutting. The price undercutting is negative in case of imports from Singapore.

b. Price suppression and depression

70. In order to determine whether the dumped imports are depressing or suppressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred in normal course, the changes in the costs and prices over the injury period is examined. Table below shows factual position:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	Apr18-Jun'19		POI
				Actual	Annualized	
Cost of sales	Rs/MT	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	107	101	101	83
Average Selling Price	Rs/MT	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	110	114	114	85
Landed Price	Rs/MT	68,627	75,429	1,01,937	1,01,937	60,676
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	110	149	149	88

71. It is seen that the landed price of imports is significantly below the cost of sales and average selling price of the domestic industry in the period of investigation. While the cost and selling price of the domestic industry has declined in the period of investigation as compared to previous year, the decline in selling price is more than decline in cost resulting in price suppression. It is also noted that the subject imports are depressing the prices of the domestic industry in the market. It is also noted that landed price from Singapore are higher than cost of sales, and selling price of domestic industry.

H.3.3. Economic parameters of the Domestic industry

72. Annexure II to the Rules provides that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed below.

73. The Authority has examined the injury parameters objectively taking into account various facts and arguments made by the interested parties in their submissions.

i. Production, capacity, capacity utilization and sales

74. The capacity, production, sales and capacity utilization of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	Apr18-Jun'19		POI
				Actual	Annualized	
Capacity (Per Annum)	MT	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
Equivalent Capacity	MT	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>458</i>	<i>367</i>	<i>600</i>
Production	MT	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>220</i>	<i>2061</i>	<i>1649</i>	<i>2642</i>
Capacity Utilization	%	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>220</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>440</i>
Domestic Sales	MT	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>236</i>	<i>2181</i>	<i>1745</i>	<i>2670</i>

75. It is seen that:

- The installed capacity with the domestic industry increased over the injury period. This is due to the setting up of a new plant by Deepak Phenolics. The plant commenced commercial production in November 2018.
- Due to the setting up of fresh capacity by Deepak Phenolics, the production and domestic sales of the domestic industry has increased over the injury period.
- The capacity utilization increased in April 2018-June 2019 but marginally declined in the period of investigation.

ii. Market Share in demand

76. Market share of the domestic industry is shown in the table below:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	Apr'18-Jun'19		POI
				Actual	Annualised	
Market Share Excluding Captive						
Subject Countries	MT	9.13	10.49	3.93	3.93	3.01
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>115</i>	<i>43</i>	<i>43</i>	<i>33</i>
European Union	MT	1.36	4.87	0.99	0.99	2.70
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>357</i>	<i>73</i>	<i>73</i>	<i>198</i>
Singapore	MT	7.76	5.62	2.94	2.94	0.31
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>72</i>	<i>38</i>	<i>38</i>	<i>4</i>
Others	MT	81.60	78.19	57.23	57.23	35.70
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>96</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>44</i>
<i>Grand Total</i>	<i>MT</i>	<i>90.73</i>	<i>88.68</i>	<i>61.16</i>	<i>61.16</i>	<i>38.70</i>
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>98</i>	<i>67</i>	<i>67</i>	<i>43</i>
DI Domestic Sales – Excluding captive	MT	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>226</i>	<i>1,525</i>	<i>1,525</i>	<i>2,538</i>
Other Domestic	MT	***	***	***	***	***

Industry – SIG – Excluding captive						
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>89</i>	<i>64</i>	<i>64</i>	<i>59</i>
Total Demand Excluding Captive	MT	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
Market Share Including Captive						
Subject Countries	MT	8.74	9.99	3.75	3.75	2.90
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>114</i>	<i>43</i>	<i>43</i>	<i>33</i>
European Union	MT	1.31	4.64	0.95	0.95	2.60
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>355</i>	<i>73</i>	<i>73</i>	<i>199</i>
Singapore	MT	7.43	5.35	2.81	2.81	0.29
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>72</i>	<i>38</i>	<i>38</i>	<i>4</i>
Others	MT	78.13	74.44	54.64	54.64	34.42
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>95</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>44</i>
<i>Grand Total</i>	<i>MT</i>	<i>86.87</i>	<i>84.43</i>	<i>58.39</i>	<i>58.39</i>	<i>37.32</i>
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>97</i>	<i>67</i>	<i>67</i>	<i>43</i>
DI Domestic Sales – Including captive	MT	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>225</i>	<i>1,521</i>	<i>1,521</i>	<i>2,556</i>
Other Domestic Industry – SIG – Including captive	MT	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>98</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>69</i>
Total Demand Including Captive	MT	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>

77. It is seen that:

- The Domestic Industry had a meagre market share earlier. The same was due to the absence of production capacities in the country and curtailment of production by Hindustan Organics Chemicals Ltd. due to working capital shortage.
- With Hindustan Organics Chemicals Ltd.'s production resuming to reasonable levels and Deepak Phenolics Ltd. commencing production in its new plant, the sales of the Domestic Industry increased. Consequently, the market share of the Domestic Industry increased over the injury period.
- The domestic industry submitted that the market share of the domestic industry increased during the injury period which can be attributed to new production capacities, sufficient demand in the country and the nature of production process.

iii. Inventories

78. Inventory position with the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	Apr18-Jun'19		POI
				Actual	Annualized	
Opening	MT	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>179</i>	<i>164</i>	<i>164</i>	<i>1152</i>
Closing	MT	***	***	***	***	***

<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>92</i>	<i>644</i>	<i>644</i>	<i>617</i>
Average	MT	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>123</i>	<i>472</i>	<i>472</i>	<i>809</i>
Inventory as No. of days of Production	Days	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>41</i>	<i>22</i>	<i>22</i>	<i>24</i>
Inventory as No. of days of Sales	Days	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>53</i>	<i>32</i>	<i>27</i>	<i>27</i>

79. It is seen that the average inventories with the domestic industry have increased substantially in the period of investigation.

iv. Profitability, cash profits and return on capital employed

80. Profitability, cash profits and return on investment of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	Apr18-Jun'19		POI
				Actual	Annualized	
Cost of sales - Domestic	₹ / MT	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>107</i>	<i>101</i>	<i>101</i>	<i>83</i>
Average Selling price – Domestic	₹ / MT	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>110</i>	<i>114</i>	<i>114</i>	<i>85</i>
Profit/(Loss) – Domestic	₹ / MT	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>(100)</i>	<i>25</i>	<i>492</i>	<i>492</i>	<i>37</i>
Total Profit/(Loss)	₹ Lacs	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>(100)</i>	<i>59</i>	<i>8,592</i>	<i>8,592</i>	<i>994</i>
Profit before Interest and Tax	₹ Lacs	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>107</i>	<i>589</i>	<i>589</i>	<i>363</i>
Cash Profit	₹ Lacs	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>(100)</i>	<i>611</i>	<i>61,686</i>	<i>61,686</i>	<i>24,483</i>
Return on Capital Employed	%	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>62</i>	<i>19</i>	<i>19</i>	<i>13</i>

81. It is seen that:

- The domestic industry was suffering losses during the base year of injury period. Thereafter profitability increased in 2017-18 and further in Apr-18 to June 2019. The profitability of the domestic industry declined significantly during period of investigation. The profitability of the domestic industry has declined significantly in the period of investigation when compared to the previous year.
- Cash profits and return on capital employed has followed the same trend as profitability.

v. Employment, wages and productivity

82. Employment, wages and productivity of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	Apr18-Jun'19		POI
				Actual	Annualized	
Wages	₹ Lacs	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>115</i>	<i>195</i>	<i>195</i>	<i>221</i>
No of Employees	Nos	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>97</i>	<i>189</i>	<i>189</i>	<i>215</i>
Productivity per Day	MT/Day	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>218</i>	<i>1627</i>	<i>1627</i>	<i>2605</i>

83. It is seen that the wages, number of employees and productivity per day has increased throughout the injury period and in the period of investigation. The domestic industry has submitted that these parameters are not reflective of the impact of dumped imports on the domestic industry.

vi. Growth

84. The growth of the domestic industry in terms of production, capacity utilization, domestic sales volume, inventories, profits, cash profits and return on investment is as per given in the table below-

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	Apr'18 - Jun'19 (A)	POI
Production	Y/Y	-	120	649	60
Capacity Utilisation	Y/Y	-	120	104	(2)
Domestic Sales	Y/Y	-	136	638	53
Profit/Loss Per unit	Y/Y	-	125	(1,871)	92
Cash Profit	Y/Y	-	711	9,989	(60)
Return on Capital Employed	Y/Y	-	(38)	(70)	(30)
Inventories	Y/Y	-	23	284	71

85. It is seen that the growth of the domestic industry is positive with respect to volume parameters such as production and domestic sales, but negative with respect to capacity utilization. Growth is negative in respect of price parameters i.e., profits, cash profits and return on capital employed.

vii. Magnitude of dumping margin

86. Magnitude of dumping is an indicator of the extent to which the imports are being dumped in India. The investigation has shown that dumping margin is positive in the period of investigation.

viii. Ability to raise capital investment

87. Significant investment was recently made in the PUC. The profitability of the domestic industry has declined in the POI. With the competition being faced by the domestic industry because of dumped imports, the operations of the industry have been impacted which has affected its ability to raise capital investment. The domestic industry is a multi-product company and, therefore, the ability to raise capital investment is not governed based on the performance of the product alone.

ix. Factors affecting domestic prices

88. It is seen that the import prices are directly affecting the prices of the domestic industry in the market. The landed value of the subject goods from the subject countries are below the cost and selling price of the domestic industry. Further, the domestic industry is unable to retain its prices in the market due to presence of dumped imports in the country. The prices of imports have depressed the prices of the domestic industry to a significant degree. The dumped imports are impacting the prices of the domestic industry. Hence, it is concluded that the principal factor affecting the domestic prices is the dumped imports of subject goods.

x. Magnitude of price underselling/injury margin

89. The Authority has determined the NIP for the domestic industry on the basis of principles laid down in Anti-Dumping Rules read with Annexure III, as amended. The NIP of the PUC has been determined by adopting the information/data relating to the cost of production provided by the domestic industry and duly certified by the practicing cost accountant for the period of investigation. The NIP has been considered for comparing the landed price from the subject countries for calculating the injury margin. For determining the non-injurious price, the best utilisation of the raw materials of the domestic industry over the injury period has been considered. The same treatment has been carried out with the utilities. The best utilisation of production capacity over the injury period has been considered. It is ensured that no extraordinary or non-recurring expenses were charged to the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e., average net fixed assets plus average working capital) for the PUC was allowed as pre-tax profit to arrive at the non-injurious price as prescribed in Annexure III of the Rules and being followed.
90. For all the non-cooperative producers/exporters from the subject countries, the Authority has determined the landed price based on facts available.
91. For the purpose of price underselling or injury margin, the month wise non injurious price of the domestic industry has been compared with the month wise landed price from the subject countries. For the purpose of weighted average NIP, the non-injurious price has been worked out by taking weight of monthly import volumes from respective foreign producer or subject country. Based on the landed price and weighted average NIP determined as above, the injury margin for producers/exporters from subject countries has been determined by the Authority and the same is provided in the table below. It is noted that injury margin is positive against both countries.

Country	Name of Producers/Exporters	Non-Injurious Price (US\$/MT)	Landed Value (US\$/MT)	Injury Margin US\$/MT	Injury Margin (%)	Injury Margin % (Range)
Singapore	Mitsui Phenols Singapore Pte. Ltd.	****	****	****	****	0-10
Singapore	Other exporters from Singapore	****	****	****	****	0-10
European Union	All Producers and Exporters	****	****	****	****	0-10

I. Examination on Injury

92. The examination of the imports of the subject product and the performance of the domestic industry shows that the volume of dumped imports from subject countries have declined apparently due to increase in capacities in India. The imports from the subject countries except Singapore are undercutting the prices of the domestic industry. Though the production, sales, capacity utilization and market share of the domestic industry have increased in the period of investigation, the performance of the domestic industry has significantly deteriorated in respect of profits, cash profits and return on capital employed during the POI. Average inventories with the domestic industry have increased substantially in the period of investigation. In view of the foregoing, the Authority concludes that the Domestic Industry has suffered material injury.

J. CAUSAL LINK & NON-ATTRIBUTION ANALYSIS

93. Under Section 9A (5), the Authority is required to examine the likelihood of dumping and injury and the need for continuation of duties irrespective of whether there have been any imports of the PUC during the review investigation period or not. It has been examined below whether factors other than dumped imports could have contributed to the injury to the domestic industry:

i. Volume and prices of imports from third countries

94. It is seen that imports from other countries other than dumped imports are either de minimus or at higher prices thus, third country imports could not have been a cause of injury to the domestic industry.

ii. Contraction in Demand

95. It is seen that the demand for the product under consideration has increased in the period of investigation as compared to the base year. Therefore, contraction in demand cannot be considered as a reason for injury to the domestic industry.

iii. Changes in Pattern of consumption

96. No evidence has been brought by any interested parties about any material change(s) in the pattern of consumption of the product under consideration. Therefore, possible changes in the pattern of consumption are not the cause of injury considered by the Authority.

iv. Conditions of competition and trade restrictive practices

97. The Authority notes that the investigation has not shown that conditions of competition or trade restrictive practices are responsible for injury considered by the Authority.

v. Developments in technology

98. No evidence has been brought by any interested parties about existence of significant changes in the technology that could have caused injury to the domestic industry.

vi. Export Performance of the Domestic industry

99. Exports made by the domestic industry constitutes small portion of its production. The Authority has considered data for the domestic operations only for the injury analysis. Therefore, export performance is not the cause for the injury to the domestic industry.

vii. Performance of other products

100. The domestic industry has provided the injury data of PUC performance and the same has been adopted by the Authority for the purpose of injury analysis. Performance of other products produced and sold by the Applicants is not a possible cause of the injury to the domestic industry.
101. Thus, the Authority concludes that the domestic industry has not suffered injury in the POI due to other factors.

Analysis of Continuation of Injury and Causal Link**Likelihood of Injury to the domestic industry**

102. The Authority observes that this is a sunset review investigation and the focus of the investigation is to examine the likely scenario of continued dumping and consequent injury if ADD were to be allowed to expire, even if there is no current dumping or injury.

J.1.Submissions by the domestic industry

103. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to likelihood:
- The production and capacity utilization of the exporter has declined by 20% over the period. There is an increase in unutilized capacities of the producer. The domestic sales, exports to India and exports to third countries have declined which shows increase in freely disposable capacities with the exporter. The producer is selling the product at losses.
 - For the responding exporter, whereas the sales realization in domestic sales and exports to third countries have increased, exports to India has declined. This clearly shows discriminatory pricing and dumping to India.
 - The trader from Singapore, namely Mitsui (Asia Pacific) Pte. Ltd. is sourcing the subject goods from different sources and exporting to India, as, while the producer had 0 exports to India, the related trader had significant volume of exports to India.
 - The volume of imports from EU has increased significantly during the period of investigation as compared to base year despite existence of anti-dumping duties.
 - The exporters are exporting the product under consideration at dumped prices despite the existence of anti-dumping duty and in the event of cessation, the injury will only intensify.

- f. India, being an attractive market for producers in subject countries and other countries, the imports have remained significant though they remained arrested to some extent by the imposition of duties. The exporters are continuously in search of surplus markets to dispose off their capacities.
- g. The producers in the subject countries maintain huge capacities to produce subject goods and are having significant unutilized capacities which are likely to be utilized in the event of cessation of anti-dumping duty. The producers are also expanding their Phenol capacities.
- h. The producers are also facing anti-dumping duties imposed by China on the subject goods. Further, China is in the process of self-sufficiency due to which India is likely to become the next desirable market.
- i. The imposition of anti-dumping duty on one set of countries has led to shift of dumped imports to other sources. Also, whenever the anti-dumping duty is revoked from any of the country, the dumped imports have resumed at significant volume in subsequent years.
- j. While there was a 20% drop in production of the producer, the exporter was still exporting significant volume of the subject goods. Therefore, this shows a clear likelihood of continued dumping into the country in the event of cessation of the existing anti-dumping duty.
- k. India will become the most lucrative market for the exporters of the subject countries in the event of cessation of anti-dumping duty.
- l. MPS has itself stated in the written submissions that it achieved a capacity utilization of more than 87% even during COVID affected POI, which in itself indicates that, in the absence of the ongoing pandemic, the capacity utilization for the producer is only likely to increase, thereby establishing likelihood.
- m. The domestic industry has provided sufficient evidence of likelihood of injury to the domestic industry in the event of cessation of the existing anti-dumping duty. Further, the performance indicators of the producer and exporter themselves show enough likelihood of injury to the domestic industry.
- n. Self Sufficiency of China coupled with China imposing Anti-dumping duty on EU including other countries will result in diversion of export to India in the event of cessation of Anti-dumping duty.
- o. The producers in the subject countries maintain huge capacities to produce subject goods. In the event of cessation of anti-dumping duty, India will become an attractive market for exporters world-wide, who are faced with surplus capacities. The information as provided by the applicants is tabulated below –

Sr. No.	Exporter	Country	Capacity in MT
1	CEPSA Quimica	Spain	600,000
2	Borealis	Finland	195,000
3	PKN Orlen	Poland	55,000
4	Domo Caproleuna	Germany	150,000
5	Versalis	Italy	300,000
6	Seqens	France	175,000
7	INEOS Phenol	Germany	650,000
8	INEOS phenol	Belgium	680,000
9	Mitsui Phenol	Singapore	300,000

Source: ICIS report Dated: 05-Jun-2020

- p. Producers/exporters in subject country are having significant unutilized capacities. Summarized position is tabulated below. In the event of cessation of anti-dumping duty, the exporters are likely to utilize these capacities by exporting to India.

Particulars	Singapore (MT)	EU (MT)
Capacity	3,00,000	28,05,000
capacity utilization %	80	83
Production	2,40,000	23,28,150

J.2.Submissions by other interested parties

104. The following submissions have been made by other interested parties with regard to likelihood:

- a. There is no credible or substantial source for rate of increase in dumped imports, excess capacities, inventory levels in the subject countries, sufficient freely disposable or imminent substantial increase in exporters capacities and price attractiveness of the Indian market.
- b. In a stable demand scenario where MPS and MAP imports decreased substantially due to lower capacity utilization in the POI due to the impact of COVID-19, MPS and MAP did not dump the PUC in India even though there was no duties imposed and there was ample scope to do so shows that there is no likelihood of dumping from Singapore.
- c. At Para 87 the Petitioners state that, “While the imports have remained arrested to some extent by the imposition of duties, the imports have remained significant within the present injury period” is contradicting to the fact that despite NIL duties import during POI contributes to 0.8% of total imports. Further, if India was an attractive market to MPS and MAP, they would already be exporting the product in increased quantities to India.
- d. The Petitioners, at paragraphs 88 through 90 of the Petition, have averred that the foreign producers from Subject Countries are holding huge production capacities. Allegations from Para 88-90 are mere conjecture and do not show facts. Petitioners have provided total capacities instead of surplus capacities. Chinese government has not applied duties on the subject goods from Singapore, therefore petitioners’ claims are completely irrelevant.
- e. The petitioner must establish that likelihood of continuation or reoccurrence of injury due to the dumped goods and such burden of proof cannot be shifted. The inventories of the PUC with MPS have declined by 50% during the POI.
- f. In a situation where the petitioners are already assured of being able to sell all that they produce, continuation of anti-dumping duties would be an unnecessary burden on user industries.
- g. Injury to the petitioners due to imports from the subject countries has not continued and this fact has been admitted to by the Applicants during the oral hearing wherein it has been stated that injury to the domestic industry has continued due to other reasons. There is no threat of recurrence of injury either.
- h. Import from Singapore is less than 1% of total imports but the import from Korea and other countries are significant and at much lower price.
- i. The imports have declined continuously. Since the domestic industry is not suffering any current injury, there is no likelihood as well as the user industry prefers to source subject goods from the domestic industry.
- j. There is no price undercutting due to imports from Singapore or consequent price suppression or depression and hence there is no likelihood of recurrence of injury.
- k. Evidence regarding significant excess capacity or freely disposable capacity with the producers from the subject countries has been claimed confidential.
- l. Export orientation is not a relevant criterion as per Annexure II Para VII.
- m. Self-sufficiency of Chinese industry does not ipso facto lead to a conclusion that exports from subject countries would be diverted to India, without demonstrating that no other country can absorb such imports.

- n. Evidence regarding expansion of PKN Orlen is based on a news article and hence not admissible evidence. Claim of oversupply of Phenol has not been substantiated either.
- o. In order to establish that India is a lucrative market, the Applicants are required to demonstrate that the prices fetched from exports by EU to India were higher than that to any other country. However, no such data has been furnished.
- p. The existence or threat of recurrence of dumping simpliciter is not sufficient for the continuation of anti-dumping duties pursuant to a sunset review. Rather, the likelihood of continuation or recurrence of both 'dumping' and 'injury' are factors that are required to be satisfied before the Designated Authority can recommend the extension of the antidumping duty for a further period of 5 years.
- q. There is no likelihood of continuation or recurrence of injury as performance of the domestic industry has improved, except in the case of inventories. The factors listed by the domestic industry to allege recurrence of injury to the Domestic Industry are irrelevant and based on judicially inadmissible facts.

J.3.Examination by the Authority

105. All factors brought to the notice of the Authority have been examined to determine as to whether there is a likelihood of continuation or recurrence of dumping or injury in the event of cessation of the duty. The Authority has considered various information, as made available by the domestic industry and other interested parties, in order to evaluate the likelihood of continuation or recurrence of dumping or injury.
106. The Authority has examined the likelihood of continuation or recurrence of injury considering the requirement laid down under Section 9A(5), Rule 23 and parameters relating to the threat of material injury in terms of Annexure – II (vii) of the Rules, and other relevant factors brought on record by the interested parties. The present investigation is a sunset review of ADD earlier imposed on the imports of subject goods from European Union and Singapore. Under the Rules, the Authority is required to determine whether continued imposition of ADD is warranted. This also requires a consideration of whether the duty imposed is serving the intended purpose of eliminating injurious dumping. There are no specific methodologies available to conduct such a likelihood analysis. However, clause (vii) of Annexure II of the Rules provides, inter alia for factors which are required to be taken into consideration viz.:
- i. A significant rate of increase of dumped imports into India indicating the likelihood of substantially increased importation
 - ii. Sufficient freely disposable, or an imminent, substantial increase in, capacity of the exporter indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to Indian markets, taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports;
 - iii. Whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices, and would likely increase demand for further imports; and
 - iv. Inventories of the article being investigated.

i. Continued & existing dumping and injury

107. The Authority notes that the imports of product under consideration in the current period of investigation, are at dumped prices despite anti-dumping duty in existence. Further, dumping margin and injury margin is positive for both the subject countries. It is also noted that the performance of the domestic industry has significantly deteriorated in respect of profits, cash profits and return on capital employed. It is also seen that these imports from EU are undercutting the prices of the domestic industry, while price undercutting on account of imports from Singapore is negative.
108. As regards European Union, it is noted that the volume of imports has increased significantly during the period of investigation despite the existence of an anti-dumping duty.
109. The Authority has examined the evidence placed on record concerning likelihood of imports from Singapore. Since the sole producer from Singapore, i.e. MPS, has cooperated in the present investigation and information filed by them has also been remote cross checked, the data filed by MPS has been taken into consideration while determining likelihood, along with the documents and facts placed on record by the domestic industry.

110. It is noted that imports from Singapore declined significantly over the course of the injury period, and imports of subject goods from Singapore constituted less than 1% of the total imports of subject goods during the POI. This is despite the fact that there was no ADD in force on cooperating producer and exporter.

ii. Surplus capacities in subject countries

111. As per the information on record, the producers/exporters in subject countries are having significant unutilized capacities which are likely to be utilized to export to India in the event of cessation of existing duties.

iii. Price undercutting and Attractiveness of India as a Market

112. It is also seen that imports from EU are undercutting the prices of the domestic industry during the POI, and the undercutting margin is significant, which suggests that the cessation of ADD currently in place is likely to lead to intensified dumping causing injury to the domestic industry.
113. Further India is the second largest export destination for European producers despite anti-dumping duty in existence. In the event of cessation of anti-dumping duty, the exports from European Union to India is likely to increase.
114. The domestic industry has claimed that the exports from EU to other countries are at dumped and injurious price and India is a lucrative market for EU exporters. In this regard, the Authority has examined the information filed by domestic industry based on Eurostat data. The Authority examined the price at which the goods were exported to India and rest of the world. It is noted from the examination that India is the second largest export destination for EU, and the exporters in EU have significant volume of exports to other countries at a price lower than export price to India, which are likely to be diverted to India in the event of cessation of ADD.
115. With regards to imports from Singapore, it is noted that price undercutting from Singapore is negative.
116. With regard to price attractiveness from Singapore, it is noted that export prices of subject goods from MPS to other countries are lower than export prices to India. However, it is also noted that export volumes of subject goods to India remain very low during the injury investigation period despite the fact that there was no ADD on the cooperating producer and exporter.

iv. Inventories of the article being investigated.

117. From the information submitted by the cooperating producer and exporter from Singapore, it is noted that inventories of subject goods with cooperating producer M/s MPS has declined during the injury investigating period.

Conclusion on Likelihood of Dumping and Injury

118. The evidence on record shows that the volume of imports from the European Union has increased significantly during the period of investigation despite the existence of an anti-dumping duty. The imports from the subject countries except Singapore are undercutting the prices of the domestic industry. The performance of the domestic industry has significantly deteriorated during the POI. The Domestic Industry has suffered continued injury during the present period. The evidence on record also shows India is the second largest export destination for European union producers despite anti-dumping duty in existence. Further, the Authority also notes the exporters in EU have significant volume of exports to other countries at a price below export price to India, which are likely to be diverted to India in the event of cessation of ADD. As per the information on record, it is noted that the producers of the subject goods in European Union who also exporting to China are facing anti-dumping duties imposed by the Chinese Government. Thus, all these parameters indicate that, in the event of cessation of the existing ADD, the exporters in the EU are likely to intensify exports of the dumped products in India at dumped prices, leading to continuation and intensified injury to the domestic industry. As regards the likely hood of continuation of recurrence of dumping and injury on account of imports from Singapore, it is noted that no anti-dumping duty was imposed in the original investigations on the sole and cooperating producer and exporter from Singapore. Despite no anti-dumping duty of subject goods from cooperating producer and exporter from Singapore, the volume of imports from Singapore are very low, and account for less than 1% of the total imports of subject goods into India. It is also noted that though the capacity utilisation of the cooperating producer and exporter has slightly declined during the POI, these remain very high, and this has not translated into increased dumped imports of subject goods to

India. Further, the inventories in Singapore have declined significantly in recent periods. In view of the above, it is concluded that there is no likely hood of continuation or recurrence of dumping and injury on account of imports of subject goods from Singapore.

K. Post Disclosure submissions by interested parties

K.1.Submissions by Domestic Industry

119. The submissions made by the domestic industry are as follows:

- i. M/s EximCorp India Private Limited and M/s Century Ply did not register themselves as interested parties within the time limits prescribed by the Authority. Post-hearing submissions filed by M/s. Century Ply should not be considered due to its failure to register within time limits. M/s. EximCorp India Private Limited did not file questionnaire response or submissions.
- ii. The Disclosure Statement does not specify reasons for significant difference in the NIP reported in the application and NIP determined in the disclosure. The applicants are unable to offer any comments as the linked files have not been shared.
- iii. The Authority has considered capacity utilization, fixed overheads and NFA per unit for 3 months i.e., Apr19 – Jun 19 for normation which is already included in Apr18-Jun19. This is inconsistent with the past well established practice of the authority.
- iv. The dumping margin in the present investigation is positive and substantial.
- v. There is likelihood of recurrence of dumping and injury due to imports from Singapore. The dumping margin and injury margin of Singapore is positive and significant thereby establishing habitual dumping. The producers in Singapore have significant unutilized capacities and freely disposable capacities have increased. MAP is sourcing subject goods from different sources and exporting to India. The price undercutting was positive during initial years thereby establishing the ability of the exporters from Singapore to dump the subject goods if the duties expire. India is likely to become the next desirable market due to decline in demand in China.
- vi. There is likelihood of recurrence of dumping and injury due to imports from the European Union.
- vii. Lack of significant opposition of users/importers by providing sufficient relevant and verifiable information, depicts that they do not consider significant adverse impact on them as a result of the present investigation. Imposition of duties will arrest decline in the performance of the industry, redress the injury suffered and enable domestic producer to remain viable and competitive.
- viii. If the current situation continues, the industry will face further injury and eventually be wiped out, giving foreign producers increased leverage, and the consumers will be left at their mercy. A strong, competitive domestic production of the product is in interest of the public at large.
- ix. The domestic industry has increased capacities of the product under consideration to meet the demand-supply gap in the country. The increase in investments by the domestic industry will only lead to more employment, thereby benefitting the Indian economy as a whole. The domestic industry is not only focused on profits but also on environmental sustainability. It is extremely important to encourage the growth of such industries. This is also in line with the Hon'ble Prime Ministers vision of Atma Nirbhar Bharat.

K.2. Submissions by other interested Parties

120. The submissions of other interested parties are as follows:

- i. DGTR has not provided any explanation as to the exclusion of Korea from the scope of subject countries despite significant volume of imports. This is relevant in the context of discriminatory initiation of review against Singapore. Imports from Korea were made at ten times the volume of imports from Singapore at a price which is about 10% lower.
- ii. DGTR has not examined the non-participation of SI Group. In the absence of reasoning, the final findings will be inconsistent with principles of natural justice.
- iii. The DGTR must acknowledge that there is no volume effect of imports from subject countries.

- iv. Since DGTR has found price undercutting for Singapore as negative, DGTR must also find that there is no injury to the domestic industry on account of imports from Singapore and in particular MAP and MPS who are already attracting nil duties.
- v. Indexation of profitability in the disclosure statement appears to be incorrect.
- vi. DGTR has failed to acknowledge that the landed price from Singapore has increased.
- vii. DGTR is required to disclose reasons for rejecting the claim of injury on account of higher interest cost and depreciation which might have led to overall lower profits.
- viii. DGTR must find that there is no likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury from Singapore.
- ix. DGTR has observed that MPS has shown an increase in unutilized capacities. MPS has filed its capacity utilization figures as part of its previous submissions and the data provided indicates that normally MPS' capacity utilization is in excess of 90%. Even in the COVID-affected POI and with production shutdown (due to plant maintenance) the utilization of MPS was more than 87%. If the capacity utilization is adjusted for the above-mentioned shutdown, there is no decline, and the capacity is well above 96%. This proves that MPS does not have any excess capacities.
- x. MPS does not have any excess capacities. If DGTR considers that MPS had excess capacities, such excess could have easily been utilized to export the product under consideration as MPS had NIL rate of duties. Instead, quantity of exports by MAP and MPS has significantly declined.

K.3. Examination by the Authority

121. The Authority has examined the post disclosure submissions made by the other interested parties and notes that some of the comments are reiterations which have already been examined suitably and addressed adequately in the relevant paras of the final findings. The issues raised for the first time in the post-disclosure comments/submissions by the interested parties and considered relevant by the Authority are examined below:

- i. As regards exclusion of Korea, the domestic industry filed duly substantiated application/petition only with regard the European Union and Singapore. On the issue of exclusion of Korea from subject review investigation, the domestic industry later submitted that since injury margin of Korea is negative, they do not wish to pursue the case against Korea. Further the domestic industry did not provide any information on likelihood of dumping and consequent injury to the domestic industry in case of cessation of anti-dumping duty against Korea. In view of the above, the Authority did not initiate a case against Korea.
- ii. As regards non-participation of SI Group, the Authority notes that the legal requirement under Rule 2(b) is that the collective output of the participating companies constitute major proportion in the total Indian production. The Applicants, in the present investigation account for 88.95% of total Indian production. Applicants constitute domestic industry under rule 2(b) of the Rules and the application satisfied the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules. Therefore, the participation or non-participation of SI Group becomes immaterial in the present investigation.
- iii. With regard to argument that the reasons of decline in profitability are due to increase in interest and depreciation costs, it is also seen that the performance of the domestic industry declined in respect of profit before interest (ROI) and profit before depreciation (cash profits).
- iv. As regards wrong indexation of profitability, the indexation is done as per consistent practice of the Designated Authority.
- v. With regard to submissions on eligibility of M/s EximCorp India Private Limited, M/s Century Ply and M/s AICA as an interested party, the Authority has on the basis of facts and circumstances of the case, and the practice of the Authority, acknowledged and examined the submissions made by the interested parties.
- vi. As regards the likely hood of continuation of recurrence of dumping and injury on account of imports from Singapore, it is noted that no anti-dumping duty was imposed in the original investigations on the sole and cooperating producer and exporter from Singapore. Despite no anti-dumping duty of subject goods from cooperating producer and exporter from Singapore,

the volume of imports from Singapore are very low, and account for less than 1% of the total imports of subject goods into India. It is also noted that though the capacity utilisation of the cooperating producer and exporter has slightly declined during the POI, these remain very high, and this has not translated into increased dumped imports of subject goods to India. Further, the inventories in Singapore have declined significantly in recent periods. In view of the above, it is concluded that there is no likely hood of continuation or recurrence of dumping and injury on account of imports of subject goods from Singapore.

- vii. With regards to arguments concerning NIP, it is noted that NIP has been determined as prescribed in Annexure III of the Rules.

L. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES

122. The Authority recognizes that the imposition of anti-dumping duties might affect the price levels of the product in India. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the imposition of anti-dumping measures. On the contrary, imposition of anti-dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices, prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods. The purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping duties, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers. The Authority notes that the imposition of the anti-dumping measures would not restrict imports from the subject countries in any way, and therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.
123. The Authority considered whether imposition of ADD shall have adverse public interest. For the same, the Authority examined whether the imposition of the anti-dumping duty on imports of the product under investigation would be against the larger public interest. This determination is based on consideration of information on record and interests of various parties, including domestic industry, importers and consumers of the product.
124. The Authority issued gazette notification inviting views from all interested parties, including importers, consumers and other interested parties. The Authority also prescribed a questionnaire for the consumers to provide relevant information with regard to present investigations, including possible effect of ADD on their operations. The Authority sought information on, inter-alia, interchange ability of the product supplied by various suppliers from different countries, ability of the domestic industry to switch sources, effect of ADD on the consumers, factors that are likely to accelerate or delay the adjustment to the new situation caused by imposition of ADD.
125. Three importer/user responded, namely, M/s. AICA Laminates India Private Limited, M/s. Eximcorp India Private Limited and M/s. Century Ply. One user Association namely M/s. Federation of India Plywood and Panel registered themselves as an interested parties and filed submissions. However, none of the user/importer or member of the user Association have filed the prescribed user/importer questionnaire response. As already noted in these findings, none of these users or user Association have provided any verifiable information in order to demonstrate the effect of anti-dumping duty on the consumers. Further, in this regard, the Authority re-iterates that the imposition of the anti-dumping measures would not restrict imports from the subject countries in any way, and therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.
126. Even though the Authority has prescribed formats for the users to quantify the impact of ADD and elaborate how imposition of ADD shall adversely impact them, it is noted that none of the users have provided relevant information. It is, thus, noted that the interested parties have not established impact of ADD on the user industry with verifiable information. From the information on record, the Authority is of the view that the imposition of anti-dumping duty will be in public interest.

M. FINAL CONCLUSION & RECOMMENDATIONS

127. After examining the submissions made by the interested parties and issues raised therein and considering the facts available on record, the Authority concludes that:
- a. The Applicants constitute domestic industry under Rule 2(b) of the Rules and the application satisfied the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.

- b. The product produced by the domestic industry is like article to PUC imported from the subject countries.
- c. The relevant data has been analyzed on a monthly basis in view of significant changes in prices and volume of imports within the same time period. Thereafter, the injury margin, dumping margin and price undercutting have been determined for the POI and for the PUC as a whole
- d. The application contained all information relevant for the purpose of initiation of investigation and the application contained sufficient evidence to justify initiation of the investigation decided to initiate the present investigation.
- e. Considering the normal value and export price for subject goods, the dumping margins for the subject goods from each of the subject countries have been determined, and the margins are significant.
- f. The domestic industry has suffered material injury. The examination of the imports of the subject product and the performance of the domestic industry shows that the volume of dumped imports from subject countries volume of imports from subject countries have increased in 2017-18 but declined thereafter. The decline in overall imports was a natural consequence of an increase in capacities in the country in a situation where there was a demand-supply gap in the country. The imports from the EU are undercutting the prices of the domestic industry. Though the production, sales and market share of the domestic industry has increased in the period of investigation due to the setting up of a new plant by Deepak Phenolics, the capacity utilization of the domestic industry has declined during period of investigation as compared to preceding year. The inventories with the domestic industry have increased significantly during the POI. The performance of the domestic industry has significantly deteriorated in respect of profits, cash profits and return on capital employed during the POI. The profits, PBIT, cash profits, and ROCE have declined by ***%, ***%, ***% and ***% respectively as compared to previous year.
- g. With regard to likely hood of continuation or recurrence of dumping and consequent injury to the domestic industry in the event of cessation of anti-dumping duty, it is noted that the volume of imports from EU has increased significantly during the period of investigation despite the existence of an anti-dumping duty. It is also noted that the producers/exporters in EU are having significant unutilized capacities which are likely to be utilized to export to India in the event of cessation of existing duties.
- h. From the examination, it is also noted that imports from EU are undercutting the prices of the domestic industry during the POI, and the undercutting margin is significant, which suggests that the cessation of ADD currently in place is likely to lead to intensified dumping causing injury to the domestic industry. India is the second largest export destination for EU, and the exporters in EU have significant volume of exports at a price below export price to other countries, which are likely to be diverted to India in the event of cessation of ADD.
- i. With regard to Singapore, it is noted that no anti-dumping duty was imposed in the original investigations on the cooperating producer and exporter from Singapore. Despite no anti-dumping duty of subject goods from Singapore, the volume of imports from Singapore are very low, and account for less than 1% of the total imports of subject goods into India. It is also noted that though the capacity utilisation of the cooperating producer and exporter has slightly declined during the POI, these remain very high, and this has not translated into increased imports of subject goods to India. It is also noted from the information on record that the Chinese Government has not applied any duties on the subject goods from Singapore. Further, the inventories in Singapore have declined significantly in recent periods. In view of the above, it is concluded that there is no likely hood of continuation or recurrence of dumping and injury on account of imports of subject goods from Singapore.
- j. Despite providing all formats for users to quantify the impact of ADD and how the imposition of ADD will adversely impact them, none of the users have provided relevant information. The interested parties have not established impact of ADD on the user

industry with verifiable information. It is thus noted that non-imposition of anti-dumping duty will adversely impact the indigenous production of the product concerned, and therefore, the Authority is of the view that the imposition of anti-dumping duty will be in public interest.

- k. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspect of dumping, injury and causal link. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury and causal link in terms of the provisions laid down under the Anti-Dumping Rules, the Authority is of the view that continued imposition of anti-dumping duty as modified on all imports of subject goods from EU is required to offset dumping and injury. The Authority considers it necessary and recommends imposition of anti-dumping duty on imports of subject goods from EU. As there is no likely hood of continuation or recurrence of dumping and injury on account of imports of subject goods from Singapore, no anti-dumping duty is recommended against producers and exporters from Singapore.

128. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and the margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, the Authority recommends continued imposition of antidumping duty on the imports of subject goods, as modified, originating in or exported from EU, from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, equal to the amount mentioned in Col. 7 of the duty table appended below. The landed value of imports for this purpose shall be assessable value as determined by the Customs under Customs Act, 1962 and applicable level of custom duties except duties levied under Section 3, 3A, 8B, 9, 9A of the Customs Tariff Act, 1975.

Duty Table

SN	Heading	Description of goods	Country of Origin	Country of export	Producer	Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	29071110	Phenol	European Union	Any country including European Union	Any	66.76	MT	US\$
2.	29071110	Phenol	Any country other than country attracting anti-dumping duty	European Union	Any	66.76	MT	US\$

N. FURTHER PROCEDURE

129. An appeal against the order of the Central Government that may arise out of this recommendation shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

ANANT SWARUP, Designated Authority